राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का चतुर्थ दिवस [संख्या ४

बुधवार, दिनांक १६ मार्च, १९६२

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ३ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण एवं शिक्षा-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

जल वितरण योजना, गंगाशहर

५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या गंगाशहर में जल वितरण (वाटर सप्लाई) की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो योजना कब से प्रारम्भ होगी ?

(२) क्या यह सही है कि इस योजना के अंतर्गत शहर में सर्वत्र पानी देने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) अभी तक गंगाशहर में कोई जल वितरण योजना सरकार ने नहीं बनाई है।

(२) अभी योजना बनी नहीं है। इसलिये प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : यह योजना बनाई गई है। ८ लाख की योजना इस प्रकार की बनी है। नक्शे भी बने हैं कि गंगाशहर में किस प्रकार पानी सप्लाई किया जायेगा। सारी योजना बन गई है। आप कह

Page No 2

(श्री मुरलीधर व्यास)

रहे हैं कि नहीं बनी है ! आप बारीकी से देख लें, नहीं तो आपका उत्तर गलत होगा ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : केवल प्रारम्भिक सर्वे हुई है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या प्रारम्भिक सर्वे हुई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : असिस्टेन्ट इन्जीनियर वहां गये थे ।

पानी की कमी देखते हुए नये कुओं की-म्यूनिसिपैलिटी के कुओं की मांग की थी । उसका जवाब अभी आया नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : उसका जवाब म्युनिसपैलिटी की तरफ से आ चुका है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अभी तक सरकार के पास नहीं आया है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सरकार इस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा करेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : फंड म्युनिसिपैलिटी को मिल जायेंगे तो डिपार्टमेंट बना देगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : पानी वितरण की दृष्टि से प्लानिंग के अन्तर्गत दूसरी जगह पैसा लगाया है उसी तरह गंगाशहर, भीनासर के लिये भी सरकार क्यों नहीं करती ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : म्युनिसिपैलिटी लोन मांगेगी और उसे मिल जायेगा तो विभाग बना देगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर बन जायेगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पैसा मिल जायेगा तो विभाग बना देगा ।

एक माननीय सदस्य : सर्वे कब हुई थी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सर्वे अभी हुई है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सहाय ।

सड़क निर्माण

६. **श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गंगापुर से नादौती होकर गुड़ाचन्द्रजी जाने वाली सड़क तथा गंगापुर से गांवड़ी होकर गढ खेड़ा जाने वाली सड़क तथा बामनवास के मोड़ से बामनवास जाने वाली सड़क का कार्य अभी तक पूरा नहीं होने का क्या कारण है ?

(२) उक्त कार्य कब तक पूरा होगा ?

Page No 3

उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) उपलब्ध धनराशि तथा योजनानुसार तीनों सड़कों पर कार्य चालू है।

(२) आशा है तृतीय योजना काल में।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इसका ठेका किसको दिया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ठेकेदार का नाम मुझे मालूम नहीं है, अलग से जानकारी चाहें तो जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री गोविन्दसहाय : क्या ठेके मे समय निर्धारित किया जाता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आशा की जाती है कि होना चाहिये।

श्री गोविन्दसहाय : मैं यह पूछ रहा हूं कि समय निश्चित किया कि नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : किया होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप निश्चित बात कहने की कोशिश करें।

श्री विजयसिंह झाला : आपको कोई बात पूछी जाय और आप कह दें कि मालूम नहीं, इस प्रकार टाला नहीं जा सकता।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह कहा न कि अलग से पूछें।

श्री विजयसिंह झाला : यह सप्लीमेंटरी है।

श्री अध्यक्ष:—आपने अवधि का पूछा है इसलिये मन्त्री महोदय ने बताया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जायेगा।

श्री गोविन्दसहाय : क्या यह सही है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये सड़कें समाप्त नहीं हुई थीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नहीं हुईं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ठेके की अवधि का कितना समय था, मैं यह जानना चाहता हूं, स्पष्ट उत्तर दें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये सड़कें थीं, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ठेके होंगे, काम होगा, यह तो आगे का सवाल है। सड़कों के पुराने ठेके की बात है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के थे।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो पूरी नहीं बनी हैं, उनके प्रश्न तो आयेंगे ही।

Page No 4

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इनके लिये दूसरी योजना में जितनी धनराशि थी उतना काम हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

अभाव ग्रस्त क्षेत्र में राहत-कार्य, बीकानेर

(७) **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर जिले के कौन कौन से गांवों को इस साल अभाव ग्रस्त घोषित किया गया है ?

(२) उपरोक्त गांवों में से कौन २ से गांव ऐसे हैं जहां पिछले वर्ष भी अभाव की स्थिति थी ?

(३) ऐसे गांवों में राहत कार्यों के लिये सरकार ने अब तक क्या व्यवस्था की है ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : अकाल सहायता मन्त्री ! अभावग्रस्त क्षेत्र में राहत कार्य- बीकानेर।

Minister for Reliet !

(कृपया आगे देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास।

डूंगर कॉलेज, बीकानेर के भवन का निर्माण

(४) **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या डूंगर कॉलेज, बीकानेर की बिल्डिंग का निर्माण कार्य समाप्त हो गया है ?

(२) यदि हां तो उसमें शिक्षा प्रदान करने का कार्य कब से प्रारंभ हो रहा है ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) डूंगर कॉलेज, बीकानेरकी इमारत निर्माणाधीन है और उसका निमाण कार्य शीघ्र ही समाप्त होने वाला है।

(२) जुलाई, १६६२ से प्रारम्भ होने वाले सत्र की शिक्षा नई इमारत में ही दी जाने की संभावना है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इसके जितने कमरे हैं उन कमरों का काम जुलाई, ६२ में समाप्त हो जायेगा ?

श्री परसराम मदेरना : ग्राउन्ड फ्लोर है उसमें कुछ काम अधूरा है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या नये सेशन के पहले समाप्त हो जायेगा ?

श्री परसराम मदेरना : ऐसी आशा की जाती है कि नये सेशन से पहले काम कम्प्लीट हो जायेगा।

प्रश्न संख्या ३

श्री अध्यक्ष : अकाल सहायता सम्बन्धी प्रश्न का जबाब नहीं आया ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : Answer could not be ready.

श्री अध्यक्ष : We will take it up to-morrow.

प्रश्न समाप्त हुए।

(११/१६ म. पू.)

कार्य-सलाहकार समिति का मनोनय

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन की नियमावली के नियम २१२ के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को कार्य सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त करता हूं :—

श्री मथुरादास माथुर

श्री हरिदेव जोशी

श्री मानसिंह महार

श्री भैरोंसिंह

श्री रामकिशन

श्री रामानन्द अग्रवाल।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना): अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष : आप तो कल बोल चुके थे।

श्री मुकुटबिहारीलाल : मेरा भाषण कल समाप्त नहीं हुआ था, कुछ समय मुझे और चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त कर दीजिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के पैरा १७ मेंमाइनिंग की प्रगति के बारे में संतोष प्रगट करने की बात कही है। इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान इस विभाग में बरती जाने वाली अनियमितताओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर माइनिंग विभाग द्वारा जितना जबरदस्त स्केण्डल हुआ है और हो रहा है उसको देखते हुए इस बात का अन्दाज लगाया जा सकता है कि किस कदर इस विभाग द्वारा अनियमिततायें बरत कर इस विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच चुका है। इस पैरे में यह बात बताने की कोशिश की है कि खानों से आमदनी जो ६ वर्ष पूर्व ५० लाख रु० से कम थी अब १ करोड़ रु० हो गई है। इस बात को बता कर माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में यह बताने की कोशिश की है यह इस आमदनी की वृद्धि रॉयल्टी के बढ़ने से न होकर उत्पादन के कारण हुई है। लेकिन उन्होंने यह बताने की कोशिश नहीं की है कि यह जो आमदनी में वृद्धि हुई है उससे वहां का श्रमिक वर्ग और मजदूर वर्ग का कितना शोषण हुआ है, इससे पूंजीपतियों ने कितना जबरदस्त मुनाफा कमाया है। यही नहीं; समय समय पर यहां का पूंजी-

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

पति वर्ग, यहां के विभाग के उच्च अधिकारी सरकार के जिम्मेदार लोगों ने मिल कर किस-किस तरह कितना मुनाफा कमाया है, इसकी तसवीर खींचने की कोशिश करूंगा।

भरतपुर जिले के अन्दर बासी पहाड़ी पर पत्थर का ठेका दिया गया है जयपुर के उद्योग-पति श्री भूमरलाल स्वरूपनारायण को। इस ठेके के सिलसिले में इस इलाके की जनता ने अभी से नहीं, भरतपुर रियासत के समय से इस ठेके के खिलाफ आवाज उठाई है। पब्लिक ने समय समय पर आंदोलनों द्वारा वहां की बढ़ती हुई अनियमितताओं की तरफ और ठेकेदार की उपेक्षा वृत्ति की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सन् ४३ में यह ठेका हुआ था। इस ठेके की अवधि जब समाप्त होने वाली थी उस समय भरतपुर रियासत में एक प्रतिनिधि सभा थी जो विधान सभा का कार्य करती थी उसमें भी समय समय पर इस ठेके के बारे में आवाज उठाई गई। उसके बाद जब राजस्थान बना उसके बाद भी इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती रही है। राजस्थान बनने के बाद जन-भावनाओं की पूर्णतया उपेक्षा की जाती रही है। वहां हम देखते हैं उस ठेकेदार से बहुत बड़ी रकम कांग्रेस फण्ड के लिए हमेशा दी जाती रही है और यही कारण था कि उस ठेके की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उस ठेके को आठ साल के लिए और रिन्यू कर दिया गया। किस तरह से इस बारे में अनियमिततायें हुई हैं, उसके बारे में कुछ तथ्य मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। सत्रह, अठारह साल तक यह ठेका चलने के बाद ठेके की अवधि खत्म होती है ३०।४।६१ को। राजस्थान राजपत्र में इस बात का उल्लेख किया गया। श्रमिक वर्ग वहां की क्वेरीज़ को चलाना चाहते हैं, वहां के श्रमिकों ने यह भी आवाज उठाई कि हम हथौड़ा सिस्टम से इस क्वेरी को चला कर अपना गुजर-बसर करना चाहते हैं। वहां के इस इलाके के अन्दर १८ हजार के करीब मजदूर परिवार रहते हैं जिनकी रोटी-रोजी का जरिया इसी माइनिंग के विकास पर निर्भर करता है। इतने बड़े वर्ग की उपेक्षा की गई जिसका उदाहरण मैं सदन के सम्मुख रखना चाहूंगा। मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया ३०।४।६१ को इस ठेके की अवधि समाप्त हुई। एक बात यह कही जाती है जब आठ साल के लिये ठेके की मियाद रिन्यू कर दी गई, उसकी शर्तों में यह साफ लिख दिया गया था कि वर्तमान ठेकेदार की अवधि अब रिन्यू नहीं की जायेगी। लेकिन होता क्या है कि जब श्रमिक वर्ग ने यह कहा कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के आधार पर, हथौड़ा सिस्टम के आधार पर इसको चलाना चाहते हैं; इस तरह से हमें क्वेरीज़ दे दी जायं; ३०।४।६१ को ठेका खत्म होता है। उसकी मियाद खत्म हो जाने के बाद इस बारे में कोई प्रयास नहीं किया गया। उस ठेकेदार के लिए यह निश्चित कर दिया जाय ३० माइल के इलाके में पिलर बांध कर उनके एरिया को डिमार्केट कर दिया जाय। इस सम्बंध में स्थानीय सहकारी समितियों ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। तारीख ८।८।६१ को इस संबंध में बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद यहां के सचिव महोदय ने वहां के माइनिंग इन्जीनियर, सवाई माधोपुर को एक पत्र लिखा जिस पत्र का नम्बर है एफ ३ :

Page No 7

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

२ : १५ : इंडस्ट्रीज बी ६० नम्बर ४६०२, तारीख ८ अगस्त, १६६१ । उसके द्वारा राजस्थान के अधिकारियों ने यह बात चाही कि इस ठेकेदार का एरिया जल्दी से जल्दी डिमार्केट कर दिया जाय । होता क्या है, डिमार्केशन की बात अभी तक पूरी नहीं हुई । एक प्लान सबमिट किया गया कि तीस मील का इलाका दे दिया जाय । इसकी सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास मौजूद है । इससे यह साफ जाहिर होता है कि कितना बड़ा, जबरदस्त स्केण्डल है इस ठेके के बारे में ; जब कि इस ठेके की अवधि ३०।४।६१ को समाप्त हो जाती है लेकिन उसके १५।६।६१ को उसको प्लान दिया जाता है जिसकी सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास है और वह सरकार के पास भी है । इसके बावजूद भी यहां से बार बार लिखे जाने के बाद उस एरिये का डिमार्केशन नहीं होता । इस दरमियान सहकारी समितियों ने सरकार के सामने अपना प्रतिनिधित्व किया । इस दरमियान दूसरी यह कोशिश की गई २५।११।६१ को एक चिट्ठी और जारी की गई जिसका नम्बर एफ ३।२। १५१ इएड० ७०५३ १५ नवम्बर, १६६१ है । उसमें यह लिखा गया कि १७ दिसम्बर, ६१ तक डिमार्केशन कर दिया जाय । हालांकि इस ठेके की मियाद ३०।४।६१ को ही समाप्त हो चुकी थी उसके बाद भी यह लिखा गया कि इसका डिमार्केशन दिसम्बर के माह में कर दिया जाय । फिर इस बारे में कोशिश की जाती है । २६।१२।६१ भी यहां के श्री ए० के० राय सेक्रेटरी हैं उन्होंने फिर एक चिट्ठी लिखी कि इसका डिमार्केशन जल्दी से जल्दी कर दिया जाना चाहिये । मैं सदन के माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूं कि अभी तक उसका डिमार्केशन नहीं हुआ । उनके डी० ओ० लैटर लिखने के बाद भी जिनकी प्रतिलिपियां मेरे पास हैं अभी तक डिमार्केशन नहीं हुआ । २६।१२।६१ तक जो पुराना नक्शा था जिस आधार पर पिलर गाढ़ने की बात कही गई दूसरा इलाका दे दिया गया । उस पुराने नक्शे के आधार पर दूसरा प्लान दे दिया गया । इस संबंध में मैं सदन के सदस्यों के समक्ष कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का अधिकारी वर्ग इसके लिए जिम्मेदार है । वहां कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और लीडरों का भी इसमें जबरदस्त हाथ है । वहां समय समय पर चुनावों के टाइम पर काफी लम्बी रकम, लाखों रुपयों की रकम अपनी पार्टी के पोषण के लिए इन ठेकेदारों से प्राप्त करते रहे । खुद के एक मन्त्री हैं जो भरतपुर जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका नाम है बाबू राजबहादुरजी, जो सेन्टर में मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी खुद की कलम से एक चिट्ठी लिखी है । उसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ । यह चिठ्ठी यहां के मुख्य मंत्री महोदय के नाम पर लिखी गई है और उसमें यह कहा गया है कि इस ठेके के बारे में आप जल्दी से कुछ कार्यवाही करिये । इसमें जो सम्बन्धित बात है वह मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ । इस विषय में उन्होंने यहां के मुख्य मन्त्रीजी को प्रिय मित्र करके लिखा है । उनकी चिठ्ठी दस्तखती मेरे पास मौजूद है ।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मन्त्री, वित्त) : आप पढ़ कर सुनाइये, क्या लिखा है । ऐसी तो बहुत सी चिठ्ठियां हो सकती हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रतिलिपि है ?

Page No 8

श्री मुकुटबिहारीलाल : ओरीजिनल है। मैं फाइल की फाइल ही अगर मन्त्री महोदय चाहेंगे तो उनके पास पहुंचा दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह तो आम तौर पर इनकी करने की आदत है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: तो मैं यह पढ़ रहा हूँ। लिखा है, "प्रिय रामजीलालजी शर्मा, जो पत्र मैंने मुख्य मन्त्री को लिखा है उसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूँ।" रिलेवेन्ट पोर्शन मैं पढ़ देता हूँ। "इस मांग की पूर्ति पर ही श्रमिकों का जीवन निर्भर है। इस विषयक निर्णय का प्रभाव आने वाले आम चुनावों पर भी पड़ेगा। विरोधी दल वर्तमान व्यवस्था और श्रमिकों के असन्तोष का लाभ उठा रहे हैं। उनका शोषण करते हैं। इससे एक दिन असन्तोष उत्पन्न हो सकता है।"

इस तरह से बाबू राजबहादुरजी ने चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : आप चाहते हैं वही वे चाहते हैं, फिर क्या बात है ?

एक माननीय सदस्य : चुनाव की दृष्टि से कुछ लिखा जाना गलत है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : यह चिट्ठी तब की है जब ठेका रिन्यू नहीं हुआ था। इसके चार दिन के अन्दर ही दूसरी चिट्ठी आ जाती है जिसमें कहा, "भाई, मैं तो असमर्थ हूँ। इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। आपके भाग्य का फैसला अधर में लटक गया।" यह पत्र है इन्हीं केन्द्र के मन्त्री के दस्तखतों से।

श्री मथुरादास माथुर : आप कहना क्या चाहते हैं ? राजबहादुरजी ने एक चिट्ठी लिखी कि श्रमिकों को सहकारी समिति बनाकर ठेका उनको दिया जावे। इसके बाद गवर्नमेन्ट ने उनकी बात नहीं मानी। राजबहादुरजी सदन के सदस्य नहीं रहे हैं। उनके खिलाफ....

श्री अध्यक्ष : ये खिलाफ नहीं कह रहे हैं। खुद के कथन की पुष्टि में कह रहे हैं कि हम क्या, वे भी कह रहे हैं। फिर भी नहीं किया।

श्री मुकुटबिहारीलाल : मैं निवेदन कर रहा था कि अगर यह बात राजबहादुरजी के खिलाफ नहीं पड़ती है तो राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय के खिलाफ तो जरूर ही पड़ती है और यह इस तरह से पड़ती है कि इस मामले में केन्द्र के मिनिस्टर तक ने हस्तक्षेप किया और सही जो स्थिति थी उसका चित्रण किया, श्रमिकों की खराब दशा का जिक्र किया। तो चार दिन बाद ही दूसरी चिट्ठी उनकी आ जाती है। वह चिट्ठी इस तरह से है। "परन्तु आप जानते हैं कि यह मेरे हाथ की बात नहीं है और मैं इसमें असमर्थ हूँ। राजबहादुर।"

तो इसके माने यह हुए, यह चिट्ठी मैं अपने पक्ष के समर्थन में बता रहा हूँ कि जो बात राज्यपाल के भाषण में कही गई है कि खनिज विभाग की दशा अच्छी और प्रगतिशील है। मैं एक मिनट में ही निवेदन कर दूं कि यहां पर जो यह ठेका दिया गया है वह केवल कुछ ही पैसों में दिया गया है। वहां पर उस ठेकेदार ने प्रति वर्ष ९ लाख का मुनाफा कमाया है, जिसका मैंने हिसाब लगाया है और उसका

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

कच्चा हिसाब मेरे पास मौजूद है। इस सम्बन्ध में पूरा रेकॉर्ड भरतपुर से मैंने मंगाया था। दुर्भाग्यवश अभी वह प्राप्त नहीं हो सका है, पर समय आने पर इस सम्बन्ध में मैं सदन में अवश्य जिक्र करूंगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे स्कैण्डलों को रोकने का सरकार प्रयास करें।

दूसरी बात, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पैरा २६ में श्रमिकों और उद्योगपतियों के आपसी ताल्लुकात के बारे में कहा है कि इनके आपसी सम्बन्ध अच्छे रहे हैं और सुमधुर रहे हैं। इस सम्बन्ध में ज्यादा बात नहीं कह कर एक ही बात कहना मैं इस समय उचित समझूंगा। भरतपुर में एक बिड़ला वेगन फैक्ट्री है उसमें बाबू राजबहादुर-जी के बड़े भाई और दूसरे २ आदमी यहां के कांग्रेसियों के रिश्तेदार मुलाजिम हैं, वे उससे परवरिश पाते हैं। उसमें कितने जबर्दस्त गड़बड़ गोटाले होते हैं, यह तो मैं बजट के समय निवेदन करूंगा; पर अभी तो श्रमिकों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वहां पर कोई मजदूर आन्दोलन करते हैं, श्रमिक आन्दोलन करते हैं अपनी न्याय और उचित मांगों के बारे में जो मजदूरों के हित के लिए कानून में जो प्रावधान हैं उनके अन्तर्गत आते हैं उन कुछ सुविधाओं की वे मांग करते हैं और इसके लिए आन्दोलन करना चाहते हैं तो लाठी और गोलियों के बल पर उन आन्दोलनों को दबा दिया जाता है, लोगोंको जेलों में ठूंस दिया जाता है, आर. ए. सी. की फोर्स लगा दी जाती है। श्रमिकों को उनके क्वार्टरों से निकाल दिया जाता है बच्चों और औरतों के साथ लम्बी-लम्बी खुली रात्रि की कड़कती सर्दी में, कड़कड़ाती ठिठुराती सर्दी में ठिठुर कर मरने के लिए। और जब दूसरी तरफ जयपुर में इन्टक के लोग हड़ताल करते हैं तो उसे जायज करार दे दिया जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कल से आज तक जिन जिन वक्ताओं ने जो जो चित्रण किये उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि राजस्थान में लॉ एन्ड ऑर्डर की, उद्योगों की, पंचवर्षीय योजनाओं की जो व्यवस्था है उनके चलाने का जो इस सरकार का ढंग है वह सब आज इस स्थिति तक पहुंच गई है कि अगर इस व्यवस्था को और इनके इस ढंग को थोड़ा और चलने दिया गया तो इसके वर्स्ट पोसीबल कॉन्सिक्वेन्सेज हो सकते हैं जिससे राजस्थान की जनता अब अधिक बर्दाश्त करने को कतई तैयार नहीं है।

ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव को पारित कर देना हमारे लिए कतई कठिन है और मैं इस प्रस्ताव का तीव्र शब्दों में विरोध और निन्दा करता हूँ और साथ ही सदन से भी निवेदन करता हूँ कि इसे बहुमत से अथवा सर्वसम्मति से ठुकरा दिया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो वाद-विवाद चल रहा है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्यपाल महोदय ने सारे सदस्यों के लिए एक मार्ग प्रदर्शन किया है कि वे इन इन समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करें। उन्होंने अपने अभिभाषण की अन्तिम पंक्तियों में कहा है:

(श्री मुरलीधर व्यास)

"अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उस हद तक जहां तक कि जन साधारण के कल्याण के कार्यों का प्रश्न है एक प्रकार से संधि स्थापित करलें।"

मैं समझता हूं कि उन्होंने स्वयं ने ही हमारे लिए मार्ग-दर्शन रखा है और अब धन्यवाद के प्रस्ताव पर हम उसका विरोध करें या उस धन्यवाद को पारित करें, यह तो सारे सदस्यों के सोचने का सवाल है। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो बातें रखी कि जन साधारण के कल्याण की दृष्टि से सोचिये और अपनी राय प्रकट करिये तो मैं उनके साथ इतनी ही सन्धि स्थापित करते हुए जन साधारण का जो सवाल है, १५ वर्षों में जन-साधारण के कल्याण के दृष्टिकोण से, आम लोगों के विकास के दृष्टिकोण से या सारे हिन्दुस्तान के विकास की दृष्टि से १५ वर्षों तक शासन करने के बाद में लोग मानते हैं, बड़े-बड़े लोग मानते हैं देश के कि देश का विकास, आर्थिक आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों की बात जब देखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि देश की राष्ट्रीय आय तो बढ़ी है, पर प्रति व्यक्ति की आय का अन्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें जन-साधारण को लाभ नहीं है इसलिए सन्धि स्थापित करते हुए उनके धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूँ और इसके लिये कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

राज्यपाल महोदय ने अपने प्रारम्भिक भाषण में चुनाव का जिक्र किया था। चुनाव निष्पन्न हुए या नहीं? उन्होंने इसके पहले भी, ५७ के चुनाव हुए उसमें भी, कल एक जनसंघ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि उस भाषण में तो निष्पन्नता की बात कही गई थी पर आगे के लिए नहीं कही गई। मैंने उनके उस पुराने भाषण को देखा। पता चला कि उसमें भी वही बात निष्पन्नता की है। देखा इसलिये कि पहले चुनाव भी निष्पन्न नहीं हुए, बात कैसे आ गई? न पहले के चुनाव निष्पन्न हुए, न दूसरे और इसको सब जानते हैं कि चुनाव के समय पर जहां तक हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन का सवाल हो, उनके कार्य-संचालन का सवाल है, नीति का सवाल है वहां तक मैं उनका विरोध नहीं करता; पर नीति के साथ ही साथ उसका संचालन जिस नौकरशाही के हाथ में है और उसकी जो व्यवस्था है उसके अन्दर जो गड़बड़ी होती है उसी का यह एकमात्र कारण है कि चुनाव निष्पन्न नहीं हो पाते।

चुनावों के संबन्ध में कई बातें कई सम्माननीय सदस्यों ने कहीं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि चुनावों में प्रचार जिस भद्दे तरीके से हुआ उस प्रचार में खास कर कांग्रेस की ओर से जिस प्रकार के हथकण्डे अपनाये गये उनकी मैं निन्दा करता हूं। मैं बीकानेर शहर की बात करता हूं, राजस्थान की तो बात नहीं कहता। बीकानेर शहर में यदि मोटरों द्वारा और वह भी कांग्रेस की मोटरों द्वारा एक मात्र प्रचार था तो वह यही था कि अगर कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब बनायेंगे तो आपके यहां काम होगा। मैं नहीं समझता कि एक तरफ तो सरकार और पण्डित जवाहरलाल नेहरू जिस लोकतंत्र की दुहाई

Page No 11

(श्री मुरलीधर व्यास)

के नाम पर भाषण देते हैं और कह कर चले जाते हैं कि हम जनतंत्र को मानते हैं और हमारा उम्मीदवार कांग्रेस का ही उम्मीदवार है तो इस तरह से अगर वहां पर कांग्रेस के लोग यह प्रचार करते हैं कि कांग्रेस को वोट दो तो तुम्हारे क्षेत्र में काम होगा, मैं कहता हूँ कि यह जनतंत्र की हत्या है। कांग्रेस के झण्डे के नीचे इस प्रकार का प्रचार होता है तो मैं इसे बुरा समझता हूँ और वह अपने आप ही जनतंत्र की हत्या करते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूँ कि एक भी ऐसा क्षेत्र बता दीजिए कि जहां ऐसा प्रचार न हो। हर जगह कांग्रेस का एक मात्र प्रचार का तरीका था, कोई बात कहने का तरीका था तो एक मात्र यही था कि यदि कांग्रेस का उम्मीदवार होगा तो आपका क्षेत्र फलेगा फूलेगा नहीं तो कोई काम नहीं होगा। मैं इसकी निन्दा करता हूँ। खैर, यह बात तो प्रचार की हुई।

लेकिन प्रचार के साथ ही साथ सरकारी साधनों का दुरुपयोग होता है, एन टाइम पर और मौके पर होता है। कल भैरोंसिंहजी ने कहा था कि अखबारों में इस प्रकार के विज्ञापन दिए गए और वह दो महीने में दिए गए। यह एक ही जगह की बात नहीं है। बीकानेर में एक कागज का—एक पत्र निकलता था दो पेज का। एक पेज में तो पीछे विज्ञापन ही विज्ञापन होते थे और उसके सामने वाले पेज पर यह छपा होता था कि कांग्रेस के उम्मीदवार श्री मूलचन्द को अपना वोट दीजिए। इस प्रकार की बातें सारे राजस्थान में हुई हैं। पैसा सरकार का और प्रचार कांग्रेस के उम्मीदवारों का। मैं समझता हूं कि यह बहुत गलत बात है और इसकी वह जांच करें। तीसरी बात यह है कि जहां तक सरकारी साधनों का सवाल है मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बीकानेर में जिस समय चुनाव की २३ और २४ तारीख की दो रातें थीं और जब कि सरकार ने २४ और २५ तारीख की छुट्टी रखी थी, सारे कर्मचारियों की छुट्टी थी वहां पर पी०डब्ल्यू०डी० के कर्मचारियों को आप देख लीजिए. आप अन्दाजा लगा लीजिए कि वहां के कर्मचारियों ने रात दिन काम किया और क्या काम किया, वह भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने मुहल्लों में ४० पब्लिक टैप्स सिर्फ दो रात में बनाये, यह बात कह कर कि आप अपना वोट इनको दीजिए। इस प्रकार से रिश्वत देकर जो सरकार वोट लेना चाहती है क्या वह लोकतन्त्र के उसूलों की रक्षा कर सकती है? अगर मेरी बात गलत है तो आप पता लगा लीजिए कि इतने पब्लिक टैप्स लगे या नहीं। आज इस प्रकार की बातें होती हैं और भी कई बातें होती हैं। हमें मालूम है कि किन किन लोगों ने क्या क्या काम किये, किन किन ऑफिसरों ने क्या क्या काम किये। मैं उन अधिकारियों के नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को कांग्रेस के पर्चे बांटते और यह कहते सुना है कि कांग्रेस को वोट दीजिए। अगर सरकारी मशीनरी इस प्रकार से साधनों का दुरुपयोग करती है, इस प्रकार से रिश्वत देकर वोट लेते हैं तो हो सकता है कि हमारे यहां पर लोकतन्त्र हो, हो सकता है हम गणतन्त्र में विश्वास रखते हों लेकिन हम अपने ही हाथों से लोकतन्त्र की हत्या

Page No 12

(श्री मुरलीधर व्यास)

करते हैं।

मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि चुनावों के मौके पर निष्पक्षता से चुनाव करना चाहें तो मैं यह मानता हूं कि कम से कम राजस्थान के सारे लोगों को मिल कर फैसला लेना चाहिए अगर हम थोड़ा बहुत भी सोचते हैं कि लोकतन्त्र कामयाब होना चाहिए तो सरकार चुनावों के पहले भंग हो जानी चाहिये और ३ महीने पहले राज्यपाल महोदय के प्रशासन के अन्तर्गत काम चलना चाहिए। इससे यह होगा कि जो रिश्वत दी जाती है वह समाप्त हो सकती है। इतना ही नहीं, चुनावों के बाद की भी परिस्थिति इससे बदलती है। वह इस प्रकार से कि जो लोग इस प्रकार से वोट हासिल करते हैं चुनावों के बाद में भी हमारे यहां के रेवेन्यू मिनिस्टर ने, जो हार चुके थे, हारने के बाद भी कई दस्तावेजों के ऊपर हस्ताक्षर किये। मन्त्री रहते हैं परंतु 'एक नैतिक कर्तव्य मैं समझता हूं कि हार जाने के बाद जो भी दस्तावेज आयें उस संबंध में कम से कम सेक्रेटरी के श्रू जितना काम होता है वह कराये, लेकिन मंत्रियों के हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए। लेकिन मैंने सुना है कि बहुत से हस्ताक्षर हुये। किन किन पर हस्ताक्षर किये, वह तो बाद में सामने आयेगा। तब उनको देखने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं इसको अनैतिक मानता हूं। चुनावों के पहले जो सरकार भंग हो जाती हैं तो, उसको चुनावों के पहले भी किसी प्रकार की अनियमितता करने का मौका नहीं मिले और न बाद में ही करने का मौका मिले। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि चुनावों के बाद भी जो स्थिति बनी वह इस प्रकार की थी कि जिस प्रकार से रस्सा खिंची में जो एक पोइन्ट पर चलता है दोनों तरफ खींचातानी होती है उस स्टेज के ऊपर स्थिति आई है। उस स्टेज के ऊपर ठीक बात है, एक व्यक्ति कांग्रेस में चला गया और कांग्रेस अपने आप में समझती है कि हमारी सरकार बन गई। लेकिन मैं मानता हूं कि आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार तो तब होती कि ८८ आदमी अपने कांग्रेस के घोषणा-पत्र पर आते तो वह कांग्रेस की सरकार होती। हो सकता है कि जो घोषणापत्र के खिलाफ वोट लेकर आपके साथ बैठा है और आप उसको कांग्रेस की सरकार कहें; मैं तो कहता हूं कि वह सरकार नहीं हो सकती, वह अनैतिक सरकार हो है, सकती मिली-जुली सरकार हो सकती है। आप कहेंगे कि उसने हमारे उसूलों को मान्य कर लिया और कांग्रेसी बन गया। मेरी समझ में नहीं आता कि २५ तारीख के बाद २४ घण्टे में २६ तारीख को एक दिन में दिमाग बदल जाता है !

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद) : I think, the Hon,ble Member as Member of the House should refrain from making such type of comments.

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी सदस्य का अपमान नहीं कर रहा हूं। यह तो नीति की बात है। मैं नहीं समझता कि एक क्षण में इतना परिवर्तन किसी के दिमाग में हो सकता है। कल को वह

(श्री मुरलीधर व्यास)

ऐसा कहेगा कि अच्छे अच्छे मिनिस्टरों ने बहुत पटाया, वह यह भी कह सकता है कि २४ घण्टे में समाजवाद का पाठ मुझे सिखा दिया। पर मेरे दिमाग में यह बात नहीं बैठती और इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं। क्योंकि वह बहुत ताकत लगा कर करने का काम था और समझाने का सवाल था, इसलिए आप सिखा सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में यह बात नहीं बैठ सकी। मैं उसको नैतिक सरकार नहीं कहता। मैं तो कहूंगा कियह कांग्रेस की सरकार नहीं है, हो सकता है कि यह गड़-बड़ की सरकार हो, हो सकता है कि रिश्वत की सरकार हो, ईमानदारी की सरकार न हो। खैर, एक तरीका होता है देश में काम चलाने का। यदि थोड़ा भी हम सोचते तो हो सकता है; कि हमारे राज्यपाल महोदय दूसरे लोगों को भी बुलाते और कहते कि ऐसी स्थिति हो गई है आप क्या राय देते हैं, क्या आप भी मिल कर सरकार बनाने की बात करते हैं। इस प्रकार से राज्यपाल महोदय की तरफ से विरोधी दल के लोगों के पास समाचार जाना चाहिए था। परन्तु यह बात नहीं हुई। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा होना लोकतंत्र में आवश्यक था। परन्तु कांग्रेस की नीति साफ नहीं थी। अगर बहुमत में होते तो ठीक बात थी।

यह तो चुनाव का सवाल हुआ है। जो बात मैंने ठीक समझी वह आप लोगों के सामने रखी।

अब योजना के सम्बन्ध में सोचते हैं तो राज्यपाल महोदय ने पहली और दूसरी योजना का हवाला देकर यह बतलाया कि राजस्थान के प्रति व्यक्ति की आय ३१५) रु० हो गई है। आज राज्य के प्रति व्यक्ति की आय ३१५) रु० है और आज से साल भर पहले या छ महीने पहले की बात है कि जब कि प्लानिंग कमीशन पर बहस चल रही थी या थर्ड प्लान पर कोई बहस चल रही थी तो उस समय इसी राजस्थान के प्रति व्यक्ति की आय २७६) रु० थी। मेरी समझ में नहीं आया कि उस समय २७६) रु० थी और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वह ३१५) रु० हो जाय। यह बात कैसे हो सकती है और किस आधार पर यह हुआ है? मैं आज यह कहता हूं कि जो आंकड़े दिए गए हैं वे बिल्कुल गलत हैं। गलत आंकड़े देकर राज्य के प्रति व्यक्ति की आय बढ़ाने की कोई सराहना नहीं की जा सकती, आखिर उसका आधार होना चाहिए। वह आधार आज तक राजस्थान में नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ खास तौर से उनसे जो कि प्लानिंग का काम करते हैं कि १० सालों में जो कुछ हुआ सो हुआ आज आप योजना के संबंध में आंकड़े दें उनमें ३-४ बातें बराबर आनी चाहिए कि साल में प्रति व्यक्ति की आय इस प्रकार से बढ़ी है। वह किस प्रकार से बढ़ी है? वह किन-किन लोगों तक पहुंची है? हमारे राज्य में कितने कर्मचारी हैं जिनकी आय प्रति व्यक्ति कितनी है। ज्यादा से ज्यादा कितने कर्मचारी हैं उनके लिए इन पांच सालों के अन्दर जो कुछ किया है वे आंकड़े हमारे सामने होने चाहिए। वे आंकड़े १० साल से नहीं हैं। परन्तु यह बुनियादी चीज है। जो भी योजनाओं के अन्तर्गत काम किया है उसके द्वारा राज्य के प्रति व्यक्ति की आय जो कुछ

(श्री मुरलीधर व्यास)

भी हुई है वह किस प्रकार से, किस तरीके से कहां तक पहुंची है; किस प्रकार से विकास हुआ है, कितने लोगों को काम दिया गया है कितनी बेकारी की समस्या हल की गई है; बेकारी की समस्या के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने एक पंक्ति भी नहीं लिखी है। जहां हजारों, लाखों हाथ बेकार बैठे हैं लेकिन बेकारी के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक लफ्ज़ तक नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ३१५) रु० आप मानते हैं राज्य के प्रति व्यक्ति की आय तो ३१५) रु० किस बेसिस पर की गई है आज मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य के अन्दर इस प्रकार की सारी आबादी को ले लें तो ४० पर्सेन्ट आबादी इस प्रकार की है जिनकी आमदनी केवल ५ आना राज्य के अन्दर है, उसके ऊपर नहीं है। आपकी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति एक एक घर के आदमी की ३१५) रु० है तो यदि ५ ? आदमियों का परिवार है तो हर आदमी के घर में कम से कम १६००) रु० जाता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह नहीं हो सकता है कि प्रत्येक ५ आदमी के परिवार में १६००) रु० जाता हो। वह वास्तव में ५ आना, ६ आना या ८ आना जाता है। यहां तक कि २५ पर्सेन्ट तो ऐसे हैं जिनको आमदनी २ आना है। जिस राज्य के अन्दर ४० पर्सेन्ट की ५ आना, ६ आना या ८ आना आमदनी हो और २५ पर्सेन्ट की आय २ आना हो, इसके बाद में १३ प्रतिशत की आय ६ आने से ८ आनो तक हैं। टोटल आय वह प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगाई जाय तो ५०) रु० कम वाले ६६ पर्सेन्ट लोग मिलेंगे। जब कि प्रति व्यक्ति को कम से कम १२५) रु० मिलना चाहिए वहां पर अगर टोटल में ६६ पर्सेन्ट के पास ५०) रु० से ज्यादा नहीं जाता है तो इसकी सर्वे होनी चाहिए। मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार हमेशा इस बात के लिए कहती है तो ऐसा आय आयोग बैठाया जाय जो इस चीज़ की छानबीन करे। केन्द्रीय सरकार ने भी इस प्रकार का आयोग बैठाया था। उसने विश्लेषण किया और बताया कि वहां पर मिलने वाली प्रति व्यक्ति आय का ६५ पर्सेन्ट हिन्दुस्तान की १० करोड़ आबादी के पास में जाता है और ३५ पर्सेन्ट ४० करोड़ जनता की रोटी और रोजी के लिये जाता है। यह हिन्दुस्तान का नक्शा है और राजस्थान का नक्शा भी इसी प्रकार से देख लें। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो या उसका और ढंग से जवाब दे सकते हों। परन्तु मैंने जो आंकड़े दिये हैं वे कांग्रेस की जो पत्रिका निकलती है आर्थिक समीक्षा, उसमें ऐसे आंकडे बता सकता हूं कि यह आपकी आर्थिक स्थिति है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि आप आम जनता का विकास करना चाहते हैं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपकी योजनाओं के संबंध में जो भी आंकड़े हों वे इस प्रकार से आयें और उसमें यह बताने की कोशिश करें कि राज्य की आय किस प्रकार से कहां तक पहुंची है। प्रति व्यक्ति की आय किस प्रकार से बढ़ी है, यह अगर आप बराबर देते रहेंगे तो हम समझेंगे कि राज्य में जो कुछ भी काम हो रहा है उसका थोड़ा बहुत लाभ मिला है।

योजना के अन्तर्गत कृषि का उत्पादन

(श्री मुरलीधर व्यास)

बढ़ने की बात कही गई है। मैं मानता हूं कि आपने ८ लाख टन से १२ लाख टन कर दिया वह ड्योढ़ा हो गया है। परन्तु उसके साथ साथ जब कि उत्पादन बढा है तो अनाजों के भाव भी बढ़े हैं। इधर किसानों की आवश्यक चीजों के भाव बढ़े हैं। दोनों में कोई सन्तुलन या बैलेन्स नहीं है। जब अनाज के भाव बढ़ गये तो राज्य की जनता को क्या मिला आपकी योजनाओं से? आज सरकार को इस प्रकार सन्तुलन रखना चाहिए कि हर आदमी को जो अनाज पैदा होता है वह निर्वाह के अनुसार मिल सके। हमारी टैक्स की नीति ऐसी हो कि टैक्स का भार उन लोगों पर नहीं पड़े। कल ही किसी भाई ने कहा था कि हमारे यहां टैक्सेज दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा कम है। मैं कहता हूं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछड़े प्रान्तों जैसे उड़ीसा है उनसे हमारे यहां टैक्सेज सबसे ज्यादा हैं। राजस्थान का जो बजट है उसके अनुसार मैं कहता हूं, नई बात नहीं करता। टैक्सों के बारे में गुमराह नहीं करना चाहता हूं। काफी टैक्सेज़ हैं। टैक्सेज़ के साथ में जो उत्पादन है वह हर आदमी तक नहीं पहुंच पाता।

आज छोटी छोटी बातों को लेकर चलें तो चुनावों के दिनों में आपने देखा होगा कि ५ सालों में पानी का सवाल जैसा अभी है वैसा ही रहा। लूणकरणसर में अभी तक पानी की कमी है। मैं राजस्थान के कांग्रेस के मेनीफेस्टो की बात कहता हूं कि उसमें कहा है कि सब लोगों को पानी सुलभ करेंगे। आज पानी सुलभ करने की बात आप अपने घोषणापत्र में कह सकते हैं लेकिन राजस्थान में पानी की हालत क्या है, १० साल में पानी कहां तक पहुंचा पाया है? आप गांवों में चले जायं, जैसलमेर आदि के इलाके में जहां कि पूरा रेगिस्तान है वहां आपको ऐसी औरतें मिलेंगी जो कि कड़ी धूप में ५–६ मील दूर जाती हैं अपने घरों से पानी लाने के लिये जिसमें उनके ४ घण्टे खर्च हो जाते हैं। कहां तक इन दस सालों के अंदर हमने पानी की समस्या को हल किया?

आप कहते हैं गरीबी के बारे में। चुनावों के अंदर आपने देखा होगा, अपने क्षेत्रों के अंदर देखा होगा कि सर्दियों के अंदर जब आपका लाउड स्पीकर बजाता था तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ कर आ जाते थे। उनको आपने देखा होगा कि उनके तन पर कपड़ा नहीं और सर्दी में ठिठुरते हुए हैं। उनसे आप वोट मांगते हैं! ऐसे लोग आपको नजर आये होंगे जो कि आपके लाउड स्पीकर की आवाज सुन कर वहां इकट्ठे होते थे। उनके पास साधन नहीं हैं। आज हमको उन चीजों को उनके पास पहुंचाना है। आज हमारी योजनाओं को उन गरीबों के घरों तक पहुंचाना है। आज जो हमारे यहां आजादी की गंगा आई है वह आप कहते हैं कि बड़ी कुर्बानी के बाद आई है। मैं मानता हूं कि बड़ी कुर्बानी के बाद आई है। कुर्बानी सब लोगों ने दी होगी। आपने भी दी है, सोशलिस्टों ने भी दी होगी, सब ने दी होगी। कुर्बानी का जहां तक सवाल है हर आदमी ने कुर्बानी दी है। सब के भगीरथी प्रयत्नों से यह आजादी की गंगा आई है। उस समय तो भगवान् शंकर ने उस गंगा को अपनी जटाओं में आने दिया, उसको सम्हाल

Page No 16

(श्री मुरलीधर व्यास)

भी लिया और फिर उसको नीचे पृथ्वी पर बहा दिया आम जनता के लिये। मगर आज जब आजादी की गंगा गिरी वह कांग्रेस के सिर पर या सफेद ताज पर गिरी वह अभी तक ताज के अन्दर ही घूम रही है या कुछ लोगों के आसपास ही घूम रही है। वह जनता तक नहीं पहुंची है। उसको जनता तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए। वह आपकी योजनाएं नहीं कर पाई हैं। जनता तक हमारी योजनाओं को किस प्रकार से पहुंचाना है, उसको पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा प्रयत्न करेंगे योजना के अन्तर्गत। यह दृष्टिकोण रखना चाहिए; आगे आने वाले आंकड़े ऐसे होने चाहिए।

उद्योगों के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। यह भी कहा गया है बिजली और पानी की वजह से औद्योगिक विकास नहीं हो सका है। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में कहा है कि बिजली और पानी मिलने के लिए राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल है। लेकिन जहां पानी और बिजली का सवाल नहीं है वहां पर क्या किया? हर जिले के अन्दर मैं कहता हूं कि बेकारी की समस्या बहुत ज्यादा है। आपका प्लान होना चाहिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अन्दर। प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दें तो कम से कम पब्लिक सेक्टर के अन्दर ऐसा प्लान होना चाहिए, ऐसे उद्योग स्थापित करने चाहिए कि जिनसे जिले के लोगों को काम मिल; बेकार जो लोग हैं उनको काम मिले।

(१२'१० मध्यान्ह)

आज बीकानेर के अन्तर्गत एक ग्लास फैक्ट्री, जो पहले चलती थी उसको बन्द हुए १२ साल हो गये, बन्द पड़ी है, कोई चलानेवाला नहीं है। हजारों आदमी जो काम करते थे वे बेकार हो गये। हमारे यहां दूध बहुत ज्यादा होतां है जो आजकल दिल्ली जा रहा है। हमारे यहां के गौसे-वा संघ की तरफ से बीकानेर से दूध के डिब्बे भर कर बाहर भेजे जा रहे हैं। हमारे यहां पर दूध है, कच्चा माल है, बिस्कुट फैक्ट्री चल सकती है 'आप इस तरह की फैक्ट्री, पब्लिक सेक्टर में भी खोल सकते हैं, अगर खोलते तो लोगों को काम मिलता।

पलाना कोल माइन्स के बारे में आपने कहा था कि सैकन्ड फाइव इयर प्लान में ओपन कास्ट माइन करेंगे जिसमें करोड़ों रुपये लगेंगे। लेकिन आज तक उसे ओपन कास्ट माइन कहीं किया गया। दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार की बात कहते हैं; दुर्गापुरा और भिलाई जहां पर स्टील या लोहे के कारखाने हैं वहां पर उत्पादन कम हो गया और इसका कारण क्या बतलाया जाता है कि कोयला नहीं मिला, करोड़ों रुपयों की शक्ति नष्ट हो रही है, अरबों रुपये खर्च हुए हैं और दूसरी ओर कोयला पड़ा हुआ है उसमें पैसा लगाकर कोयला निकालना चाहिये, लेकिन ५ साल से आज तक जो कमी थी वह वैसी ही पडी है। वहां पर ओपन कास्ट आज तक नहीं हुआ। फिर राज्यपाल महोदय के भाषण में सुनते हैं कि वहां पर ओपन कास्ट माइन चालू करेंगे। जो बात ५ साल पहले सुनते थे वही आज भी सुन रहे हैं।

हनुमानगढ़ में फर्टीलाइज़र फैक्ट्री खोलने के बारे में पहले चुनाव के समय पंडितजी ने

(श्री मुरलीधर व्यास)

अपने भाषण में कहा था, दूसरे चुनाव के समय भी यही बात कही गई थी; लेकिन आज तक हनुमागढ़ में वह फैक्ट्री नहीं खुल पाई; जो उद्योग खुलने चाहिये थे वे नहीं खुल पाये। राजस्थान में जो उद्योग चल रहे थे वे बन्द हो गये। ठीक है, कुछ पैसा मिला जिससे कुछ वापिस चल पड़े; उसके लिये बधाई देता हूं लेकिन कई कारखाने वैसे ही पड़े हैं। मैंने पार्लियामेन्ट में, राज्य सभा में बहस के दौरान जो कहा गया उसे पढ़ा। जिसमें कहा गया था कि बैंगाल कोलरी के एजेन्ट्स हैं वे पैसा खर्च करके इस बात की कोशिश करते हैं कि राजस्थान का कोल बाहर नहीं जाय। इस बारे में मैंने जब राज्य सभा में हुई स्पीच पढ़ी तो मुझे आश्चर्य हुआ; जो लोग इस तरह की राष्ट्रीय अहित की बात करते हैं; चाहे वे मन्त्री ही हों उन्होंने राष्ट्रीय नुक्सान किया है। आज यह कोलरी उदयपुर की धरती के पास होती तो उसका विकास हो जाता, किन्तु दुःख इस बात का है कि उदयपुर की धरती के पास है नहीं, उदयपुर में होती तो ऐसी बात नहीं होती। यह बीकानेर में है, इसके लिये क्या करना है, यह तो आपको सोचना हैं; लेकिन यह जो तरीका पक्षपात का है इसको समाप्त करना चाहिये। मन्त्री अपने अपने क्षेत्रों की बात ही अधिक सोचते हैं। जैसा कि कल कहा था कि ११६ करोड़ रुपये लग गये। मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि १०५ करोड़ की तो कुल स्कीम ही थी, उदयपुर में इतना कहां से लग गया? हम तो यह कहते हैं कि इतने रूपये आपके क्षेत्र में लगे हैं राजस्थान के लगे हैं या केन्द्र के लगे हैं। आखिर आपके क्षेत्र में इतना खर्चा होता है और दूसरे स्थानों पर नहीं होता है तो यह तरीका अच्छा नहीं है, इस तरीके को बदलना चाहिए। मंत्री लोग अपने अपने क्षेत्रों की ओर ही ज्यादा देखते हैं, यह ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह आई कि जोधपुर में विश्व विद्यालय खोलेंगे, उदयपुर में कृषि विश्व विद्यालय खोलेंगे। केन्द्रीय भेड़ अनुसन्धान केन्द्र मालपुरा में या कहीं और खोल रहे हैं। समझ में नहीं आता कि ये ऐसी चीजें हैं जिन पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिये, वह क्यों नहीं लिया जाता। मेरा विश्वास है कि आज कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में खोलते हैं तो उससे राजस्थान की जनता को लाभ नहीं पहुंचेगा। यदि गंगानगर या सूरतगढ़ में खोलते है तो अधिक लाभ पहुंचेगा। जहां पर कि रशियन फार्म है, नये साधन हैं, बड़े फार्म के जो साधन होने चाहिये वे उपलब्ध हैं, नहरें हैं और जहां हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग देखने आते हैं ऐसे स्थान पर कृषि विश्व विद्यालय खोलते हैं तो लोगों को लाभ होता है। आप सिर्फ उदयपुर में खोलना चाहते हैं तो राजस्थान का नुकसान हो करेंगे। एक आयोग बैठाइये जो जांच करे कि कौनसा स्थान किस चीज के लिये उपयुक्त है, उसके बाद खोलिये।

आप विश्वविद्यालय जोधपुर में खोल रहे हैं। हमारे यहां बीकानेर में विश्वविद्यालय खोलने की स्कीम थी, बहुत पुरानी स्कीम थी; गंगासिंहजी के जमाने से स्कीम थी। आप जोधपुर में भी खोलिए, मैं नहीं कहता कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

वहां पर मत खोलिये, लेकिन मैं यह कहता हूं कि राजस्थान के दूसरे स्थानों की ओर भी देखिये, ऐसे स्थान देखिए जो उपयुक्त हों उदयपुर है, कोटा है, दूसरे स्थान हैं; आप एक कमीशन बैठाइये और जांच करके फिर खोलिये।

जहां तक भेड़ अनुसन्धान केन्द्र खोलने का सवाल है, बीकानेर में सबसे ज्यादा भेड़ें होती हैं, जैसलमेर में होती हैं, जोधपुर के आस-पास नागोर में होती हैं। भेड़ अनुसन्धान केन्द्र खोलना है तो इन इलाकों में खोलते। आप मालपुरा में खोल रहे हैं जहां भैंसे हैं। भैंसों का अनुसन्धान केन्द्र खोलना है तो मालपुरा में खोलिए, गधों का खोलना हो तो भरतपुर में खोलिए, सूवरों का खोलना हो तो दूसरे स्थान पर खोलिये....

एक माननीय सदस्य : भरतपुर में घोड़े होते हैं, गधे बीकानेर में ज्यादा होते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : नाराज होने की बात नहीं है। एक प्रश्न पूछा था जिसके जवाब में मंत्रीजी ने कहा था कि भरतपुर में गधे ज्यादा होते हैं; इसलिए मैंने ज़िक्र किया है।....

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : वे अभी आये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी चीज आप करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जांच करके देखें, दूसरों को भी पूरा मौका दिया जाय। यह नहीं कि आप अपने ही यहां सब खुलवा लें। यदि यही परिस्थिति रही तो लोगों के दिमाग बदलेंगे। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के जो सवाल हैं उनके लिये कमीशन बैठाना चाहिये। यह हो गया, इसके बाद मैं दो, चार बातें और कहना चाहता हूं।

शिक्षा के संबंध में बहुत सी बातें हो रही है। हम यह जानते हैं कि छात्रों को चरित्र संबंधी और राष्ट्रीय शिक्षा मिलनी चाहिये। इसके साथ साथ अनिवार्य फौजी शिक्षा भी मिलनी चाहिये। इन तीनों को पढ़ाना पड़ेगा। यदि इसको नहीं जोड़ा तो यह उचित नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार गांधीजी की अहिंसा पर चलने वाली सरकार है। लेकिन न जाने कब कैसा मौका आ जाय। यदि १०, १५ साल में भी फौजी शिक्षा देकर तैयार नहीं किया तो देश की खिदमत नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फौजी शिक्षा अनिवार्य करनी चाहिये और साथ ही चरित्र निर्माण की तरफ ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि शिक्षा सुलभ होनी चाहिये। आपकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि गरीबों के जो बच्चे प्राइमरी स्कूलों में प्रथम श्रेणी में आते हैं तो उनके लिये आगे की पढ़ाई की भी व्यवस्था होनी चाहिये। आज के सामाजिक कारणों से वे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहने चाहिये। आज के समाजवादी ढांचे में ऐसा होना चाहिये। आज की परम्परा यह है कि अफसरों के लड़के हैं वे ही अफसर बनते हैं लेकिन गरीब किसान

(श्री मुरलीधर व्यास)

और मजदूर है उनके बच्चे अफसर नहीं बन पाते हैं क्योंकि हमारे यहां ऐसी ही व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था नहीं है छोटी नौकरी करने वाले और गरीब लोग हैं उनके बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके। उनको भी उच्च शिक्षा का मौका मिलना चाहिये। हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे इस परिस्थिति में लाचारी से रह जाते हैं। शिक्षा का धरातल इस तरह का होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त जहां लॉ एण्ड ऑर्डर का सवाल है मैं उसके सम्बन्ध में एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आज राज्यपाल महोदय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है लॉ एण्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने की। राज्यपाल की क्या, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन नहीं होता है तो शासन की ओर से अव्यवस्था हो जाती है। इसके बारे में अनेक उदाहरण समय समय पर दिये जाते हैं। मैं कहना चहता हूं कि हमारे राज्य के अन्तर्गत हमारे राज्यपाल महोदय ने कहा, १०५ डाकुओं का सफाया हो गया, ठीक ढंग से काम चल रहा है, राम-राज्य है। मैं कहना चाहता हूं कि लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। जो अधिकार पुलिस को दिये गये हैं उनका दुरुपयोग होता है-चाहे हथकड़ी हो, हवालात हो, हन्टर हो या व्हिशल हो। इन चारों चीजों को ले लीजिये। अगर पुलिस वाला व्हिशल बजायेगा तो तांगे वाले को कहेगा कि मैं तुम्हारा चालान करता हूं या तुम आठ आना लाओ। आज व्हिशल दमन का एक साधन है, सेवा का साधन नहीं है। इसी तरह उसके पास हथकड़ी होगी तो वह किसी के घर जायेगा, कहेगा तुम्हें थाने में बुलाते हैं। वह आदमी उसके हाथ में हथकड़ी देखेगा तो घबरायेगा और कहेगा, कुछ न कुछ दे दूंगा तो ठीक है। इसी प्रकार हवालात का दुरुप-योग होता है। थाने में बुलाते हैं तो हवालात का दुरुपयोग होता है। कहते हैं हवालात में बन्द कर दो। ये चारों चीजें चल रही हैं। आप लॉ एण्ड ऑर्डर के लिए कहेंगे कि लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन्ड है, पुलिस की अच्छी व्यवस्था है; मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस आज निरंकुश हो गई है, उसकी ऐसी स्थिति हो गई है कि उसको बदलने की आवश्यकता है। हमारे जो पहले गृह मंत्री थे उनको समय समय पर ये बातें बताई लेकिन वे नहीं मानते थे। मैं नये गृह मंत्रीजी से कहता हूं कि इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बीकानेर का एक उदाहरण आपको दूं। बीकानेर एक में ठेलेवाला सड़क पर संतरे बेच रहा था। मानसिंह, डी. एस. पी. की मोटर निकली। उसने हॉर्न बजाया। ठेलेवाले ने सुना नहीं। डी. एस. पी. उतरा और उसने ठेला उलट दिया। ठेलेवाला चिल्लाया, मेरा ठेला उलट दिया, इतना नुकसान कर दिया, मेरे संतरे नीचे गिर गये। डी. एस. पी. ने उसको पकड़ कर उसके दो तमाचे रखे और एक संतरी को बुला कर कहा इसको थाने पर ले चलो। थाने पर लाकर उसको पीटा गया। मैं डी. आई. जी. और एस. पी. के पास गया। मैंने कहा, आप थाने पर चल कर देख लो, किस तरह उस ठेलेवाले को पीटा गया है। खुद एस. पी. और डी. आई. जी. ने देखा। उसको इतनी मार लगाई हुई थी। उसको देखा और देखने के बावजूद भी

(श्री मुरलीधर व्यास)

मानसिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और वह ठेलेवाला अभी तक कचहरी के चक्कर लगाता है, क्योंकि उसका चालान किया था। अब उस पर जुर्माना किया जायेगा। यह तो होगा ही लेकिन वह आज भी चक्कर काट रहा है। इसी प्रकार मेड़ता के इस्माइल का नाम आता है। कुछ लोग पकड़ कर ले जा रहे थे डाकुओं को थाने पर। मेड़ता पर एक सिपाही बाहर चला गया, दूसरा पानी पीने चला गया, तीसरा कहीं और चला गया। डाकू ने बन्दूक उठा कर इस्माईल को मार दिया और भाग गया। आज भी वह पाकिस्तान में पनाह पा रहा है। आज तक उसका कोई पता नहीं। इस्माइल को मारा गया और आज तक उसका कोई पता नहीं। कोई कहता है कि जगमाल डाकू के गिरोह में है। वह आज भी आजाद है। जगमाल के गिरोह में वह चला गया। अभी अभी अष्ट ग्रह मिले थे, उस समय वहां यज्ञ कर रहे थे और जगमाल वहां पर यज्ञ करवा रहा था। वह रोज आता है और रोज जाता है। यह व्यवस्था है! इसके आधार पर पता लगाना पड़ेगा कि क्या कारण है जिसके कारण ऐसी अव्यवस्था है? आपके सुजानगढ़ में एक पोस्ट मास्टर को रात में ले जाकर मार दिया और पन्द्रह सौ रुपये भी ले गये। किसने मारा, कौन रुपये ले गया, इसका आज भी पता नहीं है। इस प्रकार के जुल्म होते हैं, इस प्रकार की घटनायें होती हैं! इनमें देखना पड़ेगा और लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के लिए जो पॉवर्स हैं उनका उपयोग कहां तक होता है, किस तरह होता है, इस पर ख्याल करना पड़ेगा। जो पुरानी व्यवस्था है, वह नहीं रहे, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जो पुराने गृह मंत्री थे वे नहीं हैं। हम चिल्लाते थे लेकिन वे ध्यान नहीं देते थे। खुशी है कि जो चौपट राज्य चला रहे थे वह चौपट राज्य जयपुर की चौपड़ में चौपट हो गया। आगे ऐसा नहीं होगा, यह उम्मीद करनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके सामने कितने हो मुद्दे रखे, कितने ही थानों में मौत के उदाहरण रखे, कितने ही आदमियों को बुलाया थानों पर और उनकी वहां मौत हो गई। शंकरलाल को थाने पर बुलाया। उसको वहां पर पीटा जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में ताले में बन्द करके उसको अस्पताल में ले गये। वहां पर ले जाकर कहा कि इसको भरती कर लो। डॉक्टर आता है जो वहां पर ड्यूटी पर होता है। वह कहता है, तुम लाश को लाये हो इसको कैसे भरती कर लें? अगर मैं गलत बयान करता हूं तो आप देख लीजिये, मरी हुई लाश को बीकानेर की पुलिस ने अस्पताल ले जाकर भरती कराने के लिए कोशिश की या नहीं? किसलिए? सिर्फ अपने आपको बचाने के लिए। क्योंकि उसको थाने पर बुलाया था और वहां पर पीटा था। उसका लड़का बाप के लिए रोटी लेकर गया तो उसको भी बन्द कर दिया। उसके बाप को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। यह कौनसा तरीका हुआ? मैं समझता हूँ कि वे बातें समाप्त होनी चाहिये हमारे लॉ एण्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने के लिए।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि राज्य की वस्तुस्थिति क्या है। राज्य की वस्तु स्थिति में सहकारिता का एक सवाल आया है। सहकारिता बिल्कुल नाकामयाब हुई है,

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसमें कुछ कहने की बात नहीं है । हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सोलह हजार लाख का कर्जा दे दिया है। अरबों रुपया कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लगाया गया है। उसका लाभ कितना मिलता है ? कितने आदमियों को काम मिलता है ? उससे प्रोडक्शन कितना बढ़ता है ? मैं गलत नहीं कहता, जब पैसा मिल रहा था उस समय बीकानेर के बारे में मैंने एक प्रश्न पूछा कि जो पैसा आप देते हैं, जिस उद्योग के लिए देते हैं वह उस उद्योग में लगाया गया या नहीं ? उससे कितना प्रोडक्शन बढ़ाया, कितने आदमियों को काम मिला और समाजवाद आप लाना चाहते हैं तो उससे कोऑपरेटिव के शेयर्स को क्या लाभ मिला ? ये आंकड़े आप पंचायत समिति को देते रहें कि इतने आदमियों को पैसा दिया, जिससे इतने आदमियों को काम मिला, इतने का प्रोडक्शन बढ़ाया, क्या आपका समाजवाद आया ? तो आपकी सहकारिता क्या है, यह मुद्दा आपको देखना है। इतनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना दीं, उनको इतना लोन दिया, यह बता कर कहें कि बहुत काम कर दिया; तो मैं समझता हूं कि उससे लाभ नहीं मिलने वाला है। काम आप यह बतायें कि इतने करोड़ रुपया दिया तो उससे इतने आदमियों को काम दिया और इतना प्रोडक्शन बढ़ा। अगर आप चाहते हैं कि समाजवाद आये तो जो व्यक्ति विशेष को मुनाफा मिलता है वह अब शेयर्स को मिलना चाहिए। सच्चे समाजवाद को लाने का यही तरीका होना चाहिये। मगर ऐसा नहीं होता है ; जब कि हम चाहते हैं कि समाजवाद आये ऐसी स्थिति में अगर वह आपकी लापरवाही से फेल हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

अभी आपने बसेज का राष्ट्रीयकरण किया। बसेज़ का राष्ट्रीयकरण किया, यह अच्छी बात है लेकिन आपने यह नहीं बताया कि बसेज़ के राष्ट्रीयकरण से कितना लाभ हुआ है, कितनी सहूलियतें आदमियों को दी हैं ; लोगों का टैक्स कम हो गया ? अच्छी अच्छी सुविधायें हो गईं ? अगर आप इस तरह से सोचेंगे, उस तरीके से सोचेंगे तो राष्ट्रीयकरण की तरक्की होगी, सहकारिता की तरक्की होगी और ऐसे अहम् प्रश्न हल हो सकेंगे जिससे जो आप समाजवाद लाना चाहते हैं। उसको ला सकते हैं। अगर उस दृष्टिकोण से नहीं सोचेंगे तो आपका यह समाजवाद नाकामयाब हो जायेगा।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य में जो लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति है वह ठीक नहीं है।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

इसके साथ ही जो सामाजिक विषमता है उसको दूर करने का सवाल है। वह दूर नहीं हो पा रही है और दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। आपको सहकारिता के नाम पर, राष्ट्रीयकरण के नाम पर, अनाज की परिस्थिति के नाम पर, उत्पादन के नाम पर, जो सुविधायें देनी चाहिये वह सरकार नहीं दे पाई है। हमारे यहां यह वस्तुस्थिति हो गई है, जैसा आपने कहा कि १०५ डाकुओं को खत्म किया, मैं आपको कहना चाहता हूं कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

जमीन की सीलिंग का कानून दो–तीन साल पहले पास हुआ, जिसके लिए रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा था कि चुनाव के पहले पहले घोषणा हो जायगी और सीलिंग लागू होगी, लेकिन आज उसको लागू नहीं कर सके। चुनाव के पहले घोषणा की उससे पहले आपने सारी चीजों को बदलने की कोशिश की। उससे आपका राज्य चला। फिर लोगों को गुमराह किया। फिर आपका नहला–दहला चलता रहा। दहले के बाद में गुलाम आ गया। सरकार पर नौकरशाही हावी हो गई। उस पर आपकी सरकार चलती रही। उसके बाद में बेगम का सहारा लिया।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

फिर.......

श्री अध्यक्ष : Order Please !

श्री मुरलीधर व्यास : एक मिनट में समाप्त करता हूं। फिर आपने ऐसे तत्वों का सहारा लिया और राज्य को चलाने की कोशिश की। अब उसके सहारे आप बादशाह बन गये हैं। राजस्थान के बादशाह बन कर राज्य चलाना चहते हैं तो आपको इक्के का साथ रख कर चलना पड़ेगा नहीं तो आपकी बादशाहत समाप्त हो जायगी। राज्यपाल महोदय ने कहा कि संधि स्थापित कर लें। मैं चाहता हूं कि सब एकता में बद्ध होकर काम करें क्योंकि यह समाप्त होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

रावल श्री अमरसिंह जासोल (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय,........

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से अपने सम्मानीय मित्रों के भाषणों को सुना और उन पर बहुत विचार किया। मेरी मान्यता है कि हम जिस तरह से जैसा चश्मा लगा कर देखना चाहें उसी तरह से हमारे विचार बना सकते हैं। दूसरों को उपदेश देने के वक्त हम बहुत बडी बड़ी बातें कर सकते हैं। बहुत तारीफ कर सकते हैं और बड़े जोर शोर से अपने विचार रख सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने ऊपर सोचें, हमारे पूर्व इतिहास पर विचार करें कि हमने क्या क्या किए हैं, उस पर सोचें तो मैं यह कहूंगा कि आपको अपने ऊपर ग्लानि होती है। आज हम पर हमारे माननीय मित्र जो मेरे से पूर्व बोल चुके हैं सबसे पहले बड़ी विद्वत्तापूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी बातें कहीं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने शासन काल में जनता पर क्या क्या जुल्म किये और हट जाने के बाद भी किन किन षडयन्त्रों में वे पड़े और किन २ बातों में पड़कर इस प्रजातन्त्र का गला घोंटा वे भूल जाते हैं कि उनको खुशी है इस चीज से कि उनका शासन चला गया। तो मैं यह कहूँगा कि उनको इस बात का गम भी बहुत अर्से तक रहा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, ये पुराने इतिहास की बातों को कहें कि हमारे पूर्वजों ने जो जो लड़ाइयें लड़ीं....

एक माननीय सदस्य : उनको डेमोक्रेसी शुरू हुई उसके बाद की बातें कहनी चाहिए।

अन्य माननीय सदस्य : क्या इससे आप यही चाहते हैं कि आपके जमाने में भी वे ही बातें होती रहें ?

एक माननीय सदस्य : मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी भी वही होता है जैसा पहले होता था।

अन्य माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आप इस चीज को सदन के सामने रखना चाहते हैं कि जिस तरह से जुल्म और ज्यादतियें पहले राजाओं के जमाने होती थीं वे कांग्रेस के समय भी ज्यों की त्यों रहे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरी समझ में नहीं आया आपने जो कहा।

एक माननीय सदस्य : आप कमेन्टरी कर रहे हैं।

अन्य माननीय सदस्य : मैं केवल आपके कहे हुए शब्दों पर कहता हूँ। कोई कमेन्टरी भी इसको नहीं कह सकते, बल्कि ऐसा जाहिर कर सकते हैं कि इस युग में महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानने वाले....

श्री अध्यक्ष : आपको भाषण देने का मौका मिलेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हमारे माननीय सदस्य जरा सुनने का कष्ट करें। अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया है। तो माननीय अध्यक्ष, मैं सारी बातें कहूंगा। वह हिन्दुस्तान की आजादी आने के बाद की कहूँगा। मैं नहीं चाहता कि पुराने इतिहास को दोहराया जावे, उस इतिहास को जिसको हिन्दुस्तान की जनता भली भांति जानती है और जिसके बारे में कई पृष्ठ लिखे जा चुके हैं; उस इतिहास को मैं दोहराना नहीं चाहता। आज हिन्दुस्तान की जनता पुराने इतिहास को नहीं भूली है और अच्छी तरह जानती है और आज भी जब हम चुनावोंमें जाते हैं और हमने देखा है कि उन चीजों की पुनरावृत्ति होती है। किस तरह से लोगों को आतंकित किया जाता है किस तरह से बंदूक और तलवारों से लोगों को धमकाया जाता है और धमकियें दी जाती हैं और उनको बहकाया गया है ? हमने इस चीज को भी देखा कि किस तरह से लोगों को शराब के नशे में करके वोट हासिल किये गए और किस तरह से पैसे की नदियें बहाई गई। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। कहने को यह कहा जाता है कि मालपुरा में इतनी गिरफ्तारियें हुईं। मालपुरा में यह हालत थी कि कांग्रेस की मीटिंग तक नहीं करने दी जाती थी और पथराव....

एक माननीय सदस्य : यह क्या बात है ? राज्यपाल महोदय ने तो अपने अभिभाषण में कहा है कि चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप धैर्य रखिये, सुनिये। मैं यह कहूँगा कि उस क्षेत्र में बाहर से लोगों को बुलाया गया। इसलिए बुलाया गया कि कांग्रेसमैन को डराया जावे और धमकाया जावे और पब्लिक पर ऐसा असर पैदा किया जाए कि डर कर वोट दे।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

आज बड़ी बड़ी बातें यहां कह सकते हैं। आज करप्शन और भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। लेकिन हमारे मित्र इस चीज को भूल जाते हैं कि अगर सरकारी नौकरों को भ्रष्टाचारी बनाया है तो आपने। आप यह कहते हैं कि पुराने नौकरशाही में आपने काम किया है और उनको यह दम (बुत्ता) देकर कि आप हमारे पुराने साथी रहे हैं, आपने हमारे यहां का नमक खाया है, इसलिये आप यह करिये, आपको हमारा साथ देना चाहिये। ऐसे नौकरशाही को भड़का कर, इस तरह से भ्रष्टाचार में लाकर जिन लोगों ने वोट हासिल किये हैं वे आज यहां ऐसी बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वे पहले अपने आपको टटोलें और जो चरित्र निर्माण की बातें करते हैं वे सोचें कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके प्रचार और गालियें देने का स्वागत करते हैं। किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उनको अधिनायकवाद की शिक्षा दी जाती है और किस तरह से नफरत की मनोवृत्ति पैदा की जाती है।

एक माननीय सदस्य : It is a matter of election petition.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : That is what wae said yesterday.

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को गवर्नर के अभिभाषण के सम्बन्ध में बोलना है न कि चुनाव के बारे में। इसलिए ज्यादा अच्छा हो कि इस प्रकार की बातों में ज्यादा समय नहीं लिया जावे ; इसके लिये मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा।

रावत श्री मानसिंह महार : इनके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन हो रही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिस तरह से सुना करते थे कि एक तस्वीर दिखाई जाती है उसमें एक किसान के रोंगटे उखाड़ते हुए दिखाये जाते हैं। इस प्रकार करने वाले हमारे भाई कहते हैं कि ठीक तरह से हमने क्या किया। आज हम यहां पर हैं इसलिए वे कहते हैं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि कथनी और करनी में बड़ा अन्तर होता है। जिस अधिनायकवाद और जिस नफरत के वातावरण को फैला कर हमने अपने पूज्य बापू, जिसने हमारे देश को आजादी दिलाई उस वातावरण में एक नौजवान ने उनकी हत्या की, उसको फैलाया जाता है....

एक माननीय सदस्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, गलत ये बात कहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फिर यह कहा जाता है कि हमने कुछ नहीं किया।

यह कहा जाता है कि हमने बड़े उसूलों पर चुनाव लड़े हैं, बड़े सिद्धान्तों पर चुनाव लड़े हैं। मैं समझता हूं कि यह कहना गलत है और हमको इस सम्बन्ध में अपने आपको टटोलना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष, हो सकता है कि कुछ अंश में ऐसी बात हुई भी हो। हो सकता है कि कहीं कुछ कर्मचारियों ने हमारे सामान्य मित्रों का साथ दिया हो, वहां कुछ गलती भी की हो ; लेकिन राज्यपाल महोदय का यह कहना कि शांतिपूर्ण तरीकों से चुनाव सम्पन्न हुए, जहां तक इसका सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

जो मामले हैं वे सब इलेक्शन पिटीशन में आने के हैं। जिसको किसी प्रकार का ऐतराज हो वह इलेक्शन पिटीशन में ले जा सकता है। लेकिन यह कहना कि जो कुछ किया गया वह अनुचित किया गया इसलिये इस चीज के जवाब देने की आवश्यकता है कि मैं इस चीज का जवाब देता। मैं इतना जरूर कहूंगा, माननीय अध्यक्ष, कि आखिर हमें भी पब्लिक ओपीनियन का ख्याल रखना चाहिये. हमें भी आम जनता की राय किस तरफ जाती है उसका ध्यान रखना चाहिये। हमें भी जो माननीय सदस्य हमारी तरफ बैठे हैं इस तरफ ध्यान रखना होगा कि वास्तव में पब्लिक में किस बात से नाराजगी है। तो उस नाराजगी को हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। हमारे माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं उनकी बातें सच्ची हो सकती है और कई बातें मैं कहना चाहता हूं कि सच्ची हो सकती है और उन बातों पर गौर करना चाहिये। आज पूर्वी राजस्थान की जनता में एक बड़ा भारी असंतोष है कि आज जयपुर से राजस्थान हाई कोर्ट की ब्रांच को हटा कर जोधपुर ले जाया गया, इस वातावरण से हमें नुकसान हुआ है। हमें उस ओपीनियम की कद्र करना चाहिये और सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को निश्चय करना चाहिये कि वापिस जयपुर में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना की जाय।

खाद्यान्नों के बारे में माननीय राज्यपाल ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है। यह मानना पड़ेगा हमको कि खाद्यान्नों की दृष्टि से अपना इन्तजाम खुद कर सकते हैं, अपनी पूर्ति खुद कर सकते हैं। पैदावार हमारी बढ़ी है, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि इस बारे में जो कमियां रह गयी हैं उनको पूरा करें। यह ठीक है, जैसा हमारे अलवर से आने वाले सम्माननीय मित्र ने कहा कि आज आंकड़ों की दृष्टि से हो सकता है कि हम अच्छे हों। यह हो सकता है कि आज पैदावार ज्यादा बढ़ी है, लेकिन इसको भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि भाव भी काफी बढ़े हुए हैं और हमें इस बात का प्रयत्न करना होगा कि हम भावों को किस तरह से नीचे ला सकते हैं, किस तरह भावों में कमी लाकर आम जनता को तसल्ली दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक मात्र उपाय यह होगा कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ायेंगे ज्यादा से ज्यादा पूर्ति कर सकेंगे तो नेचुरल तरीके से भावों में कमी आयेगी और भाव गिरेंगे।

पंचायतों के बारे में उनकी टैक्सेशन की पॉलिसी के बारे में भी हमारे सम्मानीय मित्र जो आसपुर से आये हैं उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया। वैसे तो पंचायतों को अधिकार है कि वे अपनी टैक्सेशन पॉलिसी का खुद निर्णय करें कि किस चीज पर टैक्स लगाना चाहिये और किस चीज पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। लेकिन यह आवश्यक है कि हम उस पर कुछ नियन्त्रण रखें। राजस्थान में पंचायतों के टैक्सेज़ की पॉलिसी एक तरह की हो, एक तरह के टैक्सेज़ करीब करीब सब पंचायतों में लगें और उस पर अच्छी तरह विचार करने के लिए मैं एक आवश्यक सुझाव देना चाहता

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हूं कि यह आवश्यक है कि ऐसी कमेटी की स्थापना करें कि पंचायतें किन किन चीजों पर टैक्स लगा सकती है, किन किन चीजों पर टैक्स लगाना चाहिये और एक युनिफॉर्म पॉलिसी पंचायतों के टैक्सेज् की हो उसको एडॉप्ट करें सारे राजस्थान के अन्दर।

यह मानना पड़ेगा और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि राजस्थान में उद्योग बढ़ें हैं। राजस्थान में उद्योग दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहें हैं और एम्प्लोयमेन्ट पोटेन्शियलिटी भी बढ़ी है; काफी मजदूरों को रोजी मिलने लगी है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि औद्योगीकरण की दृष्टि से हम इस बात को भूल न जांय कि मोनोपोलिस्ट टेन्डेसीज उद्योगों में आयी है। एक ही व्यक्ति इस वृत्ति के जरिये, जिसके हिन्दुस्तान में और भी कई उद्योग हैं, वह राजस्थान में आकर यहां पर भी उद्योग लगाये। हम यह चाहेंगे कि एक एक व्यक्ति को सहकारिता के जरिये उद्योग यहां खोलने दिये जांय और उन व्यक्तियों को कम इजाजत दी जाय जिनके पास बहुत उद्योग इस देश में है। उससे यहां के उद्योगों में जनता को और लेबर को काफी फायदा होगा वर्ना सबसे जबरदस्त खतरा होगा। अधिक उत्पादन के सहारे एक बात भूल जाते हैं, इस नारे में भूल जाते हैं कि कितना एक्सप्लोयटेशन श्रमिकों में होता है। श्रमिकों में जाकर बैठते हैं, यह नारा उनको देते है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढायें लेकिन यह बात भूल जाते है कि अधिक उत्पादन से प्राप्त कितना हिस्सा उन मजदूरों के पास पहुंचता है। बड़े बड़े उद्योग जिनका प्रोडक्शन, जिनकी पैदावार काफी बढ़ चुकी है, उद्योगपतियों ने उस मुनाफे में से अधिक से अधिक हिस्सा लेने की कोशिश की है। जैसा कहा गया है कि अधिक से अधिक नुकसान दिखाने की कोशिश की है, उचित रूप से जो पैसा मजदूरों को बोनस के रूप में देना चाहिये उसके लिए ना की है। इसलिए हमें अपनी नीति को इस बारे में साफ करना पड़ेगा कि श्रमिकों को उस एक्सप्लोयटेशन से बचाना चाहते हैं या नहीं? अब तक हमारी नीति रही है कि एक तराजू के पलड़े लगे हुए हैं। एक तरफ श्रमिक और दूसरी तरफ कैपिटेलिस्ट को तोला है। हमें उसमें परिवर्तन करना चाहिये। जो सरकार इस बात की हामी रखती है कि हम कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं तो जो श्रमिक एक्सप्लोयटेशन से पीड़ित हैं जो, केपिटलिस्ट्स के जुल्मों से आतंकित हैं उठ नहीं सकता उसके लिए नीति बनानी पड़ेगी। ऐसा फन्ड बनाना चाहिये जिससे मजदूरों को केसेज़ लड़ने के लिए सरकार की ओर से मदद मिल सके। वर्ना श्रमिक पिसते चले जावेंगे अधिक उत्पादन के नारे में। हमको श्रमिकों का ख्याल रखना पड़ेगा। यह कहा जाता है कि श्रमिकों के लिए क्या कर रहे हैं, उस पर गौर करना चाहिये।

राजस्थान में भूमि-सुधार जिस गति से हुआ है और जिस तरह की हालत यहां के किसानों की १० वर्ष पहले थी उसमें सुधार हुआ है। जिस तरह जमीन पर किसानों को हक मिला है, जिस तरह जमीन का किसान

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

खुद मालिक बना है उससे हम समझते हैं कि आज हिन्दुस्तान में जितनी प्रगति यहां हुई है उतनी कहीं नहीं हुई होगी। लेकिन फिर भी हमें और आगे बढ़ना है, तीव्र गति लानी है। यह ठीक है, कई किसान ऐसे हैं, कई मजदूर ऐसे हैं जो खेती करना चाहते हैं लेकिन जमीन नहीं है। जहां जमीन है उनके पास बैल नहीं है, औजार नहीं हैं। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि भूमिहीनों को जो खेती करना चाहते हैं उनको रोजगार दें, उनको जमीन दें, जहां उपलब्ध हो सके वहां पर उनको जमीन दें और इसके लिए यह आवश्यक है कि सीलिंग कानून जो इस सदन ने पास कर दिया था उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेन्ट किया जाय। राजस्थान का बड़ा तबका जो गरीबी से पीड़ित है, जो गरीबी से मर रहा है उसको उठाने के लिए सीलिंग जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिये। मैं तो यहां तक कहूंगा कि सीलिंग ही लागू नहीं होना चाहिये, हमारी नीति आगे बढ़नी चाहिये और वह प्रोपर्टीज़ तक आना चाहिये और प्रोपर्टीज़ पर सीलिंग आना चाहिये। यदि सच्चे माने में समाजवाद कायम करना है, यदि सच्चे माने में समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो हमें ये दोनों मेजर्स लेने चाहिये। सीलिंग वाले कहेंगे कि मेरे ऊपर सीलिंग लगा दी, उसके पास इतने मकान हैं, आखिर लोगों को मकानों की भी जरूरत है। समाजवाद के सिद्धान्त के मुताबिक एक व्यक्ति के पास इतनी प्रोपर्टी क्यों रहे, इतने मकान क्यों रहे रहने के लिए, इसलिए सीलिंग प्रोपर्टी पर भी लागू करें।

इसी तरह से हमें दूसरे स्टेप लेने चाहिये। वे यह हैं कि हम आमदनी के ऊपर भी सीलिंग लगायें। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति आज यहां नीचे से नीचे चपरासी का काम करता है उसकी आमदनी में और बड़े से बड़े ऑफिसर की आमदनी में कितना भारी फर्क है, गरीब दूकानदार और बड़े से बड़े केपिटलिस्ट की आमदनी में कितना फर्क है, इस फर्क को हमें दूर करना है, धीरे धीरे मिटाना होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि कई ऐसी बातें हैं जिनका आम लोगों के ऊपर असर पड़ता है। फूड एडल्टरेशन के रूप में जो लाइसेन्स एक-एक, दो-दो रुपया रोज कमाने वाले दूकानदार बैठते हैं उनको भी वह पैसा देना पड़ता है। मुझे उस समय ताज्जुब हुआ जिस समय एक बुढ़िया मेरे पास आई जो दो-तीन बीड़ी के बन्डल, सेवें और कुछ खाने की चीजें लेकर गांव में बैठती है। उसे कहा गया कि तुम्हें लाइसेन्स लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा चालान कर देंगे। माननीय अध्यक्ष, गरीबों के ऊपर, छोटे तबकों के ऊपर असर डालने वाली इस तरह की चीजें हैं उनकी ओर ध्यान देना पड़ेगा और उन पर से पाबन्दी को हटाना होगा।

एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे सम्माननीय मित्र ने कहा कि वे नेशनलाइजेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट के विरोधी हैं, वे विरोधी हैं कि इस प्रकार का नेशनलाइजेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट नहीं होना चाहिये। कहा गया कि टैक्स बहुत बढ़ गये हैं। मैं तो इस बात को नहीं मानता कि टैक्स बहुत ज्यादा लग चुके

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हैं। पर हमें ऐसी आमदनी खड़ी करनी पड़ेगी बगैर लोगों पर टैक्स लगाये, हमें नॉन टैक्सेज़ रेवेन्यू को बढ़ाना होगा और इसका जरिया यह है कि बहुत से उद्योग जिनसे बड़ा फायदा हो सकता है उन उद्योगों का नेशनलाइज़ेशन करें। ट्रान्सपोर्ट एक ऐसा उद्योग है जिसका राष्ट्रीयकरण किया जाय तो राज्य को काफी आय हो सकती है। ट्रान्सपोर्ट के राष्ट्रीयकरण की घोषणा १० वर्ष पहले की गई, बसेज़ भी पहले ही काफी तादाद में मंगा ली गईं, वे वर्षों से बेकार पड़ी हैं पर रूट्स का नेशनलाइज़ेशन नहीं हुआ है। रिट की जाती हैं, कानून में खामियां होकर सुप्रीम कोर्ट से स्टे आता है, पर इससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉ डिपार्टमेंट से जो लॉ बनता है उसने जिस प्रकार का लॉ बना कर दिया है वही प्रकाशित हो रहा है या कोई वर्ड इधर-उधर होकर छपने गया है। छपने के बाद में फिर मालूम होता है कि यह शब्द कहां गया। हकीकत यह है कि लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि इस तरह की खामियां रहे। चाहे छापाखानों में रह या दूसरी जगह रह जायं। ट्रान्सपोर्ट के राष्ट्रीयकरण के जरिये राजस्थान में आमदनी काफी मात्रा में बढ़ सकती है। यह ठीक है कि इन्तजाम ठीक नहीं है, ट्रान्सपोर्ट के ड्राइवर और कन्डक्टर बहुत पैसा खाते हैं, मैंने सदन में पहले एक केस रखा था। एक केस पकड़ा था कि ट्रान्सपोर्ट के कन्डक्टर पैसे खाते हैं। मैंने इस मामले को स्टडी किया है और जब भी मौका आयेगा मैं अपने अनुभवों को बताने को तैयार रहूंगा कि किस तरह नेशनलाइजेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट को कामयाब बनाया जा सकता है, जितनी सेवाओं की आवश्यकता होगी देने को हम तैयार रहेंगे।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि काफी मात्रा में इन १० सालों में काम हुआ है, सिंचाई के बारे में, कॉम्युनिकेशन्स के बारे में, सड़कों और स्कूलों के बारे में बहुत काफी प्रगति हुई है। पर थोड़ा रुक कर हमें देखना चाहिये कि जो कुछ हमने किया है वह उचित ढंग से किया गया है या जितने काम हो रहे हैं उनमें एफिशियेन्सी कितनी है, स्कूलें खुली हैं तो मास्टर लोग उनमें रेगुलरली जाते हैं कि नहीं, उन स्कूलों में किताबें समय पर पहुंचती हैं कि नहीं, पढ़ाई के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध होते हैं कि नहीं, स्कूलों में पढाई रेगुलरली चलती है कि नहीं। सिंचाई के मामले में रुक कर इस बात को कन्सोलिडेट करना चाहिए कि जो कुछ किया है ठीक तरह से हुआ है कि नहीं। तो हमें पता चलेगा कि जो-जो खामियां रह गई हैं उनको पहले दुरुस्त करें आगे चलने से पहले।

राज्यपाल महोदय ने एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा कि बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, यह बात बहुत अच्छी है, लोगों को काम धन्धा मिले, बेकारी नहीं बढ़े, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलने की सुविधा हो। टैक्निकल एज्युकेशनल के बारे में कहा गया कि अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध करें; पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके साथ ही साथ इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाना

Page No 29

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

चाहिये कि एड्मिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्डीचर बहुत हद तक बढ़ा हुआ है उसको कैसे कम करें। दफ्तरों को जाकर देखें। रिसीट क्लर्क है, डिस्पेच क्लर्क है, टाइपिस्ट्स हैं, पर होता यह है कि दिन भर में मुश्किल से एक-दो चिट्ठी रिसीट होती है, एक, दो चिट्ठी डिस्पेच होती है और एक, दो चिट्ठी टाइप होती है, ट्रान्ज़ेक्शन बहुत कम होता है। मैथड्स एन्ड आर्गनाइज़ेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटेरियट में काम करता है, उसको केवल सेक्रेटेरियेट में ही सीमित नहीं रखना चाहिये. वह राजस्थान में सब जगह जाकर देखे कि लोग बैठे तो नहीं रहते हैं पुरुषार्थ की तो नहीं खाते, लोग ठीक तरह से काम करते हैं कि नहीं। इससे हमारे एड-मिनिस्ट्रेशन में अच्छाइयां आयेंगी। हमें अपना एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल नौकरी के अलावा और कामों को बनाना चाहिये, और भी उपाय काम में ले सकते हैं जिससे कि ज्यादासे ज्यादा लोगों को काम मिल सके, रोजगार मिल सके। खाली सरकारी नौकरी को एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल मानना गलत है।

एक बात में और निवेदन करना चाहूंगा इसके साथ कि हमारे यहां शासन में too much of Departmentalization जिनका अलग अलग टाइ अलग जीप आदि हैं, इसके बारे में भी सरकार को चाहिये कि छान-बीन करे कि ये डिपार्टमेंटस्त कन्सोलिडेट किये जा सकते हैं कि नहीं, एक जगह एक आदमी दो-तीन काम साथ साथ कर सकता है कि नहीं, कम काम हो तो उस डिपार्टमेंट में कमी करनी पड़ेगी।

हमारे एक सम्माननीय मित्र ने जो उस साइड में बैठे हुए हैं, उन्होंने सदन से कल निवेदन किया था कि कुछ हम लोगों में कम-जोरी है कि हम किये हुए वायदों को पूरा नहीं कर रहे हैं। जो कानून लागू किए उनका पालन नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इधर बैठे हैं, उनकी मिलाकत उन लोगों से तो नहीं है जो उधर बैठे हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हमारे दिलों में भी वही आग है जो उनके दिलों में है, हम भी देश में समाजवाद कायम करना चाहते हैं, फर्क इतना हो सकता है कि हम नरमी के साथ ज्यादा विरोध पैदा नहीं करके करना चाहते हैं। तो यह अपनी अपनी नीति का फर्क है, पर उनको जो अन्देशा है वह उनको अपने दिमाग,से निकाल देना चाहिए। जो जो वायदे आजादी से पहले किये हैं, जिन वायदों को लेकर जनता के सामने आए हैं उनको लेकर चलेंगे।

हम उन चीजों को जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक हैं उनको पूरा करके रहेंगे। हममें राष्ट्रीयकरण की भावना है। हम भी पूंजीवाद की प्रणाली नहीं चाहते, उसको खत्म करना चाहते हैं। हमने तरक्की भी काफी की है, । सिंचाई के मामलों में काफी तरक्की की है,बिजली के मायने में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं;लेकिन इसमें भी यह है कि जिस हद तक हमें तरक्की करनी चाहिए उस हद तक तरक्की नहीं कर पाए हैं। सिंचाई में वृद्धि ६ परसेण्ट से ११ परसेण्ट हुई है। यू०पी० का मुकाबला हमारे यहां से करना चाहते हैं। वहां तो पहले भी २५ और ४० प्रतिशत थी। उस हिसाब से हमारे यहां जो सिंचाई में ११

Page No 30

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

परसेण्ट की वृद्धि हुई है उसको भी काफी मानना चाहिए। हमारा राजस्थान इलाका है उसमें रेगिस्तान भी काफी है, उसका अनुपात लगाया जाय तो हमारे यहां सिंचाई में काफी वृद्धि हुई। हम यहां का मुकाबला यू० पी० और पंजाब से करना चाहते हैं, तो यह गलत है। राजस्थान नहर के आने के बाद हमारा रेगिस्तान का इलाका काफी सरसब्ज हो सकता है। जिस इलाके में आज राजस्थान नहर लाने का इरादा कर रहे हैं कभी किसी को भी स्वप्न में भी यह आशा नहीं थी कि रेगिस्तान का इलाका इस प्रकार से सरसब्ज होगा। आज वह स्वप्न सत्य रूप में होने जा रहा है। इसके साथ ही हमें अपनी लिमिटेशन को भी देखना पड़ेगा, हमारी मुश्किलातों को भी देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ, कि कॉंग्रेसी शासन में देश ने तरक्की की है और काफी की है, फिर भी इसमें कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हम और आप सब मिल कर जो भी सुझाव देंगे उसके अनुसार कार्य करते रहने में सुविधा होगी। इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री निरन्जननाथ आचार्य।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमंद): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है इस सम्बन्ध के विवाद में कुछ उद्विग्नता, कुछ रोष है, अधिकतर विरोधी दल की ओर से प्रगट हो रहा था। होना तो यह चाहिये था कि अभिभाषण में जो मुख्य अङ्ग हैं उनके विषय में, उनकी प्रगति के विषय में क्या उचित है, क्या उचित नहीं है; प्रगति तीव्र है या शिथिल, इस सम्बन्ध में सुझाव सदन के माननीय सदस्यों की ओर से आते तो बहुत उचित होता। लेकिन जिस प्रकार के भाषण हुए उससे स्थिति दूसरी ही मालूम होती है। रोष भी वाजिब है। चुनावों में कुछ गलतियां हुई हैं; कुछ ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन सदन का यह अमूल्य समय उस रोष के निकालने में उपयोग किया गया तो मैं समझता हूं कि सदन को उनके सुझावों से वंचित रखना है।

अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य के भाषण के बाद तो ऐसा प्रतीत हुआ कि आज वातावरण शांत है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रमुख अंगों पर सदन के माननीय सदस्यों को विचार करना है। इस भाषण का पहला अंग है राज्य के प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि, दूसरा अंग है लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का; जिसमें लोगों का विकास कार्यों में योगदान ५३,००० रु० प्रति खण्ड से बढ़ कर १९६१–६२ में ८०,००० रु० प्रति खन्ड हो गया है। इस भाषण का तीसरा अंग है जनता के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण। बड़े उद्योग-धन्धों को बढ़ाया गया है, लघु सिंचाई योजनाओं में वृद्धि की गई है आदि....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह तो हम पढ़ चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : हमने भी पढ़ लिया है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : The Hon'ble Member should observe the decorum of the House. He must either seek my permission or of the Chair.

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है; जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह तो हमने राज्यपाल महोदय के भाषण में पढ़ लिया है। उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य केवल उस भाषण में से आंकड़े पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों की दृष्टि उधर खींची जा सके।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I hope, Sir, when I am speaking I should not be interrupted.

श्री योगेन्द्रननाथ हांडा : यह परम्परा तो आप ही की तरफ से डाली गई है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, कल जिस प्रकार का वाद-विवाद हुआ उनमें इन मुद्दों पर ठोस सुझाव नहीं थे। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने भाषण के द्वारा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया। वह भाषण था माननीय सदस्य श्री रामानन्द का जिन्होंने इन प्रश्नों पर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से अपने विचार प्रस्तुत किये और अलग अलग स्थिति का विश्लेषण करके सुझाव भी दिए। मेरी मान्यता है कि जिन सुझावों का उन्होंने जिक्र किया उनके बारे में सरकार अपने विचार रखेगी। वे माननीय सदस्य जिन्होंने सही रूप से सदन को कॉन्ट्रीब्यूट किया है धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल : माननीय अध्यक्ष, व्यवस्था का सवाल है। यहां पर कोई माननीय सदस्य किसी सदस्य के भाषण के लिए सर्टिफिकेट नहीं दे सकते और किसी को उसके भाषण के लिए ना-लायक साबित कर दिया जाय यह उचित नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I am in possession of the Floor, Sir. He must have patience. I am only complementing the Hon'ble Member.

एक माननीय सदस्य : जबरदस्ती कोई कैसे सर्टिफिकेट ले सकता है ?

श्री कुंमारानन्द : अध्यक्ष महोदय, इसमें सर्टिफिकेट का सवाल नहीं है। एक माननीय सदस्य किसी सदस्य के भाषण को रेफर कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विरोध में बोलने से तो यह अच्छा ही है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : There is nothing wrong in it. दूसरा, भाषण का जो स्तर था हम बड़ी आशा रखते थे, स्वतंत्र पार्टी के माननीय नेता के भाषण से। हम यह सोच रहे थे कि वे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रमुख अंगों पर प्रकाश डालेंगे और अपने सुझाव देंगे, लेकिन जैसा कि

(श्री निरन्जन नाथआचार्य)

मैंने पहले निवेदन किया था हममें कुछ उद्विग्नता और रोष है। कुछ नाराजगी है चुनावों के सम्बन्ध में। वह नाराजगी और रोष उनको बाध्य करते हैं। चाहिये तो यह था कि हम जब चुन कर आ गये हैं, अपने चुनाव क्षेत्र की जनता का विश्वास प्राप्त करके सदन में आगए हैं तो हमें उनके विकास की ओर ध्यान देना चाहिये। लेकिन हमारे स्वतन्त्र पार्टी के नेता महोदय के भाषण से यह पता चलता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र की देखरेख आज से ही आरम्भ कर दी। हम तो यह सोचते थे कि वे अपनी रीति-नीति और अपने सिद्धांतों पर कुछ कहेंगे, लेकिन जो कुछ उनके द्वारा कहा गया, डूंगरपुर और डूंगरपुर से बांसवाड़ा और इर्द गिर्द के प्रश्न को लेकर जो कुछ कहा गया उससे हम जिस प्रकार की अपेक्षा उनसे करते थे वह आकांक्षा पूरी नहीं हुई। इस पैमाने पर साम्यवादी सदस्य ने जो अपने विचार प्रगट किये मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। उनकी ओर से कुछ टोस सुझाव मिले हैं जिनका उत्तर दिया जा सकता है। स्वतन्त्र पार्टी के नेता ने कहा कि कई जगहों पर कुओं के लिए पैसा लिया गया, लेकिन वहां पर खड्डे ही रह गए जहां पर पेशाब किया जाता है, तालाबों और बन्धों के लिए पैसा लिया गया वह भी नहीं है। जहां पांच कमरे बनने थे, वहां चार कमरे ही बन कर रह गये....

एक माननीय सदस्य : ये तो आपके लिए मामूली ही बातें हैं....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ये बातें ऐसी हैं कि जिनका इस भाषण से सम्बन्ध नहीं रहता। इन प्रश्नों का राज्य सरकार जवाब दे सकती है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, स्तर उनका व्यक्तिगत प्रश्नों तक ही रह गया। यह बहुत बड़ी बात है सदन की प्रतिष्ठा के आधार पर।

तीसरा, जो आधार भाषण कर रहा, श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य, क्षमा करें, मैंने गलती की कि श्रीमाधोपुर तो उनसे दूसरों ने छीन लिया वे तो जयपुर में आ गये हैं, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य का जब भाषण होता है तो उसमें आरोपों का तांता होता है। आरोपों के साथ कई कन्स्ट्रक्टिव सुझाव हो तो यह मेरी मान्यता नहीं माननीय अध्यक्ष, उनके भाषणों का बड़ा उपयोग होता। उनके विगत भाषणों की कितानें मैं अपने साथ लाया हूं। पांच साल के उनके विगत भाषणों की सूचियां मेरे पास हैं और उन सूचियों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उन भाषणों के कोड वर्ड्स लगा दिये जावें तो उपयुक्त होगा। मैंने उनके भाषणों को कोडिफाई किया है और कोडिफाई इस आधार पर किया है कि जिस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन्स और बधाई के तार नम्बर २ या ईद मुबारक का तार नम्बर चार लगता है इसी तरह जिस प्रकार से बधाई के तारों को कोडिफाई किया है नम्बरों में और तार देते समय केवल नम्बर ८ लिख दिया जाने से वह तार बराबर उसी भाषा में पहुंच जाता है उसी तरह से माननीय सदस्य के भाषण भी नम्बरों से कोडिफाई किये जा सकते हैं। मैंने माननीय सदस्य के भाषण आद्योपान्त

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

अध्ययन किये हैं और करके मैंने उनके कोड वर्ड लगा दिये हैं। जैसे नम्बर २ वह भाषण जो अभिभाषण पर दिया जावे। अतः नम्बर २ का भाषण कार्य-विवरण की किताब में पढ़ लिया जावे तो मेरा यह खयाल है कि आपके भाषण को सदन में कोई नहीं भी सुने तो भी काम चल सकता है। केवल फुलस्टॉप, कोमा बदलता हो, भाषा भी वही, शैली भी वही, लोच भी वही और उसमें हास्य रस का और रोद्र रस का पुट देखें तो भी वही। तो इसी तरह नम्बर ४ का उनका भाषण वह है जो बजट के अवसर पर दिया जाता है। इसका भी मैंने काफी अध्ययन किया और मेरा यह अध्ययन निष्फल जरूर जावेगा इसलिये कि मैं अगर डॉक्टरेट की कोशिश करता इस पर एक थीसिस लिख कर तो वह मुझे मिल सकता था। तो बजट के भाषण को अगर नम्बर ४ का भाषण कह दिया जावे तो वही भाषण हूबहू कार्य विवरण की किताब में उनका मिल सकता है।

श्री सतीशकुमार (बानसूर) : आप गवर्नर के एड्रेस पर अपने विचार कुछ प्रकट कर रहे हैं या किसी दूसरे के भाषण पर टीका कर रहे हैं ? अभी और भी भाषण होने हैं। आप इसी तरह सदन का समय व्यर्थ खराब न करें तो अच्छा है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : आपको इससे भी रोचक भाषण और सुनने को मिलेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं कह रहा था कि अच्छे सुझाव श्री रामानन्द ने प्रस्तुत किये। मैं पुनः अर्ज करूं कि उनके अच्छे स्तर के सुझाव मिले हैं। अच्छे सुझाव माननीय बृजसुन्दरजी ने भी दिये हैं। दूसरे सदस्यों ने भी दिये हैं जिससे सदन को कुछ सोच विचार विनिमय करने का मौका मिलेगा। ऐसा मालूम होता है कि सदन का स्तर वाद-विवाद का कुछ बढ़ने की क्षमता रखता है इसलिये मैंने संकेत किया; बाकी कोड का प्रश्न आता नहीं। न कि व्यक्तियों के आधार पर न जाकर सिद्धान्तों आधार पर माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विवेचना हो तो हमको कुछ आधार मिल सकेगा। इसलिये मैंने अर्ज किया।

एक माननीय सदस्य : आप भी उन्हीं बातों पर बोलें और अपने भी सुझाव दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : फ्लोर मेरे कब्जे में है, आप मुझको बार बार क्यों टोकते हैं ? ये नये आये हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इनको हाउस का डेकोरम कैसे रखा जाय, यह बताने की कृपा करें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : 'ये नये आये हैं', ये शब्द इनको विदड्रॉ करने चाहिये। यह नये सदस्यों का और इस सदन का अपमान है। हमारा उनका स्टेटस बराबर है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : डिप्टी स्पीकर के पद पर थे। इस सामान्य मेम्बर की कुर्सी पर तो नये ही आये हैं।

एक माननीय सदस्य : नये आये हैं तो उनको पहले मौका दिया जाय। पुरानों को बाद में दिया जावे तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं भाषण दे रहा हूँ। हाउस के डेकोरेम, के आधार पर जब तक मैं फ्लोर को नहीं छोड़ूं आपमें मुझे बीच में इस तरह से रोकने की कोई क्षमता नहीं है फिर भी आप खड़े होते हैं।

रावत श्री मानसिंह महार : अपने आप डेकोरम से दीजिये भाषण।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूँ कि यह साधारण प्रश्न है। प्रोसीजर और रूल्स की किताबें पढ़ायें इससे इतना ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

रावत श्री मानसिंह महार : माननीय सदस्य अपने आपको उपाध्यक्ष समझे हुए हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आप उनको यह सूचना दे दें तो अच्छा है कि अब वे ऑर्डिनरी सदस्य हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो मैं अर्ज कर रहा था कि माननीय रामानंद ने कुछ तथ्य रखे हैं कि प्रति व्यक्ति की आय की बढ़ोत्तरी नहीं हुई। इसका उन्होंने विश्लेषण किया अलग अलग तरीकों से। दिमाग में कुछ बात जमी। सरकार के लिए इसको रिफ्यूट करना एक क्षमतापूर्ण प्रश्न है। बिजली उत्पा-देने के बारे में उन्होंने काफी अच्छे सुझाव दिये। काफी बुलन्दगी से उन्होंने अपने विचार रखें। यह प्रेरणाप्रद बात थी। चुनावों के बारे में भी उन्होंने बातें रखीं, पर मुझे अफसोस है। मैं भी चुनाव के सम्बन्ध में कह सकता हूं। जो ज्यादतियां हुईं, जो पैसा बहाया गया; पर इस सिलसिले में मैं नहीं पड़ना चाहता क्योंकि चुनावों के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने काफी गम्भीरता से कहा कि यह महान् कार्य सुचारु तथा सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न हुआ। पर प्रश्न चुनाव का नहीं। प्रश्न हमारी यहां की प्रगति का और विकास का है। इसमें आपसे योग चाहते हैं, सुझाव चाहते हैं कि आज इन कामों में क्या शिथिलता है, किन आधारों पर और किन सिद्धान्तों पर उस शिथिलता का आप निराकरण करना चाहते हैं, यह प्रश्न है।

हमें बड़ी उम्मीद थी कि स्वतन्त्र पार्टी के लीडर इस बारे में अपनी पार्टी की रीति-नीति के सम्बन्ध में राजस्थान की दृष्टि से कुछ अपने कॉन्क्रीट सुझाव रखेंगे। हम उनसे यह भी समझना चाहते थे कि जो कुछ वे अपने भाषणों में कहते रहते हैं कि लगान किसान से नहीं लिया जावेगा, उस बात को भी सुनने की बड़ी लगन रखते थे। पर इसका भी संकेत नहीं मिला। इससे सदन वंचित रह गया उनके सिद्धान्तों को समझने में। लेकिन एक बात उनको याद रह गई। यह भी एक देन है जो उन्होंने कल अपने भाषण में कही, "अन्धाधुन्ध की साहिबी और घटाटोप का राज।" यह पुरानी कहावत उनके राज्य से आई है जिसको वे भूल न पाये।

तो मैंने ये इसलिये थोड़े कम्पलीमेन्ट्स देने जरूरी समझे कि सदन इस प्रश्न पर पुनः विचार करके अपने वाद-विवाद के स्तर को

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

और विचारों के आदान-प्रदान को क्षमता प्रदान करे।

एक बात है, अध्यक्ष महोदय। भ्रष्टाचार के नाम पर बहुत कुछ कहा जाता है और जब भ्रष्टाचार का प्रश्न रखा जाता है तो एक तरफा। भ्रष्टाचार के माने यही समझे जाते हैं कि कहीं पैसे से काम लिया जावे, पैसे से फुसलाया जावे और किसी को कर्त्तव्यच्युत कराया जावे। ये सारे भेद भ्रष्टाचार के हैं। लेकिन मैं इस प्रश्न पर यह और निवेदन कर देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के दूसरे अंगों पर विचार नहीं किया जाता। माननीय सदस्य ने कल अपने भाषण में कहा श्रीमाधोपुर से आने वाले; फिर मैं भूल गया, अध्यक्ष महोदय, श्री माधोपुर तो दूसरों ने छीन लिया है, अब उनका क्षेत्र जयपुर हो गया है. उन्होंने यह कहा कि मेरे पास बड़ी खुफिया पुलिस है, खुफिया जरिया है। मैं चाहूं जो खबर ले आ सकता हूं। चाहे जो आंकड़े ले आ सकता हूं और सदन के सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। जब उन्होंने यह बात कही तो पुरानी स्मृतियां भी सजग हुईं। पहले भी उन्होंने इस तरह के आंकड़े इस सदन में रखे हैं। यह क्या क्षमता है उनके पास, क्या जादू है? उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हो सकता क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो वकालत और एडवोकेसी वे करते हैं। यह भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। सम्भवतः कोई जादू हो सकता है, करिश्मा हो सकता है। मैंने पुराना विवरण देखा जिसमें पी. एस. सी. की अनपब्लिश्ड लिस्ट यकायक उनके हाथों में करिश्में से आ गई और जब वे एडवोकेसी कर रहे थे कि आई. ए. एस. में किसका सलेक्शन कर दिया गया और किसका नहीं किया गया तो उनके तक का आधार मालूम हुआ। वह आधार क्या था? वह लिस्ट पी. एस. सी. के पास कॉन्फिडेयन्शिल तरीके से थी तो वही उनके पास न मालूम कैसे आ गई?

(१ म. प.)

मैं सिर्फ एक उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं कि हम जो करप्शन को मिटाने की दुहाई देते हैं, हम बारबार कहते हैं कि करप्शन दबे या चला जाये, उनसे मैं भी पूछना चाहता हूँ कि डिपार्टमेन्ट्स में ये चीजें कैसे गायब होती हैं, क्या तरीका है, क्या माध्यम है इसका और यदि वह सात्विक माध्यम है और तरीका नैतिकता का है तो वह भी जरा बता दीजिए........

रावत श्री मानसिंह महार : आप जैसे असन्तुष्ट कांग्रेसी ला सकते हैं हमको तो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आखिर वह तरीका हमारे भी हाथ में आये ताकि हम यहां पर बैठे आंकड़े इकट्ठे कर सकें। हमें डिपार्टमेन्ट्स से आंकड़े इकट्ठे करने में बड़ी डिफिकल्टीज़ आती हैं........

रावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : केवल एक ही तरीका है और वह यह है कि सरकार पलटती जाये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका तो फ्रस्ट्रेशन है।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि आंकड़े

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कलेक्ट करने का एक अजीब तरीका है, एक अजीब करिश्मा है........

एक माननीय सदस्य : आप भी सागिर्द बन जाइये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे याददानी के तौर पर मालूम है । इसी सदन के प्रांगण में पहले जो यहां के इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर थे उनसे दो–चार साल पहले पूछा गया था कि एक फाइल कहां है ? तब फाइल के प्रश्न पर एक दफा मिनिस्टर साहब ने कहा था........

एक माननीय सदस्य : Give constructive suggestions, democratic constructive suggestions.

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसके बाद में दुबारा फिर पूछा गया कि वह फाइल कहां गई तो उसका जवाब दिया गया था कि गुम गई । तो यहां करिश्मा बताया गया कि फाइल यह है, गुम नहीं हुई, फायल हमारे पास है । फायल उनके यहां से कब गुम हुई और कहां जा कर निकली है; किस ढंग से निकली है, क्या माध्यम रहा है ? इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि करप्शन के तरीके हैं । इस अजगर की कई जुबानें हैं । एक तो सीधे काम निकालता है, एक बेढंगे तरीके से होता है, तरकीब से होता है और मिस्चीवियस वे से होता है, वह भी करप्शन है । इसलिए जो करप्शन की दुहाई देते हैं वे अपनी नैतिकता पहले देखें कि जो आंकड़े वे देते हैं वे नैतिकता से प्राप्त होते हैं या नहीं । वे इस प्रकार से फाइलें नहीं हटायें । मैंने यह प्रश्न इसलिए रखा कि बार बार यह जो कह देते हैं कि सरकार के विभाग भ्रष्टाचारी हैं या भ्रष्टाचार ज्यादा फैल रहा है तब मैं यह मान्यता रखता हूँ कि इस भ्रष्टाचार में आपका योग बराबर का है । आप बराबर इसमें मदद करते जाते हैं और आप चाहते हैं कि सरकार में ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार फैले और इससे आपको मदद मिले । उसमें आपका बराबर हाथ रहता है जैसा मैंने आपके सामने दो उदाहरण देकर प्रस्तुत किया ।

मैं यह अर्ज करना चाहता था, अध्यक्ष महोदय, विपक्षी दल और मुख्यत: जनसंघ के सदस्यों के सम्बन्ध में, जो भ्रष्टाचार की दुहाई देते हैं इसके साथ ही साथ विभागों में इनका इनफिलट्रेशन भी ज्यादा है, ऐसी मैं मान्यता रखता हूँ । राज्य सरकार को सुदृढ़ बनाना, इसके प्रशासन को अच्छा रखना, यह इधर और उधर दोनों पक्षों का ही कर्त्तव्य है । यह विदेशी हुकूमत नहीं है । अंग्रेजों के जमाने में सर्विसेज़ का मोरल डाउन कर दिया गया तो अंग्रेज भाग निकले । पर यहां पर यह प्रश्न नहीं है । यहां तो प्रश्न यह है कि यह सरकार अभी कांग्रेस की है और आप यह मानते हैं कि हमारी भी सरकार कभी हो सकती है । तो फिर कैसे सर्विसेज़ को आप अनैतिक बनाने जा रहे हैं ? राज्य कर्मचारियों की नैतिकता को नीचे गिराना चाहते हैं और वह राज्य कर्मचारी कर्त्तव्यच्युत होकर जब अपने आसन पर बैठेगा तो आप स्वयं उस समय अफसोस करेंगे । वह वक्त आने वाला तो नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है लेकिन कल्पना के आधार पर मान लीजिए उस समय आप

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

अफसोस करेंगे कि इस अजगर को हमने ही तो बनाया था और हमें ही डस रहा है। आप बेढंगे तरीके से डिपार्टमेंट को भ्रष्ट करते हैं और राज्य कर्मचारी की इस तरह से हमदर्दी लेते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। आप कहते हैं कि वफादार मत रहो, वफादार उनसे रहो कि जो लड़ाई करते हैं। उसको आप खराब बनाने के बाद शासन के अन्दर बैठाये रखना चाहते हैं। यह प्रशासन को खराब करने का तरीका है और आपकी भी इसमें बराबर की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को यहां पर जीवित रखा जाने की योजना आपके पास है और इस तरह का वातावरण बनाने का प्रयत्न किया जाता है। लेकिन वाकयात के अध्ययन से ऐसा मालूम होता है कि विकास में आपका योग तो है ही नहीं, आपने कभी श्रमदान में योग नहीं दिया, आपने कभी गांवों में जाकर लोगों की मुसीबतों को नहीं देखा है, आपने कभी विकास के कामों में ईंट या पत्थर इधर का उधर नहीं रखा है। ऐसे प्रश्न ये पैदा नहीं होते। लेकिन भाषणों में जो स्थिति पैदा की जाती है उसमें यह आधार जरूर दिखता है कि डिपार्टमेन्ट की नैतिकता को नीचा गिराया जाये और उनके अन्दर डीमोरेलाइज़ेशन पैदा किया जाये। इसकी आप में बहुत बड़ी क्षमता है और मैं इसकी दाद देता हूं कि आप अपने काम में बहुत माहिर हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यदि हमारी राज्य सरकार आपके कर्त्तव्यों को नहीं समझी तो मेरा यह ख्याल है कि अन्दर ही अन्दर आप राज्य कर्मचारियों को ऐसा भ्रष्ट कर देंगे, ऐसा कर्त्तव्यच्युत कर देंगे कि राज्य कर्मचारी किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए सिद्धान्त रूप से आपसे अपेक्षा की जाती है कि शासन में आपका योग उतना ही होना चाहिए, प्रशासन की नैतिकता को बढ़ाने में आपका कर्त्तव्य उतना ही है जितना कि इधर बैठनेवालों का है। तो यह कर्त्तव्य आपको निभाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि आइन्दा जब कभी आप आंकड़े लायें तो उसके तरीके को आप गुप्त रखें। चूंकि अब यह तथ्य प्रकट हो गया है, इसलिए या तो उसको आप गुप्त रखें या उसका दावा नहीं करें यहां सदन के प्रांगण पर। अगर उसको आप बढ़ोतरी देते हैं तो आपकी मर्जी। अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने इस प्रश्न पर निवेदन किया।

•

इस प्रकार का दूसरा पहलू और है आपने कुछ सुझाव भी दिये। लेकिन प्रश्न व्यक्तिगत आधार को लेकर चलते हैं। एक भाषण में एक माननीय सदस्य ने, मैंने बराबर देखा है, किसी भी वर्ष के भाषण को उठा कर देख लीजिए कि वे अपने भाषण में किसी बड़े आदमी को उनके भाषण का शिकार न बनावे तब तक उनके भाषण का अधिकार ही नहीं बनता। एक या दो हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट को अपनी आलोचना का माध्यम न बनावें, अपनी आलोचना का शिकार न बनायें तो उनका भाषण अधूरा ही रहता है। जब तक वे ऐसा न करें तब तक उनका भाषण रसहीन रहता है और सुनने वालों में रोष भी पैदा नहीं होता। इस प्रकार का वातावरण बनाना उनका वाजिब भी है। यह भी एक तरीका है कि पत्रकार का तरीका मैं आपके सामने

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

रखना चाहता हूं; साप्ताहिक पत्र का जो किसी तरह से अपने पत्र को चलाता है। आप मुलाहिजा करेंगे कि वह पत्रकार अपने पत्र में एक आदमी को प्रथम शिकार बनाता है और फिर नीचे देता हैं पी० डब्ल्यू० डी० के इन्जीनियर के भ्रष्टाचार का नक्शा जब उस सूचना से थोड़ा सा आंतक हो जाता है और पी० डब्लू० डी० का इन्जीनियर समझने लगता है कि अब दूसरे अंक में उसका लेखा आएगा। इस तरह से वह सूचना एक प्रीवियस नोटिस शैक हैण्ड करने का है। शैक हैण्ड नहीं करते हो तो शिकार होना पड़ता है, ठीक इस तरह का प्रश्न यहां भी है। माननीय अध्यक्ष, यह बराबर मैंने इस कार्य-विवरण को देखा है। एक व्यक्ति हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को, पब्लिक रिलेशन्स के डाइरेक्टर को जब से इस सदन की कार्यवाही ५ साल पहले आरम्भ हुई तब से बराबर उसको शिकार बनाया गया। मैं उनके प्रोटेक्शन पर खड़ा नहीं हुआ हूं। किसी एक विशेष संचालक का प्रश्न नहीं है। क्या तथ्य हैं या नहीं; इस प्रश्न पर मैं निवेदन करना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि वह आदमी बड़ा बुलन्द है, अभी तक उसने घुटने नहीं टेके हैं। यह तो दाद देने की बात है। यह दाद इस बात की है कि अगर कोई दूसरा आदमी होता तो कहता कि माफ करो। क्या चाहते हो? या और कोई तरीका अख्त्यार करता। वह आदमी बड़ा बुलन्द है। एक सदस्य की आलोचना का शिकार होता गया ५ साल तक, लेकिन नमा नहीं, टूटा नहीं।

अब मैं माननीय अध्यक्ष, अर्ज करूंगा फिर। यह बजट सैशन में फिर मौका आयेगा लेकिन मैं तो मनोवृत्ति की बात करता हूं। यह तर्ज ठीक नहीं है। आप विभाग की आलोचना करें व्यक्ति पर क्यों पड़ते हैं उसके आंकड़े रखें। व्यक्ति को बीच में क्यों लाते हैं; विभाग है, गवर्नमेंट है, लेकिन आपका यह तरीका ठीक नहीं है। फैक्ट्स पर आलोचना करें, कटु आलोचना करें, लेकिन ऐसी बात कहें कि जिससे दूसरे डिपार्टमेंट के हैड पहले से ही अपना तरीका ठीक करने लगे। यह तरीका बहुत अच्छा है, हम लोग अपने विकास के कार्य कराने जाते हैं तो बड़ी मुश्किलें पड़ती हैं। लेकिन माननीय सदस्य को मुश्किल नहीं पड़ सकती है। कभी एक डिपार्टमेंट के हैड को कड़ी आलोचना की और दूसरे हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट के पास जाकर कहें कि यह प्रश्न है तो वह नतमस्तक हो जाता है। यह भी एक तरीका है भ्रष्टाचार का। तरीका बदल गया है, यह इन्टीमिडेशन का तरीका है। जहां इन्टीमिडेशन होता है वहां खौफ होता है और काम निकल जाता है। भिन्नता ज्यादा नहीं है दोनों करप्शन के तरीकों में। उनका सारा वाद-विवाद हैड आफ दी डिपार्टमेंट पर होता है। इन पांच सालों में जो कुछ भी मैंने देखा है और पढ़ा है उसमें सुझावों का बराबर अभाव रहा है। मेरा यह विश्वास है आने वाले समय में क्योंकि अब यह सर्प बढ़ने लगा है जिसका आभास भी कुछ महसूस हो रहा है, अधिक विष वमन करेगा।

आखिरी प्रश्न जो मैं अर्ज कहना चाहता था वह यह है कि एक माननीय सदस्य ने

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

संभालता है और उसको फलता–फूलता देखकर प्रसन्न होता है। यह कृषि का प्रश्न बालकों की शिक्षा के प्रश्न से विपरीत अवस्था लिये हुए है। वह इसलिए है यह मनोविज्ञान का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, बच्चों को पढ़ने के लिए जो टीचर्स दिये जाते हैं, नये मैट्रिक पास करके जो लड़के आते हैं उनको दिये जाते हैं। उनको मनोविज्ञान की दशा का कोई ज्ञान नहीं है। बच्चों को पढ़ाने का प्रश्न बड़ा कोमल प्रश्न है। वह मनोविज्ञान शून्य उस आदमी के हाथों में दिया जाता है। वह प्रश्न विवादास्पद ही नहीं, किन्तु खेदजनक भी है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि वह सिलेक्शन होता है और जब अध्यापकों के सिलेक्शन का प्रश्न होता है तो हाई स्कूल के प्रश्न पर या कॉलेज के प्रश्न पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन जहां तक प्राथमिक शिक्षा के टीचर्स के सिलेक्शन का प्रश्न है वह सिलेक्शन करती हैं पंचायत समिति। इसलिए इस नाजुक प्रश्न पर कि शिक्षा देने वाला योग्य व्यक्ति होता है या नहीं, यह प्रश्न बिल्कुल ही स्पष्ट है। मेरा निवेदन है कि कम से कम दा साहब, जिनका स्वभाव बालकों जैसा है वे इस प्रश्न को उचित स्तर पर, इस आधार पर कि बच्चे पढ़ाने वाला ज्यादा जिम्मेदार होने चाहिये........

श्री जोधसिंह (गिरवाह) : इस प्रकार से बार बार 'दा साहब' कहकर आप उनकी सिम्पेथी गेन करना चाहते हैं। बार बार 'दा साहब' का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य जो पांच वर्षों से डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं उनको शायद यह मालूम होना चाहिये कि किसी सदस्य को 'दा साहब' कहकर नहीं पुकारा जाना चाहिए सदन में। किसी सदस्य या मंत्री के नाम के आगे मंत्री का नाम या उनके निर्वाचन क्षेत्र के नाम का संकेत किया जावेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं आपकी इस बात को समझ गया।

माननीय सदस्य ने एक दफा नहीं हजार दफा 'दा साहब' कह कर संबोधित किया है ...

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

लेकिन मैं फिर भी, यह सजेशन डिकोरम में फिट करता है, इसलिये मान लेता हूं। लेकिन आप 'दा साहब' के नाम से संबोधित करेंगे, मौका आयेगा, लेकिन मैं शिक्षा मंत्रीजी के नाम से संबोधित करूंगा, लेकिन आप अपना अभ्यास नहीं छोड़ेंगे।

मैं आपके पास किताबें भेजूंगा। आपने कितनी बार, जरूरत से ज्यादा 'दा साहब' कहा है तो यह प्रश्न माननीय अध्यक्ष, मैंने आपके सामने रखा है।

दूसरा प्रश्न जिस पर खास तौर से मैं जोर देना चाहता हूं वह विकेन्द्रीकरण से संबंधित है और मुख्यत: पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों का प्रश्न एक बहुत ही जटिल प्रश्न हो गया है। मैंने एक सरपंच को देखा है जो अपनी फाइल लिये हुए इस तलाश में है कि कोई ऐसा आदमी मिल जाय जो प्रोसिडिंग्स लिख दे। इसलिये लिख दे कि पंचायत में सेक्रेटरी रखने की स्थिति नहीं

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

है। कागजों में पंचायतों का असली रूप है, लेकिन कार्यरूप में नहीं है। लेकिन यह स्थिति आर्थिक स्तर पर भी रहेगी तो यह विकेन्द्रीकरण और पंचायत राज्य का नारा विलीन हो जायगा और सरपंच प्रोसिडिंग्स लिखने के लिए इधर से उधर फिरते रहेंगे।। ऐसी स्थिति में सरपंच के प्रश्न पर नहीं, लेकिन पंचायत के प्रश्न पर पहले विचार करना चाहिए। उनकी स्थिति में सुधार कैसे किया जाय, उनमें आर्थिक सुदृढ़ता कैसे लाई जाय? लेकिन उनकी आर्थिक सुदृढ़ता के संबंध में विचार नहीं हुआ।

इन शब्दों के साथ मैं 'दा साइड' नहीं, शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान अपने सुझावों की ओर आकर्षित करता हुआ यह निवेदन करूंगा कि जहां तक प्राथमिक शाला का प्रश्न है उस पर पूरा ध्यान देंगे और इन सुझावों को देखेंगे।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : राजा श्री मानसिंह।

राजा श्री मानसिंह (डीग) : Mr. Speaker, Sir, The opposition members are usually dubbed by the Congress friends across the floor as reactionaries, forgetting that every action creates a reaction. If being reactionary means anti-nepotism, anti-corruption, anti-favouritism, anti-licence quota and permit Raj, then I think we are proud to be called reactionaries.

श्री मुकटबिहारीलाल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को इस बात का निर्देश दिया जाय कि जिस भाषा के अन्दर उन्होंने अपने मतदाताओं का विश्वास प्राप्त किया है उसी भाषा में वे सदन के समक्ष आवें।

राजा श्री मानसिंह : He should raise a point of order, Sir.

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में कहें तो ज्यादा अच्छा हो। इसमें बहुत से सदस्य अंग्रेजी जानने वाले नहीं है। इसलिए निवेदन करूंगा कि वे हिन्दी में बोलें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यदि माननीय सदस्य हिन्दी नहीं जानते हैं तो इस बात का उन्हें मौका दिया जा सकता है, लेकिन यदि वे हिन्दी जानते हैं और अपने सदन की भाषा हिन्दी है तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को बाध्य करें कि वे हिन्दी में बोलें जो अपने प्रान्त की और देश की भाषा है। कम से कम अब अंग्रेजों और अंग्रेजी भाषा का जमाना नहीं है।

श्री जोधसिंह (गिरवाह) : साथ ही साथ आपने अपने मतदाताओं के मत हिन्दी भाषा में भाषण देकर ही लिये होंगे, यह भी ध्यान में रहे।

श्री अध्यक्ष : इस सदन के नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि माननीय सदस्य को बाध्य किया जाय कि वे हिन्दी में बोलें।

Page No 41

श्री मुकटबिहारीलाल : वैसे मैं निवेदन करूंगा कि यह राजस्थान महाराणा प्रताप और मीराबाई का राजस्थान है, क्लाइव और डलहौजी का नहीं है ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आपने अच्छी तरह से अपना दृष्टिकोण रख दिया वैसे व्यवस्था दी जा चुकी है कि जैसा बोलना चाहें बोल सकते हैं; इस तरह की व्यवस्था है।

राजा मानसिंह : Sir, my electors knew perfectly well my shortcomings before they elected me as a member of the House. Everyone know, Sir, that the majority of electorates are illiterate and there are few intellectuals. I had assumed that those who were elected their representatives were intellectuals, but I am sorry to note that those who are raising the objection do not consider themselves in that class.

It is a disgrace, Sir, that after these elections, the Congress had to enrol the support of one of the reactionaries to get majority in the House, a person who had defeated the Congress candidate. We are also dubbed, Sir, as representatives of the feudals. Before the Congress start making frivolous charges against us, they should at least remove those fuedals who are on the Congress Benches and in the Treasury Benches. An example of the so-called fuedal, Sir, is on the Treasury Benchss. He has occupied that post and has held the portfolio of P. W. D. Minister for a number of years. To the best of my knowledge there has been no complaint against him by anybody as to whether he has taken any advantage of his position for his own personal gain. This, I am sorry to say, the people cannot say about any of his predecessors or any of his colleagues. This is a proof that those who are born fuedals are better than those who are fuedals now.

The Hon'ble Governor has mentioned in his Address that he misses some of the old Members. In this House, Sir, which has met now, the opposition has gained many seats and the Congress has lost very many. Obviously, when he made these remarks, he was referring to the Congress losses. He also said that those missing members had made valuable contributions and he hopes that we will follow their high traditions. What high traditions? We have got high prices in Rajasthan, we have got high taxation, we have got high corruption, we have high nepotism and high dis-contentment as a result of which the Congress has suffered high losses.

I would like to congratulate the Congress party on their victory and the majority they have got in this House, but at the same time, Sir, I must congratulate the Opposition also who have been able to gather such

(राजा श्री मानसिंह)

numbers against the Congress. Who does not know, Sir, that Officers were transferred from one place to another just prior to the elections so that they could canvass for the Congress candidates ? An instance is that of the Collector of Bharatpur who was transferred just prior to the elections because his views were most anti-Congress. The gentleman, who has been posted in Bharatpur belongs to the same community as that of the Congress candidate.

The Ministers and their supporters used Government vehicles for election purposes. In my area, the jeeps of Kumher Block, Baseri Block and Weir Block were used by the Congress members and their supporters for election purposes. Police Officers openly helped the Congress candidates by convassing for them. When we made complaints to the authorities concerned our complaints were not heard and I am ashamed to say, Sir, that people took the law in their own hands and they beat up those officers who came to convass for the Congress. I mention as an instance the Station House Officer at Kumher. This officer, Sir, not only helped his favourite candidate, but he helped himself also. Wherever he has been posted from time to time, he has built houses in the names of other persons from the proceeds that he takes.

श्री लक्ष्मणसिंह (आगपुर) : Shame !

राजा श्री मानसिंह : In lieu of his services, he has now requested the authorities concerned that he should be transferred from Kumher to Mania Police Station which is on the border of U. P. and Dholpur where he can increase his income to his heart's content.

Notorious dacoits were also enrolled in support of the Congress Condidates and to Conwess for them. Imention the name of one Shri Shankar Singh, for whose capture a reward had been given by the Government and who freely worked for the Congress party. No doubt, for his sympathies he escaped the law. I am only explaining to you the methods which Congress used to win the elections. False promises were made before the electorate of certain programmes which are not included even in the third Five Year Plan. In 1956 the Chief Minister promised at Deeg in a public meeting that he would do his best to better the hostel facilities of the Government High School there. Nothing, I am sorry to say, has been done during the last six years. In these elections also, Sir, when he visited the village of Sir Mathura, people requested him as Education Minister to complete the building of the High School. He said, first vote for the Congress, then we will consider it.

One Hon. Minister of the Centre, who was also a Congress Candidate from Bhartpur Parliamentary Consti-

(राजा श्री मानसिंह)

tuency, at a meeting at Nadbai told the people that their town cannot be electrified because last time they did not vote for the Congress. I would like to say, Sir, that an electric line is being erected from Bharatpur to Bayana a distance of 40 miles of by passing Nadbai which is only six miles from the electricity lines and only 21 miles from Bharatpur.

The administration is so loose that the words honesty and efficiency have disappeared from the dictionary. We are told by the Hon. Member from Didwana that because the Hon'ble Governor had mentioned in one or two lines only that the law and Order situation has improved, the law and order has in actual fact improved in Rajasthan. But how? I know, Sir, and the people know, Sir, that the position is entirely different. If it was not different, a young college student who is son of a senior Police Officer, would not have been murdered in Ajmer.

We are told, Sir, that a number of dacoits have been captured, a few have been shot dead and some have surrendered. Out of how many dacoits, I don't know; but I would like to say, Sir, that the number of dacoits has increased and not decreased. If we take only statistics, then by now there should be no dacoits at all. When I read the Hon'ble Governors Address, I was unable to understand whether the figures given there included the seven Ministers who were eliminated in the elections. The figures seem to tally.

Justice in Rajasthan is costly and not at all speedy. Those who have any experience of trying to get justice in the Courts of Rajasthan, know how unnecessarily their Casesare delayed and how costly it is. Why not have a Bench of High Court or High Court itself in Jaipur? The people of Eastern Rajasthan are being harassed by the Rajasthan Government. Previously they could get the redress of their grievances with in 24 hours and return to their homes. Now they have to spend five days and incur greater costs before they can get justice. The Hon'ble Member from Bundi has stressed the need of Shifting the High Court to Jaipur; if not the High Court at least the Bench. It is quite obvious that the peoqle's desire is that High Court should be shifted to Jaipur. The former Home Minister also gave assurances to the people in public speeches that he would do his best to get the High Court Bench shifted to Jaipur. It now remains to be seen whether the Congress Government can fulfil its promjses or not.

(६.२० म० प०)

With regard to the Agricultural Policy, Sir, I should like to quote certain sentences from the Address of the Governor. In para 9, Sir, the Governor has stated—

"As a result of appropriate land reforms, increased irrigation facilities

(राजा श्री मानसिंह)

and improved agricultural practices, Rajasthan which was once a deficit State in food-grains, now produces a sizeable surplus. . ."

He goes on to contradict his own statement in paragraph 27 where he states—

"Due to scarcit conditions, the prices of food-grains remained fairly high this year. With better prospects of the Rabi crop a tendency is noticeable towards decline in prices."

We all know, Sir, that the agricultural policy of the Congress Government is a hotch-potch of abuses because there is no real agricultu rist in the Cabinet.

एक माननीय सदस्य : He is an agriculturist..

राजा श्री मानसिंह : No. He is a lawyer and not an agriculturist.

As an example, I should like to mention here the Ceilings Policy on the agricultural holdings of the Government. The Government has passed an Act which is commonly known as a Celings Act in the Rajasthan Legislative Assembly in the year 1959 and till now they have not had the courage to enforce this. Previously, we were promised by the former Revenue Minister that they will enforce it before the Elections but this has not been done so far. The ceilings were formulated at a time when the prices of the food grains were high with the result that the acraze left to the farmer was reduced. Now the Government in contemplating lowering the prices of grains so that the already reduced income of the farmer will be reduced. There is no doubt that we in this House on this side oppose this Act and because the Congress has a majority it will now enforce these measures. I have been informed by one of the Congress Members that the Government wants to put the ceilings on the income. If they do this we will gladly support.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप इसका समर्थन करेंगे अर्बन इन्कम पर ?

राजा श्री मानसिंह : I have said so. Perhaps my friend has not been able to follow it because he doesn't know english as he said...

श्री रामानन्द अग्रवाल: I can teach you English.

राजा श्री मानसिंह : Ceilings on the salaries of the Ministers as declared by Mahatma Gandhi was only followed by the Communist Government in Kerala. I should also like to know whether the Government wants to put a ceiling on the number of the Ministers even or not ? Otherwise we may have

(राजा श्री मानसिंह)

the same position as we have in Uttar Pradesh and Punjab today. Income of the State has increased so much that the Income from the Land Revenue is negligible. A poor farmer with his meagre holding is directly taxed by the Government whereas his equivallents in the Urban areas and in industry are not so taxed. Justice demands that there should be no tax on the land. If the Rajasthan Government stops the wastage of funds in development works then they can easily forego land Revenue in the interest of the farmer.

I agree, Sir, with the Hon'ble Member from Deedwana when he said that the proper improvement in the effeciency in administration and the development of the areas connot be carried out without the re-organisation of the districts. Some are unwieldy and some are geographically cut from the headquarters.

I should like to say, as an example that Dholpur which is a sub division of Bhartpur is completely cut of from Bharatpur and no development can be done unless that area is declared as a district.

My Leader, Sir. yesterday gave certain instances of wastage and bad planning with regard to the planning work. The Hon'ble Home Minister was very insistent in asking for instances. One or two instances, I will like to give here.

There is a road which was sanctioned 12 years ago from Nagar to Pahari. The distance is nearly 12 miles. The road is being built along with the Bund which had been built by my fore-fathers. It is disgraceful that this 12 miles area had not been completed even within 12 years. I will like to remind them that Shah Jahan created the Taj which is one of the seven wonders of the world in the same period.

Another road, Sir, is being built from Bari to Karauli via Sir Mathura. As an instance of bad planning, I would like to say that the road has been metalled between Bari and Sirmathura but there are no culverts and causeways, whilst on the portion which has been demarcated between Sirmathura and Karauli there is no road but the causeways and culverts have been constructed. I can't understand by this type of planning what the Government or the Congress party have wanted to gain for themselves. If they had built culverts and causeways on one side of Sirmathura, at least the people of one area would have been fully satisfied. Another instance I should like to give is of the building built by the Development Department to serve the people of village Angai in Dholpur sub-division. That building was constructed on a rocky foundation but only in one rain the whole building collapsed. I am not

(राजा श्री मानसिंह)

saying anything as a matter of hearsay. That building is only 25 feet away from the main road and any one can go and see it. It is a perfect example of how our Government functions.

With regard to Co-operative Societies, Sir, I would like to quote from the Governor's Address. In paragraph 10, he says-"The total credit advanced at the end of the Second Plan period through co-operative institutions comes to Rs. 1, 697 lacs which has gone up by eleven times as compared to what it was at the beginning of the First Plan period."

From this it seems that we have made great headway in Co-operatives. But I should like to know how much of this amount has been recovered by the Government from these Co-operatives. I happen to know Sir, that huge amounts of money are still outstanding against these Co-operative Societies, many of which are bogus and many of which have become defunct. These huge amounts are outstanding perhaps because the originators of these Co operative Societies belong to the Congress party. I should also like to know what income has accrued to the Government from the interest on the loans advance to Co-operative Societies and also what income the Co-operative Societies have been able to credit to themselves, These figures are not available to us and the Government should atleast make them available to the House.

Considerable development has been claimed in the power resources of the Government. The credit for this does not entirely go to the Congress party. There is no Congress in other countries, and, I assure you, the development there has been far more than in Rajasthan or even in India. The Congress Government has failed to do what it ought to have done, which was to unify the rates for the supply of power and water throughout Rajasthan. In Bharatpur, Sir, the people are still paying-/8/- per unit for electricity although the old diesel engines have been replaced by steam turbine. For water, the rate in Bharatpur is extraordinarily high. The people are required to pay there Rs. 1/10/- per thousand gallons, whereas at Alwar they pay only Rs. 1/9/- and at Jhalawar only Rs. 1/8/-. The flat rate for water at Bharatpur is Rs. 8/- per point per month, whereas at Jhalawar, Bikaner and Bundi the flat rate is only Rs. 5/-. I would appeal to the Government that the rates in Bharatpur must be lowered and made equivalent to that of other areas, and as soon as possible there should be unified rates for power and water throughout Rajasthan.

When I read paragraph 18 of the Address, Sir, I thought the Hon'ble Governor was quoting from an

(राजा श्री मानसिंह)

election speech. He expects that at the end of the Third Five year Plan all towns with a population of more than 10,000 souls will be provided with Water Works, and also a number of towns with an even smaller population. What to say of towns with 10,000 population development works in the past have not been done even in towns having a population of more than 40,000. I mention the instance of Deeg where Water Works Scheme, which is long overdue, has been badly neglected by the Government. In view of their assurance, I hope the Government will take up the Water Works Scheme in this town as early as possible. At the same time the Congress Government should prove its sincerity to the people and their belief in democracy by developing those areas also where the Congress has suffered a defeat.

There is huge wastage of funds in subsidy to the Khadi business. Khadi is the hallmark of one party which has the support of only 40 per cent of the electorate. Khadi should be within the reach of the common man but the prices are very high inspite of the subsidy given by the Government. One would expect that the major share of the profits would go to the workers, but in actual fact it is not so. The major portion goes to the middlemen and to the Congress storages. The Government is forced to make purchases from the Khadi Board, and if that is stopped the whole structure would fall to bits. It is really amazing, Sir, when so much money has been invested in this business for so long a time that still it is not self supporting.

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : खादी पर कमीशन सेन्टर से मिलता है, राजस्थान से नहीं ।

राजा श्री मानसिंह : But we can appeal to the Central Government to stop it. That is our duty. Khadi has now become a dress of fashion and mostly it is a garb of capitalists. As such, I would appeal to the Rajasthan Government, Sir, that they should write to the Central Government not to give further subsidy to this business.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): Are you unfashionable that you are not wearing Khadi ?

राजा श्री मानसिंह : I have seen many of your friends who did not wear Khadi till yesterday, but have started it overnight.

श्री रामानन्द अग्रवाल : That is not the question.

राजा श्री मानसिंह : I am not a fashionable person. I am conservative.

(राजा श्री मानसिंह)

Sir, for long there has been a demand from the people of Dholpur and Bharatpur for a Degree College at Dholpur and a post Graduate College at Bharatpur. Last year a college was started at Dholpur, but it is a disgrace to learn that the examinations centre still remains at Bharatpur. If the Government is sincere in opening a college at Dholpur then its examination's center should also be at Dholpur. The demand of Bharatpur for a post-Graduate College wasturned down and we were told that post-Graduate classes will be held only at the University centre at Jaipur. Now we learn that a new University is to be opened in Jodhpur, and further another University is to be opened at Udaipur. Our Chief Minister is very fond of his policy of decentralisation. It is strange, therefore, that he centralises so many development works in Udaipur only. He should learn to decentralise development works throughout Rajasthan.

The Bharatpur Municipality is in a shocking condition, Sir, and the reason for this is that the Government has taken little or no responsibility in seeing to its proper functioning. Now the elections to the Municipality are due, Sir, but the Government is being pressed by the Congress party to postpone the elections for atleast a year or two and appoint an Administrator. I would like to remind you, Sir, that in the recent election the Congrees suffered very heavy lossres in Bharatpur and they only want some breathing space to heal their wounds.

There is to be heavy industrialisation of the State, Sir, but I am disappointed to see that unfortunately Bharatpur does not feature in it. There may be reasons for this, but I would like to know one or two points from the Government. Are all these industrial concerns going to be kept out of the Municipal limits at the towns where they are going to be started, so that these concerns do not have to pay the local taxes? If this is not so, then I would like to know why the simco wagon factory has been kept outside the Municipal limits of Bharatpur.

I should like to say and inform the Hon'ble Members that the new industrial state and the other Mills beyond the Wagon Factory have all been included within the Municipal area The main reason is that the proprietors of this factory give support to the Congress Party and the Congress candidates.

I don't agree with the nationalisation policy of the Government. At present the Government is disturbing the private Bus owners and I should like to mention here, Sir, in this House the advantages of this Nationalisation. Personal bus owners charge between

(राजा श्री मानसिंह)

Ajmer and Jaipur only Rs. 2/6/ whilst the Government now charges Rs. 3/6 from the travellers. Between Jaipur and Bharatpur the Private Bus Owners charge only Rs. 4/1 whereas the Government charges Rs. 5/3-. If Nationalisation, Sir, means the increased rates of trvelling from the poor people, then I will only say that the Nationalisation fails at the very start. However, Sir, if they are sincere in their policy and so many vehicles have been purchased, why not they try to nationalise the Jaipur City Bus Service which is in the hands of the two monopolists ? Why this extra-ordinary sympathetic attitude has been shown to these persons ?

Finally, Sir, I should like to say that enough threats have been made by Pakistan and they are still being made. We are in a border province and it is our duty to safeguard the country. As a measure towards the duty, I suggest that our youths should be given ample Military training and Arms Licenses should be more freely issued. On this question, Sir, I feel that the Congress Cabinet should take the advice of the Opposition who are experts in these important matters; as I feel that Congress Members have experience only in handling Taklies and Charkhas.

With these words, I oppose the Motion of Thanks to the Governor.

(बोलने के लिए कई माननीय सदस्यों के प्रस्तुत होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम :

श्री हरिराम (सिवाना) : महोदय, अध्यक्षजी, श्रीमान् राज्यपाल महोदयजी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव मसूदा से आये माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदयजी, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदयजी का अभिभाषण अत्यन्त सराहनीय था और जो राज्य ने कार्य किया था उसकी सराहना सही तरीके से की । पैरा नं० २५ में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कामों का उल्लेख किया और जो बताया वह सही है । राज्य की ओर से दो बोर्डिंग हाउसेज़ चल रहे हैं और उनमें बच्चों को किताबें आदि मिल रही हैं और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं । कुओं के लिए भी और आदिवासियों के के लिए भी सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है । कोठे बनवाये और नल लगवाये । स्वतन्त्र पार्टी के नेताजी ने जो बातें कहीं वे महज जलन के कारण कहीं क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स.......

श्री राधा किशन (टोंक) The Hon'ble member is reading his speech.

श्री अध्यक्ष : बगैर पढ़े बोल सकें तो अच्छा है ।

श्री हरिराम : जी।

श्री अध्यक्ष : नियमों के अनुसार लिखा हुआ भाषण नहीं बोला जाता, बगैर पढ़े बोलें तो अच्छा है।

श्री हरिराम : जी हां।

तो मैं आप से यह अर्ज कर रहा था कि तीसरी बार विधान सभा चालू हो रही है तो इसके अन्दर असली जो सवाल है, स्वतन्त्र पार्टी भी नहीं कहना चाहती हैं क्यों कि स्वतन्त्र पार्टी यह कह दे कि जनता की और हरिजनों की सही सेवा करनी है तो सवाल अपना नहीं करती है और बेकार फोकट की पार्टी की बात करती है। तो स्वतन्त्र पार्टी या राजा महाराजा लोग, अन्य जागीरदार अपने हृदय से तय करें कि जितनी रकम, धनराशि वे ले रहे है वह जनता की कमाई है और हम नहीं लेते। हैं तो हम सच्चे जनता के हैं, उनके हितैषी हैं; नहीं तो क्या होता है कि माननीय सदस्य गरीबो २ चिल्लाने में तो इसको सुन नहीं सकते हैं। सही वास्तव में यह है कि जनता की सच्ची सेवा करनी है और सरकार से निवेदन करू और सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूं कि इस प्रकार का प्रस्ताव जल्दी से जल्दी पास कर दिया जाय, जागीरदारों को जो मुआवजा मिलता है, राजे महाराजों को जो जेब खर्च मिलता है उसको बन्द कर दिया जाय। वह रकम सही काम में नहीं लाई जाती क्योंकि वह नशे आदि में खराब मात्र होगी। एक अर्ज यह है कि चुनावों के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी तंदुरी बजायी।

(२ म० ५०)

लेकिन मेरे भी हरिजन होने के नाते मेरे में इतने कष्ट डाले थे कि इस हरिजन भंगी को किसी ने वोट दिये तो यह तुम्हारे घर बिगाड़ देगा। हरिराम धारा वही है जो हरिजन है जिसने बालोतरा मन्दिर में पूजा की है। फिर तुम्हारे घर में आयेगा, नाइयों को, चौधरियों को भड़का दिया। पर मुझे कांग्रेस पर, जनता पर पूरा विश्वास था पेटियां नहीं खुलीं उससे पहले ही मैंने कहा कि जनता का न्याय मुझे मंजूर है और मैं जीतूंगा।

मैं आपसे यह निवेदन करने जा रहा था कि स्वतन्त्र पार्टी की तो यह बात रही है, पर चुपके से गोली चलाते हैं जनसंघ के नेता वे भी नहीं खोल कर कहते कि जागीरदारों का मुआवजा और राजाओं का जेब खर्च बन्द किया जाय।

एक माननीय सदस्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य ने हमारा मेनिफेस्टो नहीं देखा है।

श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यह तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय करना चाहिये कि राजाओं को सालाना दिया जाय या नहीं। राजाओं को चुनौती के रूप में क्यों पूछते हैं? आप स्वयं निर्णय लेकर खत्म करिये, न रहे बांस न बजे बासुरी।

दूसरी समस्या आपने पैदा की उस संबंध में मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारी पार्टी में भी हरिजन और आदिवासी दोनों हैं और कांग्रेस की ही मोनोपोली देश की सेवा करने की नहीं है।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

मैं इन्टरप्शन के लिये क्षमाप्रार्थी हूं ।

श्री हरिराम : यहां एक धनवान् महिला खड़ी थी। उसने हरिजनों से वोट मांगे तो हरिजनों ने कहा कि हमें गोविन्ददेवजी के मन्दिर में पूजा करने दो तो धनवान् देवी ने कहा कि हम हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन बेचारों के वोट कम थे । तो जनसंघ का यह नतीजा खुलता नहीं, अगर उनमें बराबर जनता का विश्वास होता तो आप अपनी कांस्टिट्युएन्सी में जाते और फिर वहां से आने का ऐलान करते न कि जहां सोने-चांदी की गंगा बहती को देवी की वहां से खड़े होकर आते ।

तो हरिजनों के लिए सरकार ने इतना किया है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की २८ सीटें हैं वे हरिजन भी राजा महाराजाओं के साथ इन सीटों पर बैठ गये । यह कांग्रेस सरकार की कृपा है ! जनता को किसी ने धन्यवाद नहीं दिया। मैं जनता को धन्यवाद देता हूं । सोश्यलिस्ट पार्टी आदि के भी सज्जन नेता कहते हैं कि पुलिस ने यह कर दिया, वह कर दिया, तो मैं आपसे थोड़ा इशारा करूंगा कि चोर-चालाकों से मित्रता क्यों रखी और छुड़ाने की कोशिश क्यों की, चोर चालाकों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो पुलिस उनको धमकायेगी, समझायेगी ।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हरिजनों के लिये स्वतन्त्र भारत में राजस्थान सरकार ने हमारे लिये काफी किया है, एस. डी. ओ. एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट भी प्योर हरिजन हैं, थानेदार भी हैं........

श्री मानसिंह महार (आमेर) : जरा अध्यक्ष महोदय, प्योर और अनप्योर हरिजन का फर्क बता दें, मैं यह जानना चाहूँगा ।

श्री हरिराम : शिड्यूल्ड कास्ट में भी एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट हैं, थानेदार हैं; तो इन लोगों को जलन होती है; जो हमेशा से, ७५० वर्षों से राय चलाते आये हैं। आज कहते हैं कि ६ महीने का राय दे दो । मैं तो सरकार से कहता हूँ कि १ दिन का ५ मिनट का भी राज नहीं दें; क्योंकि हमारी फिर कमबख्ती आ जायेगी । तो इसके लिये मैं अर्ज कर रहा था कि असली त्याग होना चाहिये। कोई 'आज गया, कोई कल गया, एक दिन सब को जाना है, तो राजाओं, महाराजाओं, जागीरदारों को मुआवजे का खर्चा छोड़ देना चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपका दल क्या अब भी उनके हृदय परिवर्तन में विश्वास रखता है ? भीख क्यों मांगते हैं, वे कह रहे हैं, कानून पास करके ले लीजिये ।

श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी पार्टी पास कर दे, सबको झोली और कमण्डल झिला दीजिये न, आपका बहुमत है ।

श्री हरिराम : कमण्डल झोला उसको पकड़ाया जाता है कि एक व्यक्ति का धन हो और दान करता हो, यह आम जनता का पैसा है । मैं सदन से, सरकार से

(श्री हरिराम)

निवेदन करता हूँ कि इस तरह जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ कि अब हमारे काफी थानेदार, एस. डी. ओ. अफसर बढ़ रहे हैं तो लोगों को जलन होती है। तो उनको भी यह कहता हूँ कि आप अब अपना हृदय परिवर्तन कर लीजिये। अब पुराने जमाने के सपने नहीं देखने चाहिये क्योंकि जनता अब जागृत है।

एक नई बात निवेदन कर दूं कि अगर ये सज्जन इतनी डींग हांकते हैं कि कांग्रेस में विश्वास नहीं है; मैं हरिजन था प्योर, उसको कांग्रेस के टिकट पर जिताया, बाकी जो धनवानों की, राजाओं की स्वतन्त्र पार्टी है, जनसंघी तो गाय का नाम लिये फिरते हैं, मेरे पीछे भी ये दो पड़े थे, पर मैं परवाह नहीं करता। हमारे क्षेत्र की बात करूंगा तो बुरा लगेगा, अपनी बात नहीं कहनी चाहिये, पर एक बात तो कह दूं कि अगर इस तरह वोटरों को दबा कर नहीं रखते, जागीरदारों ने नहीं दबाया होता ऊंट, घोड़े लेकर नहीं रोका होता, मेरे पास खड़े नहीं होते, छूआछूत का प्रचार किया, ऐसे अत्याचार नहीं किये होते तो मैं कम से कम १५ हजार वोटों से जीतता।

तो राज्यपाल महोदयजी के भाषण का मैं समर्थन करते हुए, अपना भाषण समाप्त करते हुए अपना आसन ग्रहण करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार !

श्री मानिकचन्द (कोलायत) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सदन में १८ इन्डिपेन्डेन्ट आदमियों का ग्रुप है जिसके लीडर मिस्टर हरदत्तसिंह को चुना गया है। दूसरी पार्टियों के नेता एक एक बार बोल चुके हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले इनको मौका देंगे तो शायद अच्छी परम्परा रहेगी।

श्री अध्यक्ष : मुझे इसकी सूचना अभी मिली है और जल्दी ही उनको इजाजत दे दी जायगी।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : माननीय अध्यक्ष और उपस्थित माननीय सदस्य गण, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गवर्नर साहब के भाषण पर दो शब्द मैं भी कहूँ। परम्परा कुछ ऐसी पड़ गई है कि मुझे भी कुछ रास्ता बदलना पड़ रहा है। तुलनात्मक रूप से पुराने शासकों को और जनता को एक प्लेट फॉर्म पर लाकर खड़ा किया गया, १४ साल के गुजरे हुए किस्से को अब फिर सदन में दोहराने की कोशिश की गई। उससे यह जाहिर होता है कि पिछले चौदह सालों में इस देश में इससे भी ज्यादा सख्त परम्परा लाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस इतने सख्त जुल्म और जजबात रखते हैं तो उनके कारनामे उनको और देशवासियों को बहुत जल्द नजर आ जायगे।

आज यह कहा जाता है कि कल्याण-कारी राज्य और निष्पक्षता के साथ मैं बगैर किसी पक्षपात के हम देश की सेवा

(श्री अब्दुलजब्बार)

कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं इसका कटु अनुभव कर चुका हूँ। मैं उसके कुछ उदाहरण सदन के सामने रखूंगा और उनके फोटोज़ भी मेरे पास हैं जिनके ब्लाक बनवा कर मैं जनरल पब्लिक में बांटूगा। कल्याणकारी राज्य की दुहाई देने वाली कांग्रेसी सरकार, गांधीजी का नाम लेने वाली सरकार अपने रवैये को देखे। आज हम से वह चाहती हैं कि हम गवर्नर साहब को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद दें ! मैं आपको बताऊं इस भाषण में कहा गया है कि सड़कों का निर्माण हो रहा है। मैं आपको बताऊं हमारे मुख्य मन्त्री भी शायद उधर से गुजरते होंगे, मंगलवाड़ा से चित्तौड़ होकर जयपुर की तरफ और बावडी से मोटर सर्विस से निम्बाहेड़ा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। इस सड़क पर चौदह सालों में एक भी पत्थर नहीं बिछाया गया है। अगर इस सड़क पर छः महीने के बच्चे को लोटा दिया जाय तो यह भी पता नहीं चलेगा कि बच्चा सड़क पर है या रेत में दबा हुआ है। यह स्थिति है हमारी उस सड़क की। आज बड़े बड़े विकास का दम्भ भरते हैं, राग अलापा जाता है, विकास का ढोंग रचा जाता है; लेकिन इस सड़क पर १४ सालों में एक पैसा भी इस सड़क पर खर्च नहीं किया गया। हमारी कॉन्स्टिट्युएन्सी के और भी सदस्य विराजमान हैं; मेरे इस कथन का प्रबल समर्थन करेंगे और सदन को कहेंगे कि किस प्रकार का पक्षपात इस कांग्रेसी शासन में हुआ है।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात और आपके सामने रख देना चाहता हूँ; विकास के सम्बन्ध में कदमाली नदी पर गम्भीरी बांध बान्धा गया है। इस बांध ने चित्तौड़ के रहने वालों की नींद हराम करदी है। हुआ यह कि लोग रात में बिस्तर लेकर किले पर चढ़ जाते और सुबह होते ही नीचे उतरते थे। बांध बनने के बाद जो मेन रोड है दिल्ली से बम्बई और निम्बाहेड़ा के पास होकर जाती है, कदमाली कॉज़वे नाम की जगह है वहां बरसात के दिनों में यह हाल-चाल रहता है तीन-चार महीने तक वहां का रास्ता बिल्कुल बन्द हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, उन दिनों में हम राहत पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। चार चार महीने के कट ऑफ हो जाते है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं कि भारत सरकाह के एक मुलाजिम श्री गंगासिंह जो एक्साइज विभाग के मुलाजिम थे रेलवे क्रोसिंग को पार करके जाना चाहते थे। उनको रात में ठोकर लग गई और वे गिर गये, वे बेचारे मरते मरते बचे। यह है हमारी कांग्रेसी सरकार का कल्याणकारी राज्य का नमूना। बम्बई-दिल्ली मेन रोड पर होते हुए भी यह कॉज़वे अभी तक नहीं बनाया जा सका है। इसी प्रकार केली के पास पुल बनाना बहुत जरूरी था, वह भी नहीं बनाया गया। इसके कारण जब पानी रहता है तो जानवर पानी में से होकर उधर जाते हैं। गाय, भैंस, इन्सान आदि पुल न होने के कारण ठंड के दिनों में भी उस पानी में से होकर निकलते हैं। इससे जानवर ठंड से मर जाते हैं। Your Hounr

(श्री अब्दुलजब्बार)

यह हकीकत है जनता की इस कल्याणकारी राज्य में।

पक्षपात का मैं दूसरा नमूना आपको बताऊं। मैं जिस कॉन्स्टीटयुएन्सी को रिप्रेज़ेन्ट करता हूं निम्बाहेड़ा, वहां १६३६ में हाई स्कूल था वह टोंक स्टेट ने बनवाया था। जिन सदस्यों को याद नहीं उनको याद दिलाता हूं कि १६३६ में हाई स्कूल बना था, लेकिन आज तक १६६२ तक उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नही हुई। वह हाईस्कूल बिल्डिंग मिनिस्टर महोदय के बंगले से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं।

इसके अलावा विद्या प्रसार का ढोंग रचने वाले, जहां तक निम्बाहेड़ा का सवाल है, वहां की जनता के पढ़ने का सवाल है वहां के लोगों में भी दिल और दिमाग है, वहां के लोग भी चाहते हैं कि उनकी सन्ताने पढ़-लिखकर योग्य बन कर मुलाजिमात करें, वे भी चाहते हैं कि सूटेड-बूटेड हो कुर्सी पर बैठें, वे भी इसमें फर्क समझते हैं; लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह सौभाग्य निम्बाहेड़ा की जनता को प्राप्त नहीं। मैं असेम्बली के माननीय सदस्यों के सामने और दर्शक बन्धुओं से निवेदन करूंगा कि वे सरकार पर जोर डालें कि निम्बाहेड़ा की जनता को एजुकेशन की समस्या को शीघ्र से शीघ्र हल करें। अब मैं निम्बाहेडा की कन्या शाला का जिक्र करूंगा जिसको हम कांजी हाउसकह सकते हैं। हमारे मुख्य मंत्री कन्या शालाओं का बहुत ध्यान रखते हैं और खास तोर से उनका इस बात की ओर ज्यादा ध्यान रहता है। उदयपुर महिला विद्यापीठ की प्रगति की तरफ........

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा) : माननीय अध्यक्ष, ये बातें तो बजट के कट मोशन के समय भी कह सकते हैं........

श्री अब्दुलजब्बार : क्षमा कीजियेगा मैं कल्याणकारी राज्य के ये नमूने पेश कर रहा हूँ, पक्षपात और निष्पक्षताके नमूने आपके सामने रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अभी जो आपने दर्शकों को सम्बोधित करते हुए कुछ कहा था। मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने रूल्स के अनुसार दर्शकों को संबोधित नहीं किया जा सकता।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं, भविष्य में इस बात का ध्यान रखूंगा, यही मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, मैं गर्ल्स स्कूल के बारे में अर्ज कर रहा था, यह हालत है वहां की कन्या शाला की इस कल्याणकारी राज्य में। मेरी इस बात की ताईद कपासन से जीतकर आये हुए माननीय सदस्य भी करेंगे, वे भी अच्छी तरह से जानते हैं। गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में जिक्र किया, काश्तकारों को फसलों में हुए नुकसान की वजह से फसल कम पैदा हुई, इसे प्राकृतिक दोष बतलाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन

(श्री अब्दुलजब्बार)

करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी फसलों का नुकसान हुआ है क्या उनको किसी प्रकार का कम्पेन्सेशन दिया गया है या नहीं, मुआवजा दिया या नहीं ? मैं उस कॉन्स्टीटयूएन्सी से आता हूं जिस कॉन्स्टीयूएन्सी में अकाल है। टोंक स्टेट के समय जब वहां नवाब का राज्य था उस समय ऐसे समय में आठ सेर के गेहूं बेचे गये थे। वह नवाबों का राज्य था।

मैं राजाओं-नवाबों के राज्य के पक्ष में नहीं हूं, पर बतादेना चाहता हूँ कि जब कीचड़ फैंका जाता है राजाओं पर तो याद दिलानी पड़ती है मजबूरहोकरकि आप आज शासकवर्ग हैं, आप शासन कर रहे हैं, आप कुर्सियों पर पदासीन हैं, कुर्सियां को सुशोभित किये हुए हैं। मेरा कर्तव्य हो जाता है कि गरीब काश्तकार की आवाज को आप तक पहुंचाऊं ताकि आप ध्यान दे सकें। आपने, कभी उन गरीब काश्तकारों की फसलों को नुकसान पहुंचा तो लगान में छूट दी क्या या राहत दी क्या ? अगर आप ऐसा करते तो मैं समझता कि आपका यह राज्य वास्तव में कल्याणकारी राज्य है। निम्बाहेड़ामें दी हो तो आप अवश्य अवश्य बताने की कृपा करें, ताकि मैं सही जानकारी पा सकूं। Your Honourयह नहीं, मैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): Your Honour is not within the compass of the decorum.

श्री अब्दुलजब्बार : Excuse me, Sir.

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल्याणकारी इस राज्य के मैं और भी नमूने पेश करना चाहता हूं। उदयपुर से चित्तौड़ के बीच में करेड़ा एक स्थान है जहां एक शुगर फैक्ट्री है। हमारा वह क्षेत्र ऐसा है जहां पर आम तौर से गन्ने की फसल ज्यादातर होती है। मोनोपोली की जड़ को खोद कर फेंक देने की बात बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। मैं उनकी इस बात का स्वागत करता हूं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर उनके हृदय में ऐसी शक्ति पैदा करें कि वे इस प्रश्न पर हमारी आवाज के साथ अपनी आवाज मिला सकें और इस मोनोपोली को समाप्त करा सकें।

अध्यक्ष महोदय, आज उस कारखाने को मोनोपोली दे रखी है। आज वह मोनोपोलिस्ट काश्तकारों को हर तरह से तंग कर रहा है। उनको गन्ने की चिट्ठी नहीं देता। एक महीने में एक एक चिट्ठी मिलती है और उसके प्राप्त करने में भी किसान की वह दुर्दशा होती है जो कि एक भिखारी की भी नहीं होती होगी। वे भिखारियों की तरह चिट्ठी की भीख मांगते हैं मिल के मुनीम के पास। उनको एक एक गाड़ी का चार चार रुपया देना पड़ता है, तब यह भीख कहीं नसीब होती है। उनको, इस बीच में उनका गन्ना पड़ा पड़ा सूख जाता है।

अध्यक्ष महोदय और मेरे सदस्य बन्धुओ, आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि गन्ने का रस सूखने के बाद ही शुगर बनती है और इस चालबाजी के साथ उस गन्ने को देर से लिया जाता है कि वह सूख जाय और वजन में कम बैठे। उसमें से करीब करीब

(श्री अब्दुलजब्बार)

पानी निकल जाता है और शुगर का जूस रह जाता है और वजन भी कम लगता है। उस कम वजन के आधार पर मिल मालिक को पैसा भी कम देना पड़ता है और इसका परिणाम यह होता है कि किसान चारों तरफ से नुकसान में रहता है। मैं इस बात को सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि किसानों को आज भी बुरी तरह चूसा जा रहा है, उनको राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। मैं सदन के सदस्यों का खास तौर से ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमें विरोधी तसव्वुर करके हमारे शब्दों पर यह धारणा न बना लें कि हम विरोधी हैं, पर मानवता के नाते यह कहना चाहते हैं कि हकीकत में अगर हमारी बात तथ्यपूर्ण है तो आप मान लें और उसके बाद हमें सहयोग दें और हमारे से सहयोग लें। केवल परिन्दे लड़ाने से काम नहीं चलेगा; आज भले ही चल जावेगा, कल भी चल जावेगा, पर परसों नहीं चल सकेगा। इन्सान का दामन किस तरह से पकड़ा जावे, इसको सीखना जरूरी है इस कल्याणकारी राज्य में। जैसे पंखा घूमता है और पक्षपात बिना सबको समान रूप से हवा देता है इसी तरह से राज्य को भी सबको बगैर भेदभाव के और पक्षपात के समान रूप से सहूलियतें और लाभ पहुंचाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अभी अभी एक चर्चा चल रही थी और क्योंकि घंटी की आवाज सुनाई देने लग गई है, मैं अब दूसरा मसला ले लेता हूं। इसे फिर कभी देखा जावेगा।

इन्कम टैक्स को ले लेता हूं। ये टैक्सेज़ काश्तकारों पर और जनता पर किस प्रकार लगाये जा रहे हैं। यह भी एक सोचने की बात है। लगान पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, साथ ही साथ एक काश्तकार अगर कपास बेचने के लिए बाजार में जाता है तो बाजार में उससे सेल्सटैक्स और ले लिया जाता है। कम से कम इस बात की तो व्यवस्था होनी चाहिये कि काश्तकार, जिस काश्तकार कॉम्युनिटी को हम यहां रिप्रेज़ेन्ट करते हैं और जिनकी ताकत के बल पर ही आज आप यहां बैठे हैं शासन में उनको उसकी मेहनत का पूरा फल मिल सके। केवल अपने गुड़ के खातिर हां में हां मिला देना, इसे मैं कोई अच्छी पॉलिसी नहीं समझता और इसे सरकार चलाने की अच्छी रीति नहीं समझता। अगर कोई गड्ढे में गिर रहा है तो, तो उसे और आगे गड्ढे में जाने में सहायता पहुंचाई जा रही है। उन किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति आज यह है, उसके कपड़े की स्थिति यह है कि उसकी जाकिट खोली जावे तो उसमें दस जुएं निकलेंगी। यह हमारे आज के कल्याणकारी राज्य का नमूना है। माफ करियेगा कि मैं ये सही सही बातें आपसे कह रहा हूँ। यह दुर्दशा आज इस कल्याणकारी राज्य में इन किसानों की है। ऐसी हालत में हमें धन्यवाद देने के लिए कैसे बाध्य किया जा सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आपकी इच्छा है, आप धन्यवाद दीजिये अथवा न दीजिये।

श्री अब्दुलजब्बार : अछूतों के उद्धार का सवाल आता है। केवल दिखावा मात्र इसमें रह गया है। हमारे अछूत सदस्य शायद

Page No 57

(श्री अब्दुलजब्बार)

इस बात को भूल गये हैं कि जनसंघ इस काम को इनसे भी ज्यादा तेज रफ्तार से करने वाला है। इसके नमूने देखने हों तो कई हैं । इस बात का नमूना देखना हो तो पूनमचन्दजी बिश्नोई जो पहले मिनिस्टर थे गवर्नमेन्ट के, कृपया उनके ऑफिस में जो भी होल्ड करते हैं वहां जाकर देखिये कि निम्बाहेड़ा के जनसंघ ने उनके लिये क्या किया है ? उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। जब कि अजमेर में कांग्रेस के नेता कहे जाने वाले जब म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे उन ज्वालाप्रसादजी ने हरिजनों की छाती पर मूंग दले थे । मेरे से ये तथ्य छिपाये जाते नहीं। आज जनसंघ कह सकता है कि जनसंघ आज छाती तानकर इनकी रक्षा, देश की रक्षा और मानवता की रक्षा के लिये आगे बढ़ रहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : पोइन्ट आफ इन्फोमेशन, सर; पोइन्ट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर, मेरी व्यक्तिगत रूप से कुछ उन्होंने बातें कही हैं। इसके बारे में, मैं इसका विरोध करता हूं कि ये गलत कही गई हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : And, Sir, this is an aspersion on the Hon. Member which he ought not to have done.

श्री अब्दुलजब्बार : It is not an aspersion. It is a fact. There was a strike and some Harijans were dismissed though it is a constitutional right of the Harijans to strike.

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is only an exception that the Jana Sangha has a Muslim Member.

श्री अब्दुलजब्बार : May be so, but I am in the Jana Sangha.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इल्लीगल स्ट्राइक, गलत स्ट्राइक करने के कारण अगर म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन की हैसियत से मैं कोई एक्शन लेता हूं तो यह मैं अवश्य लूंगा। मैं फिर आपको कह देता हूं कि आगे से गलत स्ट्राइक मत करना, नहीं तो उनको ठीक कर दिया जावेगा, आइन्दा यह गवर्नमेन्ट भी ठीक कर देगी उनको ।

(२. ३० म० प०)

(श्री नारायणसिंह मसूदा, सभापति, पदासीन)

एक माननीय सदस्य : It is a direct insult and a direct threat against the Member. He must take his words back. What does he mean ?

श्री अब्दुलजब्बार : ठीक करने का क्या मतलब है आपका ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ये शब्द सभापति महोदय, उनसे विड्ड्रॉ कराये जाने चाहिये।

मकसद जो है, तो क्या वे कुश्ती लड़ना चाहते हैं ?

श्री अब्दुलजब्बार : 'ठीक करने' का

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह एक चैलेन्ज है मजदूर को, मजदूर वर्ग को। इस सदन के अन्दर ठीक कर देंगे और तरह से भी ठीक कर देंगे, अगर ऐसी धमकी वे देते हैं तो। ये शब्द उनको वापिस लेने चाहिये।

एक साथ दो तीन, माननीय सदस्य: ये शब्द वापिस लेने चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): मैं अलवर से आने वाले माननीय सदस्य की ताईद करूंगा कि जिस तरह की भाषा का ये प्रयोग करते हैं, यह कोई इनके लिये नई बात नहीं है। इनकी भाषा को सीरियसली नहीं लेना चाहिये, यह तो इनकी आदत है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस रेफरेन्स में कहा गया है उसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जिसे मुझे विथ्ड्रा करना पड़े। 'ठीक कर दिया जावेगा' का मतलब यह है कि उनसे कानून मनवाया जावेगा। मैं लीगल स्ट्राइक का विरोध नहीं करता हूं, इल्लीगल की बात कहता हूँ।

श्री अब्दुलजब्बार: 'ठीक कर दिये जावेंगे,' What does it mean ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: To put them on right path.

एक माननीय सदस्य: अगर उन्होंने अपशब्द कहे हैं तो आप चेयर से कहिये। आपको परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति: उन्होंने अपशब्द क्या कहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपने कहा कि फिर इस तरह की स्ट्राइक जो लोग करेंगे, इल्लीगल भी आपकी नजर में बेशक हो तो उनको ठीक कर दिया जावेगा। इसका मतलब यह है कि जो मजदूर स्ट्राइक फिर करेंगे, जिसको सरकार इल्लीगल करार दे दे तो उनका सख्ती से दमन किया जावेगा। यह सीधा इसका मतलब है। यह तो एक तरह की धमकी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: यह मेरा मतलब नहीं है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा): गलत काम नहीं करेंगे, यह इसका मतलब है।

श्री सभापति (श्री नारायणसिंह): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य, श्री ज्वालाप्रसाद ने 'ठीक करने का' शब्द कहा वह तो मेरे विचार से अनपार्लियामेन्टरी शब्द नहीं है। उसका कोई भी अर्थ हो सकता है और उस पर आप कमेन्ट कर सकते हैं। लेकिन वह अनपार्लियामेन्टरी नहीं है इसलिए इस शब्द को उनको विथ्ड्रा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह: ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): आपने कहा कि 'ठीक कर दिया जायेगा; तो ठीक वहां किया जायेगा....

श्री सभापति: पहले माननीय भैरोंसिंह-जी कहें, फिर आप कहें।

श्री भैरोंसिंह : जहां तक सभापति महोदय, इन शब्दों का सवाल है ये अनपार्लियामेन्टरी तो नहीं हैं, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में कहे गये हैं उनको भी देखना होगा। ठीक कर देंगे या ठीक कर दिया जायेगा; यह एक प्रकार की धमकी है। यह ठीक है कि उनकी कोई इस प्रकार की वास्तविक स्थिति नहीं है कि वे किसी को ठीक कर सकते हों। शायद अपने आपको भी ठीक नहीं कर पाते हों, दूसरों को ठीक करने का कार्य तो उनके लिए असम्भव है। लेकिन सभापति महोदय, ठीक कर देंगे यह जिस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग किया है यह एक प्रकार से धमकी है और धमकी के शब्द पार्लियामेन्टरी हों या अनपार्लियामेन्टरी हों, धमकी दोनों पार्लियामेन्टरी और अनपार्लियामेन्टरी शब्दों में दी जा सकती है। लेकिन जो धमकी दी गयी है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सदन में नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा कि इस धमकी के भाव का निराकरण करने के लिए माननीय सदस्य को आदेश दिया जाये कि दूसरों को ठीक करने के बजाय अपने आप को ठीक कर लें।

श्री सभापति : भावना का प्रतिबंध स्वयं सदस्यों के ऊपर है और जहां तक रूल्स इत्यादि और चेयर का संबंध है वह अनपार्लियामेन्टरी नहीं कहा जा सकता। अपनी भावना के आवेश में अभद्रता से अलग कोई शब्द कह दें तो आप अपने भाषण में उसका एतराज कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह ठीक है कि माननीय चेयरमैन महोदय ने उनके शब्द को अभद्र मान लिया है।

श्री सभापति: मैंने अभद्र नहीं माना है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अभद्र शब्द ही केवल अनपार्लियामेन्टरी हो सकते हैं और उससे अगर किसी शब्द का तोड़ मरोड़कर कॉन्टेक्स्ट में कोई अर्थ निकलता है तो उस अर्थ का उल्लेख आप अपने भाषण में कर सकते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : सभापति महोदय, मैं सदस्य बन्धु के शब्दों का निमंत्रण स्वीकार करता हूं और भविष्य में पुनः इन्हीं शब्दों के दोहराने के लिए कहूंगा।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि हरिजनों की सुविधाओं का शासक वर्ग की ओर से यह दावा किया जाता है और साथ ही साथ हमारे राज्यपाल महोदय के भाषण में भी इस बात की चर्चा की जाती है और अन्य पार्टियां भी इस बात का दम भरती हैं और साथ ही साथ डॉक्यूमेन्टरी प्रूफ भी रखती हैं कि हरिजनों के लिए केवल दिखावा ही नहीं, बल्कि वास्तविकता का भी जामा पहिनाया गया है। हरिजनों के बच्चे मैंने इन हाथों में दम छोड़ते देखे हैं और उनका पाखाना और पेशाब इन कपड़ों पर गिरा है जिसका प्रमाण वह भूमि है जहां से मैंने चुनाव लड़ा है। यह हरिजनों का मसला केवल कांग्रेस की ही ठेकेदारी में नहीं आया है, दूसरी पार्टियों के ऊपर भी इसकी जिम्मेदारी है। हरिजन क्या, हम तो मानव को लेकर चलते हैं। सभापति महोदय, मैं तो इस राज्यपाल के भाषण में जिन शब्दों 'अछूत' जाति और 'जनजाति' का प्रयोग किया गया है उससे भी घृणा करता हूँ। मैं मानवता को लेकर चलने वाला इन्सान हूं। मैं कहता हूं कि

(श्री अब्दुल जब्बार)

भाषण में 'मानव' नाम का शब्द प्रयोग में होना चाहिए। सारे मानव मात्र को खुशहाल करने वाला राज्य होना चाहिए। अछूतों का उद्धार करना केवल दिखावामात्र है। इसलिए सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि ये जो शब्द हैं इनके बजाय मानव हितकारी राज्य होता तो बहुत अच्छा होता।

साथ ही साथ खानों की उन्नति और विकास के संबंध में कहा गया। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां की पूरी कान्स्टीटुएन्सी में पत्थर निकलता है और वह सारे हिन्दुस्तान के कोने कोने में जाता है। सभापति महोदय, वहां पर खदानों की हालत यह है कि लाखों रुपया रॉयल्टी का इकट्ठा किया जाता है, वहां पर एक पाई भी खर्च नहीं किया जाता है। आज सदन के समक्ष सभापति महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि वहां पर रॉयल्टी कलेक्ट की जाती है, लेकिन बड़े बड़े ढेर मिट्टी के लगे हुए हैं और जो मलवा इकट्ठा किया जाता है उसको हटाने के लिए राज्य की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। जो इन्डस्ट्रि-यलाइज़ेशन और इस किस्म के डेवलपमेन्ट के ऊपर दम भरते हैं उनको चाहिए कि मेरे इन कहे हुए शब्दों के ऊपर वहां जाकर निरीक्षण करें कि वास्तव में यह स्थिति ठीक है या नहीं है। यह तो शासकवर्ग का कर्तव्य होता है कि जो कुछ विरोधी पक्ष वाले कहे उसको वे जाकर देखें और उसके ऊपर कार्यवाही करें। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे शब्द तो आपको कड़वे लगते हैं। पर हम यह सब बात तो इसलिए कहते हैं कि हमारा उनसे प्रेम है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए कड़वी बात कहते हैं। हमारी मोहब्बत की आपको कद्र करनी चाहिए।

इस प्रकार उन मजदूरों के साथ किसी किस्म की राहत पहुंचाने के लिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए। सभापति महोदय, सरकार के पास यह बात पहुंचाने की कोशिश की जाये कि उन मजदूरों से जिनसे लाखों रुपया रॉयल्टी का आता है उनको सरकार किसी किस्म की राहत नहीं पहुंचाती है, वहां पर फर्स्ट एड की भी व्यवस्था नहीं है। मजदूरों के हाथ-पैर टूट जाते हैं और गाड़ियों में लाद कर उनको लाया जाता है और वे बुरी हालत में आते हैं। सड़कों की दुर्दशा मैंने पहले ही अर्ज कर दी है।

उसके बाद में मैं केवल इतनी ही बात नहीं करके एक अर्ज करना चाहता हूं कि जहां कर्मचारीवर्ग को कोसा जाता है तो कर्मचारीवर्ग के पक्ष में भी दो शब्द बोलने का साहस एक जनसंघी कर सकता है। हमारे कांग्रेस के लोग जो नारा लगाते हैं कि बेगारी की प्रथा को खत्म कर दिया है, इन नजरों ने चपरासियों को साड़ी धोते और जूतों पर पॉलिश करते हुए देखा है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। आज मैंने इन नजरों से देखा है, गरीब चपरासियों को लातें मारी जाती हैं, ठोकरें मारी जाती हैं। यही राजा-महाराजाओं के पद-चिन्हों पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। क्या यह बेगार नहीं है? क्या यह मानवता के साथ में खुली गद्दारी नहीं है? आज जैसा कहा जाता है कि हम कल्याणकारी राज्य कायम करना चाहते हैं

(श्री अब्दुलजब्बार)

चपरासी सुबह ७ बजे अपने घरों से निकल आते हैं और रात को ६ बजे वापिस पहुंचते हैं। क्या उनके बीबी—बच्चे नहीं हैं ? ८ घन्टे की ड्यूटी वे देते हैं तो फिर भी उनको क्यों दबाया जाता है ? आखिर वे भी समान अधिकार रखते हैं। आज उनकी जुबानों पर ताले लगा दिये जाते हैं। इसलिए मुझे एक बात याद आ गई, "बेड़ियां आज भी पहनते हैं असीराने वतन, फर्क इतना है कि जंजीर में झंकार नहीं"। आपने आज भी बेड़ियां डाल रखी हैं, वे यूनियन बनाकर अपनी मांगों को रखते हैं तो उनको डराया जाता है। उनका साहस ही क्या है ?

इसी तरह से कर्मचारियों और क्लर्क्स वगैरह के बच्चे और पत्नियों की हालत है। कुर्सी पर बैठे बैठे उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है और तनख्वाह के हिसाब से बाजार की महंगाई का कोई सवाल नहीं करता है। उनकी हालत क्या है ? केवल यह कह दिया कि ठीक है, इनकी तनख्वाह पहले से अधिक है। मैंने अपनी नजर से देखा है। मैं नहीं मानता हूं। मैंने देखा है कि रिटर्निंग ऑफिसर निम्बाहेड़ा का स्टाफ रात-दिन काम करता रहा, लेकिन आगे जाकर एक पाई का कम्पेन्सेशन नहीं है। यह बड़े अफसोस की बात है। मैं तो यह कहता हूं कि रात-दिन काम करते हैं तो माकूल मुआवजा मिलना चाहिए क्लर्कों को। हम केवल यह नहीं चाहते हैं कि आपको गालियां बकते फिरें, आपके लफ्जों में। आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हकीकत इजहार करते हैं। हमारे दिलों में इन्सानियत रोती है तो हकीकत को पुकार पुकार कहते हैं कि क्या कुसूर किया है ? रात-दिन जुटकर उन्होंने काम किया और उनको एक पाई नहीं मिली। यह कल्याणकारी राज्य का नमूना है, दोस्तों !

एक माननीय सदस्य : और देवियों।

श्री अब्दुल जब्बार : अध्यक्ष महोदय, कम से कम इन चीजों का नतीजा सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिए। हकीकत में यह किस प्रकार कल्याणकारी राज्य का नमूना है ! जनता परेशान है, कर्मचारी परेशान हैं, किसान परेशान हैं। रेल और मोटर की छतों पर आदमी सफर करें। मोटरों का किराया ज्यादा। इसलिए यह जो अभिभाषण हमारे सामने इस पुस्तिका के रूप में आया है उसका खुल कर विरोध रूप में अपने शब्दों का इजहार करता हूं और मैं सदन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम मेरे शब्दों में अपने शब्दों को मिलाने का साहस करे।

श्री सभापति (अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) श्री हरदत्तसिंह।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा नं० ३ में यह कहा गया है, "यह बहुत ही संतोषजनक बात रही कि मतदाताओं का व्यवहार आम तौर पर बड़ा संयत रहा।" यह जो कहा है, इसके लिए उनका समर्थन करता हूं। लेकिन इसके साथ ही इस पैरे के आखिर में उन्होंने यह कहा, "चुनावों के संबंध में भिन्न-भिन्न हैसियतों में जिस कार्यकुशलता के

(श्री हरदत्तसिंह)

साथ कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, उसके लिये मैं इस अवसर पर उनकी सराहना करना उचित समझता हूं।" मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के लिए यह कह सकता हूं कि ७० मतदान केन्द्रों की जो लिस्ट बनाई गयी उसमें ८ गांव उसी जगह के लिख दिये गये जो अपने मतदान केन्द्रों से कम से कम ६-६ मील दूर पड़ते थे। मिसाल के लिए मैं राखी गांव का उदाहरण देता हूं। जिला गंगानगर की तहसील भादरा में जो डगराना मतदान केन्द्र से २५० गज की दूरी पर था, लेकिन उस गांव को वहां से ५ मील की दूरी पर कलाना केन्द्र में लिख दिया गया। वह इसलिए लिख दिया गया कि कांग्रेस का जो उम्मीद-वार वहां से खड़ा था उसके और इस गांव के लोगों से बहुत पहले से दुश्मनी चली आती थी। इसी तरह से इस क्षेत्र में ८ गांव अपने मतदान केन्द्र से ५-६ मील की दूरी पर इसलिये लगाये गये हैं कि वही उम्मीद-वार इस बार भी कांग्रेस चुनाव टिकट पर लड़ा है, वह पहले सन् ५७ में भी उम्मीदवार थे। वे गांव उनके खिलाफ थे। कोई साधन सवारी या सड़क का नहीं था। गांव के ८ पर्सेन्ट मत-दाता मत देने से रह गये। यह बहुत ही अफसोस की बात है। इन ८ गांवों के लोगों का वोट देने से वंचित रह जाना, मुझे धन्यवाद देने से रोकता है।

दूसरी बात जो सदन के सामने आई है वह यह है कि सरकारी कर्मचारियों ने बहुत सी जगह खुल कर कांग्रेसी उम्मीदवारों का समर्थन किया, उनको सहयोग दिया। यह कहते हुए मुझे अफसोस होता है कि मेरे क्षेत्र के थानेदार का तबादला चुनाव से एक माह पहले इसलिए कर दिया गया कि वह कांग्रेस के उम्मीदवार का दोस्त था और इसके अलावा कांग्रेसी उम्मीदवार स्वयं का दामाद जो कहीं पर थानेदार लगा हुआ है, पता नहीं वह छुट्टी लेकर आया या बिना छुट्टी लिये ही चुनावों के दौरान में अपने गांव, जो उसी क्षेत्र में पड़ता है आता रहा है। लेकिन इसके लिये मैं ज्यादा आलोचना करना पसन्द नहीं करता क्योंकि उनके प्रयत्न निष्फल गये। लेकिन मैं साथ ही ट्रेज़री बैन्चेज़ के भाइयों से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों का काम में लाना दुधारी तलवार है, जिसका वार आपके ऊपर भी हो सकता है और दूसरी ओर भी हो सकता है, जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि कांग्रेस के उम्मीदवार, बड़े भारी मंत्री भी हार गये। वे इसलिये हार गये कि कोलोनाइज़ेशन के एक बहुत बड़े पदाधिकारी ने चुनाव के दौरान में सैकड़ों कुर्कियां की और लोगों को बेदखल किया। सैकड़ों के खिलाफ वारन्ट इश्यू करके उनको ले जाया गया, जिससे जनता में असन्तोष बढ़ा और वह उम्मीदवार फैल होगया। इसलिये मैं अपने कांग्रेसी साथियों से अपील करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि आज उनके सामने और दूसरे मुकाबले हो सकते हैं, दक्षिण पक्ष या वाम पक्ष का, लेकिन उनके लिए अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वह यह है कि वे एडमिनिस्ट्रेशन के इस बेलगाम घोड़े पर

(श्री हरदत्तसिंह)

चढ़ते हैं; तो यह घोड़ा दायें या बायें न ले जाकर राजस्थान केनाल के खाड़ी-गड्ढों में ले जा सकता है।

पैरा न० ६ में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की बात कही है। जहां तक लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के लागू करने का सवाल है, यह एक बहुत अच्छी परम्परा है। सिद्धान्त के तौर पर यह तारीफ के काबिल है। लेकिन बड़े बड़े नेताओं की जो गुट्टबन्दियां और पार्टीबन्दियां हैं उनका भी विकेन्द्रीकरण इस विकेन्द्रीकरण के साथ हो गया है और इस विकेन्द्रीकरण की महरबानी से जो फूट का बीज राजधानी या जिले के हैडक्वार्टर तक सीमित था उसकी पहुंच अब झोपड़ियों में और गांवों के कच्चे मकानों में हो गई है।

इसके बारे में मैं आपको दो सुझाव पेश करता हूँ। एक तो यह है कि ग्राम पंचायतों को जो डेवलपमेंट का काम दिया गया है उसके बारे में तो कोई एतराज की बात नहीं हो सकती। लेकिन ग्राम पंचायतों को डेवलपमेंट के साथ में ही भूमि-विक्रय और पट्टे का जो अधिकार है, रास्ते के बारे में जो अधिकार है उसकी अपील पंचायत समितियों के हाथ में रखी है। पंचायत समितियां और पंचायतों का निर्माण गुट्टबन्दी के आधार पर होता है। इसलिये पंचायत समितियां आम तौर पर फैसले न्याय के आधार पर नहीं करके गुट्टबन्दी के आधार पर करती हैं। इसके दो नतीजे होते हैं। नीचे वाली पंचायत जिसकी अपील पंचायत समिति के रूबरू आई है और अगर वह उसका फैसला करती है और वह पंचायत समिति के पदाधिकारियों के गुट्ट के खिलाफ है तो लाजमी तौर पर पंचायत समिति का फैसला पंचायत के खिलाफ होता है और उस पंचायत की फजीहत होती है।

दूसरी बात यह है कि यदि वह उनके हक का है तो अपील करने वाला फरीक चाहे कितना ही उसका पक्ष मजबूत है वह पड़ा रह जाता है और ऊपर के लोग अपनी गुटबन्दी का ख्याल करके फैसला उसके खिलाफ करते हैं। इसलिए शासक वर्ग से मैं अपील करूंगा कि पंचायत समितियों के पास अपील का अधिकार नहीं रहना चाहिये, उनको डेवलपमेंट के अधिकार और दें तो हर्ज की बात नहीं है........

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : अधिकार किसके पास रहना चाहिये ?

श्री हरदत्तसिंह : जिस प्रकार से न्याय पंचायतों की निगरानी मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास होती है उसी तरह ग्राम पंचायतों की अपील मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास होनी चाहिये जिससे........

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : But there is provision of revision also.

श्री हरदत्तसिंह : महरबानी करके हिन्दी में बोलिये।

श्री भीमसेन : आप तो वकील हैं, सब समझते हैं।

श्री हरदत्तसिंह : रिवीज़न करने का अधिकार है जरूर, लेकिन इस अधिकार से पूरा नहीं पड़ता है।

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में, वह न्याय पंचायत के सम्बन्ध में है। न्याय पंचायतों में गुटबन्दी भरी है और उनको जो अधिकार दिये हैं उनके बारे में न कहता हुआ उनके लिए भी शासक दल से अपील करता हूँ कि उनके फैसले की एक एक प्रतिलिपि मुंसिफ साहबान के यहां आनी चाहिये और उनका मैन्डेटरी तौर पर ६ माह में मुआयना अदालत मुंसिफी से होना चाहिये। वहां पर ऐसे फैसले होते हैं जिनके बारे में यहां नहीं कहा जाय तो अच्छा है, शायद आप सभी जानते हैं।

एक बात इस विकेन्द्रीकरण के बारे में मेरे सामने आई वह भी अर्ज कर देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों की तहत, जिला परिषदों की तहत और ग्राम पंचायों की तहत शिक्षण शिविर लगाये जाते हैं उनमें बड़ा खर्चा किया जाता है। मैंने जहां तक देखा है, कई शिक्षण शिविरों में जाकर देखा है, अनुभव के आधार पर कहता हूं कि शिक्षण शिविरों में जो भी पैसा लगाया जाता है वह सिवाय फिजूल खर्च के और कुछ नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। गत वर्ष लालगढ़ जाटान गंगानगर जिले का सबसे बड़ा गांव है उसमें शिक्षण शिविर पंचों की शिक्षा के लिये लगाया गया था। उसमें ५० पंच और ग्राम मुखिया तलब किये गये थे जिनमें से ३५ पर तलब हुआ था। उसमें भूतपूर्व मंत्री श्री रामचन्द्र चौधरी, शिक्षा शास्त्री श्री गौरीशंकर आचार्य, चौधरी कुंभाराम, एम.पी., और मुझे भी बुलाया गया था। मैंने वहां जाकर देखा कि शिक्षार्थियों की अपेक्षा शिक्षकों की तादाद ज्यादा थी। इस पर हमने प्रबन्ध अधिकारियों से पूछा कि शिक्षार्थी कितने हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि ५० को तलब किया था लेकिन ३५ पर तलब हुई। मुझे संतोष नहीं हुआ, इसलिये मैंने कहा कि उनको बुलाइये और उनकी हाजरी लीजिये। तो उनमें से तीन मौके पर मौजूद थे और दो के लिये यह कहा गया कि आपके लिये भोजन व्यवस्था कर रहे हैं। ५ आदमियों के बल पर एक महीने तक शिक्षण शिविर! इसमें मुझे भी कहा गया कि आप भी कोई स्पीच दें। चौधरी कुंभाराम एम. पी. ने देहाती गाना गाकर पिंड छुड़ाया। मैंने स्पीच के तौर पर कहा कि आप लोग सच्चाई से काम करिये, खाली कागजी घुड़दौड़ मत करिये, फर्जी भत्ता मत उठाइये। आज मुझे मौका मिला है इसलिये अपील करता हूं कि यह जो शिक्षण शिविर की प्रथा बढ़ गई है वह फिजूल खर्ची है, इस पर नियंत्रण रखना चाहिये।

सभापति महोदय, भूतपूर्व रियासतों में मैंने राजाओं के शासनकाल में कुछ शामिल होकर देखा, उस समय महाराजा लोग 'किसान' शब्द का उपयोग करते डरते थे और जब कभी किसान शब्द का प्रयोग करना होता तो "काश्तकार" शब्द का प्रयोग किया जाता था। मैंने राज्यपाल महोदय का लंबा-चौड़ा अभिभाषण पढ़ा, लेकिन अफसोस है कि इस देश के ८० प्रतिशत नागरिकों को संबोधित करने वाले 'किसान' शब्द का प्रयोग इस अभिभाषण

(श्री हरदत्तसिंह)

में नहीं हुआ है। पैरा १६ से 'उद्योगपति' शब्द आया है, और भी कई जगह उद्योगपति आया है लेकिन 'किसान' शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं आया है। इसके लिये आप से अर्ज करना चाहता हूं कि गंगानगर जिला जो राजस्थान का किसानों का सबसे समृद्ध जिला है उसके बारे में भी राजस्थान सरकार ने पिछले ५ साल में कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की है जिससे उनको धन्यवाद दिया जा सके।

गंगानगर जिले में बहुत तरह के किसान हैं। वे किसान हैं जो पहले से जमींदार थे, जिन्होंने कीमत देकर जमीन ली और जिनको खातेदार या मालिक कहा जाता है। दूसरी तरफ वे हैं जिनको कोलोनाइज़ेशन महकमे ने जमीन दी है। उनको भूमिहीन किसान कहा जाता है। ऐसा नियम है कि १५ बीघा जमीन हर भूमि-हीन किसान को दी जाय। इसमें सब से बड़ी चीज जो अखरनेवाली है वह यह है कि भूमिहीन को जमीन अलॉट करने से पहले एक किश्त उन से पेश्तर वसूल की जाती है। आप सोचिये यदि उनके पास इतना पैसा होता कि जिससे एक किश्त की अदायगी कर सकते तो वे ५ साल पहले ही जमीन ले लेते जबकि आज ४०० रु० लिये जाते हैं और ५ साल पहले ८० या १०० रुपया बीघा से अधिक भाव नहीं था। यदि वे पहले जमीन ले लेते तो आज वे भूमि-हीन नहीं बनते। उन लोगों से एक किश्त पेश्तर चाही जाती है, यह उनके साथ ज्यादती है। इसी तरह से उन भूमिहीनों के साथ में एक शर्त यह भी है कि यदि वे पांच किश्तें अदा नहीं करेंगे तो भूमि खारिज कर दी जायगी और आठ आना फी सदी सूद लिया जायगा। यह अफसोस की बात है कि जिन काश्तकारों के पास कोई साधन नहीं हैं, जो भूमिहीन है, औरों की भूमि जोतकर गुजारा करते हैं उन से एक बार भी किश्त नहीं दी जाय तो उनसे ६ प्रतिशत लगान वसूल करें तो यह शाइलोक को भी मात करने वाला उदाहरण है। यदि उनके पास पैसा होता तो वे पहले से ही जमीन ले लेते। मैं सत्ताधारी पार्टी से निवेदन करूंगा कि सूद लेने की जो व्यवस्था रखी है वह भूमिहीन किसानों के साथ ज्यादती है, इसलिये यह नहीं रहनी चाहिये।

एक बात और भी भूमिहीन किसानों के साथ ज्यादती की है। खातेदारों से बैटरमेंट के रुपये कोर्ट के जरिये लिये जाते थे, लेकिन उनके साथ में यह रियायत है कि जितनी जमीन में पानी लगता है उतनी ही जमीन के हिस्से पर लिया जाता है। सारी जमीन नहरी है, लेकिन यदि ८ बीघा जमीन में पानी लगता है तो ८ बीघा जमीन के लिये ही बैटरमेन्ट लिया जायगा। लेकिन भूमिहीनों से जो कोस्ट ली जाती है उसमें सारी भूमि शामिल है। यदि उसमें से एक ही बीघा जमीन में पानी लगता है तो भी १५ बीघा की कोस्ट वसूल की जाती हैं। यह उनके साथ ज्यादती है जो नहीं होनी चाहिये।

(३.• म. प.)

मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि गंगानगर के इलाके में भूमिहीन किसान और सर्वहारा वर्ग है। उस वर्ग के साथ इस तरह की ज्यादती होना उचित और शोभा की बात नहीं है।

एक और भी ऐसी चीज है जो भूमिहीन

(श्री हरदत्तसिंह)

किसानों के साथ होती है। मैं आपको यह बात ध्यान में दिला दूं कि गंगानगर जिले में जो भूमिहीन हैं उनमें ज्यादा तादाद हरिजन भाइयों की है। फैक्ट के मुताबिक, रेवेन्यू कानून के मुताबिक इनके नाम ग्यारह-बारह को गिरदावारियों के खातेदारी राइट दिए गये, चाहे उनके पास एक-दो साल में जमीन आई, लेकिन उस इलाके के हजारों हरिजनों के पास बहुत अर्से से जमीन चली आ रही थी, उसकी एवज में सैकड़ों वर्षों पहले राजा-महाराजाओं और अब आज के सताधारी और उनके कर्मचारियों की बेगार दी लेकिन उनके पास जो जमीन थी उनके खातेदारी हक नहीं दिये गये। उनको डर था कि अगर इन्हें जमीन में खातेदारी हक दे दिये गये तो ये आदमी बेगार नहीं देंगे। तो जब ग्यारह-बारह की गिरदावरियों पर एक, दो साल से जिन काश्तकारों के हक थे, उनके खातेदारी हक मान लिये हैं तो जिनके सैकड़ों सालों के हक हैं उनको खातेदारी हक क्यों नहीं देते, सिर्फ इसलिए कि बेगार नहीं मिलेगी? यह चीज आज के युग के अनुरूप नहीं है। इसलिए मैं सताधारी पार्टी से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार हजारों गरीब हरिजन किसानों के पास भूमियां हैं और उनको खातेदारी हक अब तक नहीं दिये गये हैं, उनकी मिल्कियत नहीं मानी है। उनको आप हकूक खातेदारी की महरबानी करें। आपको बेगार प्रथा कायम रखनी है, आपको अपने सरकारी कर्मचारियों, जब वे देहात में जाते हैं, को मुफ्त में काम देने के लिए आदमियों की जरूरत है तो जो गांव के आसपास बंजर जमीन पड़ी है, जो जमीन बेकार पड़ी है वहां जो स्वेच्छा से बेगारी बनना चाहते हों उनको जमीन एवज में देकर बेगार को रख सकते हैं लेकिन जिनके पास सैकड़ों सालों से जमीन है उनको जमीन के हक दे देने चाहिये।

मैं कोलोनाइज़ेशन के बारे में एक ऑब्जेक्शनल चीज भी हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। भाखरा के एरिया में, गंगानगर इलाके में जो भाखरा के किनारे के गांव हैं जिनमें सारे गांवों में भाखरा का पानी नहीं जाता उनमें कुछ ऐसी अनहोनी बात हुई है जो कि शायद गफलत से या लापरवाही से हुई है। मिसाल के लिए मैं तहसील भाखरा गंगासिंहपुरा का उदाहरण देता हूँ। उस गांव में कुछ ढाई बीघा जमीन नहरी मानी गई है, लेकिन महकमा कोलोनाइजेशन ने भाखरा पानी का जो एरिया कायम किया उसमें इन सारे गांवों को भाखरा एरिया मान लिया। इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ है। नतीजा यह हुआ कि भाखरा के एरिया में ग्यारह, बारह की गिरदावरी से खातेदारी हकूक नहीं दिये जा सकते हैं। इस लिहाज से ढाई बीघा जमीन इस गांव में नहरी थी उस गांव के तमाम आराजो काश्तकारों को खातेदारी हक से महरूम रख दिया गया। मैं इस तरह के गांवों की मिसाल देता हूँ। इस तरह के सत्रह गांव हैं जिनमें करीब ५० बीघा जमीन आती है। उनके तमाम किसान महज एक कानूनी गफलत और गलती के कारण खातेदारी हक से महरूम रख दिये गये हैं।

इसमें एक और अन्याय हुआ है कि इन गांवों का कोलोनाइजेशन किया गया। उनमें

(श्री हरदत्तसिंह)

जहां नहरी एरिया था उनकी चकबन्दी करदी गई, बारानी एरिया को बारानी एरिया घोषित कर दिया गया। इसके बाद जब कन्सोलिडेशन आया और चक के लिहाज से कन्सोलिडेशन नहीं किया गया, बल्कि उनका गांव वाइज़ कन्सोलिडेशन किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सारे हजारों किसान जो हैं वे चक बन्दी का फायदा नहीं उठा सके। जिनके पास जमीन थी और जो थोड़े बहुत काश्तकार चकबन्दी में आ गये थे उन्होंने और काश्तकारों को बेदखल करके अच्छी अच्छी जमीन हासिल की। इस तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जिन हजारों किसानों के साथ अन्याय हुआ है उनको दूर करने का प्रयत्न किया जाय।

इसके साथ इस महकमे से सम्बन्धित एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। एक तरफ कांग्रेस और कांग्रेस सरकार चारागाह रखने, पशु–पालन पशुओं, की तरक्की का नाम लेती है, उसके लिए सेन्टर खोले जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिला गंगानगर में सबसे अच्छी किस्म की गायें राजस्थान में होती हैं, सबसे अच्छी किस्म की भैंसे होती हैं, लेकिन अफसोस है, उन गाय और भैंसों के चराने के लिए भाखरा के एरिया में एक बीघा जमीन भी अब तक नहीं छोड़ी गई है। महाराजाओं के जमाने में सैकड़ों बीघा जमीन गांव के आस–पास खाली रखी जाती थी, जो गांव की पनी कहलाती थी और गांव के अन्दर जोड़ पायतन होते थे उस जोड़ से गांव के लिए पीने का शुद्ध पानी आता था। एक खाली जमीन होती थी, जो गांव के आदमियों के पाखाने के लिये काम देती थी। बाकी को जमीन चारागाह का काम देती थी। इस महकमा कोलोनाइज़ेशन की महरबानी ने उन गांवों को नंगा कर दिया है, इनमें पशुओं के चरने के लिये जगह नहीं रही है। गांव की किस्म बदरूप हो गई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप और आपका महकमा कोलोनाइज़ेशन है।

कोलोनाइज़ेशन महकमे की एक बात और हाउस के सामने ला देना चाहता हूं। कोलोनाइज़ेशन महकमे के एक भूतपूर्व डाइरेक्टर ने अपने घर वालों के नाम पर बिना किसी हक के छः मुरब्बा जमीन हनुमानगढ़ में किस्म नं० १ की जमीन थी, जो बाजार में बोली देने पर हजारों रुपया बीघा से कम की नहीं है वह हथिया ली और जहां तक मेरी जानकारी है, उसको कैंसिल करने की कोई कार्यवाही सरकार ने नहीं की। इस तरह महकमा कोलोनाइज़ेशन के भूतपूर्व तहसीलदार जब तहसीलदार थे तो उन्होंने अपने नौकरों के नाम से दो मुरब्बा जमीन बहुत बढ़िया जोड़ गोगामेड़ी के बीड़ में हथिया ली और आज तक किसी ने चूं नहीं की जब कि हर एक कांग्रेसी और हर एक कार्यकर्ता को यह चीज मालूम है........

एक माननीय सदस्य : On a point of order, Sir. As he has been going astray since long he should be checked. Time is very short.

श्री हरदत्तसिंह : मेरी समझ में नहीं आता.......

श्री सभापति : He is within the point.

Page No 68

श्री हरदत्तसिंह : There is on ash-tray.

श्री सभापति : आप कन्टिन्यू करिये।

श्री हरदत्तसिंह : There is nothing like ash-tray.

श्री सभापति : आप आरम्भ रखिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Smoking is not allowed here.

श्री सभापति : आप प्रारम्भिक रखिए लेकिन समयाभाव का थोड़ा ध्यान रखिए।

श्री हरदत्तसिंह : इसके बारे में एक चीज और महकमा कॉलोनाइजेशन के सम्बन्ध में मैं अर्ज कर देना चाहता हूं। आज भी गंगानगर इलाके में और खास कर भाखरा के क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन खाली पड़ी है जिसको राजस्थान सरकार, बोली पर चढ़ा कर जो बोली बढ़ाता है, जो भाव चढ़ाता है उसको जमीन देती है और हजारों–सैकड़ों की तादाद में भूमिहीन भाई दरख्वास्त लिए बैठे हैं। उनको भूमि देने का प्रबन्ध किया जा रहा है वह। जैसलमेर के इलाके में, राजस्थान केनाल के इलाके में किया जा रहा है। वह ऐसा इलाका है जहां आज पानी उपलब्ध नहीं है, आज बसने के साधन नहीं हैं। किसानों के खेत हैं उनको उनके घर से कम से कम दो सौ मील पर रखा जा रहा है और पता नहीं क्यों। हां, एक बात जरूर है कि एटम का युग है। हो सकता है कि सत्ताधारी भाई युग के साथ चल रहे हों और युग के साथ चल कर ही ये किसान वहां जाकर काश्त कर सकेंगे। मैं कांग्रेसी सरकार से अपील करता हूं कि जब आपने इतने सारे भूमिहीनों को भूमि दी है और इतने सारे हरिजन भाइयों को जमीन दी है तो थोड़े बहुत बचे हैं, इसलिये कम से कम उनको भी एक बार नीलामी भूमि रोको जाकर उनको वहां बसाया जाय और फिर वह जमीन बच जाय उसकी नीलामी में हमें एतराज नहीं होगा। इस नीलामी को रोकने के लिये, सदन को मालूम होगा, एक आन्दोलन चला था और उस आन्दोलन में बहुत गिरफ्तारियां हुई थी।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह आन्दोलन चला, जहां से एक मन्त्री महोदय, भूतपूर्व मन्त्री महोदय अपने चुनावों में हार चुके हैं और मैं समझता हूं कि उनकी हार का प्रमुख कारण यह आन्दोलन था। आन्दोलन की मांग यह थी कि जो जमीन पड़ी है उसे पहले भूमिहीन लोगों को दी जावे। मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। आप देखिये चौमासे की मौसम में जब वर्षा होती है और उस वक्त वर्षा में कहीं एक भैंस नहा रही हो तो किसान अपनी काश्त को इस वास्ते नहीं रोकता कि इस वर्षा में भैंस नहा रही है, इसलिये मैं काश्त नहीं करूंगा। उस आन्दोलन पर राजस्थान सरकार ने इसलिये गौर नहीं किया कि एक पार्टी की मांग थी और दूसरी पार्टी उसको मन्जूर करे या न करे। मैं यह कहूंगा कि पार्टी ने उसको मन्जूर नहीं किया, इसलिये हजारों किसानों और भूमिहीन किसानों को उस जमीन से महरूम रख दिया, महज इसलिए की पार्टी ने उसको उचित नहीं समझा। यह हमारी सरकार की बहुत कमजोरी की बात है, यह नहीं होना चाहिये और

(श्री हरदत्तसिंह)

इसलिये मैं आपसे दुबारा अपील करता हूं कि इस पर गौर किया जाना चाहिये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना भाषण अब शीघ्र समाप्त करने का प्रयास करें ।

श्री हरदत्तसिंह : अब मैं ज्यादा समय नहीं लेकर महकमा नहर के बारे में अर्ज करना चाहूंगा कि पिछले जितने भी चक थे भाखरा क्षेत्र में, जिला गंगानगर में वे करीब करीब सारे बदल दिये गये । उसका नतीजा यह हुआ कि जितने भी मोखे और खेलें थीं जिनको हजारों रुपयों की लागत से बनाया था वे सारे के सारे व्यर्थ गये और नये मोखे लगाने पड़े । जब नहर के अधिकारियों से कहा गया तो कहा कि अपनी सुविधा से मोखे बदलते हैं । अगर ये नहर के अधिकारी को बदलना ही था तो किसानों की रजाबन्दी से बदलना चाहिये था, मगर ऐसा नहीं किया गया ।

तहसील भादरा में तमाम चकवासियों ने आज से ६ महीने पहले नहर के उच्च अधिकारियों से अपील की कि हमारे यहां पानी की कमी है , हमे पानी मिल जाना चाहिए । लेकिन वह बात मन्जूर नहीं हुई । मुझे यह बात नहीं कहनी चाहिये, लेकिन कहनी पड़ती है कि वह उनकी मांग इसलिए मन्जूर नहीं हुई कि नहर के अधिकारियों की इस चक के लोगों ने पूरी सेवा नहीं की ; उनकी सेवा से मेरा मतलब गांधीवादी सेवा नहीं था लेकिन आज के जमाने की सेवा वे चाहते हैं । यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं ।

पीने के पानी की व्यवस्था की बात भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आई है । गंगानगर के इलाके में और दूसरे आस-पास के इलाकों में पानी की कमी है । बीकानेर से आने वाले भाई ने अभी थोड़ी देर पहले सदन के सामने पूछा था कि जिस इलाके में भाखरा नहर चलती है उस इलाके की एक बात मैं कह देना चाहता हूं । कुछ गांव ऐसे हैं; जैसे भादरा तहसील, नोहर आदि कि जहां से नहर पास से होकर जाती है लेकिन उन गांवों के जोड़ों को पानी महकमा नहर नहीं दे सकता है और इसका कारण यही है कि वहां के लोग महकमा नहर के अधिकारियों को खुश नहीं कर सकते और मैं यह फिर बात बताना चाहता हूं कि महकमा नहर के अधिकारियों को गांव के लोग सेवा करके खुश नहीं कर सके । महकमा नहर की यह कमजोरी है, इसको दूर करके इसमें सुधार करना चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि दिसम्बर के महीने में शार्दूल ब्रांच चलती है । दो नहरें चलती हैं उनमें से एक का नाम शार्दूल ब्रांच है, उसका पानी दिसम्बर में आना था मगर उसको पानी अभी चार दिन पहले दिया है । इसमें पानी समय पर नहीं आने से फसलें बैठ गई और अब पानी मिलने से फसलों को कोई फायदा नहीं होगा ।

आखिरी बात मैं सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं । मेरा क्षेत्र नोहर और भादरा का

(श्री हरदत्तसिंह)

है जहां सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाला इलाका है। वहां पर सबसे ज्यादा चना पैदा होता है। लेकिन इस क्षेत्र में अभी तक एक भी सड़क नहीं बन सकी है। मैंने कई बार माननीय मन्त्री महोदय से कहा, कई बार दर्ख्वास्तें दी, मगर कुछ नहीं हुआ। भादरा से जावर तक १९५२ में सड़क शुरू हुई थी और वह आज ४ मील हुई है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर गौर किया जावे और इस कमी को पूरा किया जावे।

अध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों को देखते हुए मुझे मजबूर होकर कहना पड़ता है। वहां के गांव के लोगों की हालत को देखते हुए, मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने पिछले सालों में डेवलपमेंट के काम नहीं किये। हम करें भी क्या, जब कि उदयपुर के भाई भी इस बात की शिकायत करते हैं कि सड़कों पर खड्डे हैं तो हम तो क्या आशा करें? मैंने अपने उदयपुर के एक भाई से पूछा कि आपका क्या नाम है तो उन्होंने कहा छोटू। मैंने कहा कि जब आपका नाम छोटू है तो मैं तो हूं ही नहीं। जब उदयपुर के लोग भी करुणा-क्रन्दन करते हैं तो फिर हम तो क्या आशा करें? तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां सड़कें बनावें। इसलिये मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री नाथूराम मिर्धा।

अनेक माननीय सदस्य : हमको बहुत सी वे बातें कहनी हैं जो इनके विभाग से सम्बन्ध रखती हैं, इसलिए इन्हें बाद में अवसर दिया जाए।

श्री सभापति : श्री नाथूराम मिर्धा का नाम इनके बाद में है। साधारणतः यह रिवाज है कि एक विरोधी दल का सदस्य बोले तो दूसरा ट्रेज़री बेंच का।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : हमको भी बोलने का समय मिलना चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री सभापति : आपको भी समय मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : मंत्रियों के लिए आखिरी दिन रिज़र्व है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : वे किसी भी वक्त अपने व्यूज़ रख सकते हैं।

श्री सभापति : आपका नाम पहले से आ चुका है, इसलिये मैं बाध्य हूँ।

एक माननीय सदस्य : जो बात हमको कहनी है वह माननीय मन्त्री महोदय से संबंध रखती है इसलिये हमको पहले कहने दिया जाना चाहिए........

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी आज्ञा हो चुकी है।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन की स्वस्थ परम्पराओं को ध्यान में रखें।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री जी वॉलेन्टरिली बैठ जावें तो........

(बहुत से माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह निवेदन कर रहा था कि अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वादविवाद चल रहा है, उसमें बहुत से माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है। मैं भी एक सदस्य के रूप में जो मेरे विचार हैं आपकी मारफत सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। तीसरे आम चुनावों के बाद आज हमारे देश में करीब करीब सभी राज्यों में जहां चुनाव होकर सरकारें बनी हैं वहां कांग्रेस की सरकारें बनी हैं। सभापति महोदय, मैं देश की जनता को इस बात के लिए मुबारिकबाद देता हूँ कि उन्होंने देश में आने वाली पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस सरकार को तीसरी पंचवर्षीय योजना को पूरा करने का मौका दिया है।

देश में चुनाव हुए हैं और चुनावों के बारे में हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि इस बारे में हमारे यहां प्रान्त में चुनाव शांति पूर्वक हो गये। इन चुनावों के सिलसिले में इस सदन में इस ओर से या उस ओर से बैटने वाले माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां रखे हैं। उन्होंने यह कहा और शिकायतें भी की कि अमुक इलाके में चुनावों का तरीका ठीक नहीं रहा। मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भाषा राज्यपाल महोदय ने काम में ली है वह यह है कि हमारे प्रान्त में जो पोलिंग स्टेशन्स थे हजारों की तादाद में वहां हजारों लोगों ने शान्ति के साथ अपने मत का उपयोग किया और वहां किसी प्रकार का दंगा फिसाद नहीं हुआ, मतदाताओं ने अपने मत दिये और चुनावों में किसी प्रकार बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई। वैसे कई चुनाव क्षेत्रों में कई प्रकार की बातें हुई हैं और उनको रोकने के लिए जो सरकारी तन्त्र है, उनको रोकने के लिए जो कुछ उस समय कर सकते थे उनको करने की कोशिश की और चुनाव शान्ति से गुजर गये। मैं उन चुनावों के बारे में लम्बी-चौड़ी शिकायत आपके सामने नहीं करना चाहता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनावों के दौरान में २५–३० क्षेत्रों में चुनावों के सिलसिले में मुझे दौरा करने का मौका मिला था। वहां चुनाव-प्रचार जो चलता था और जो तरीका चुनावों के लिए चलता था वह भी देखने को समय समय पर मुझे मिलता था। हमारे सामने चुनाव आयोग ने अलग अलग उम्मीदवारों से यह भी कहा कि चुनावों के बारे में, तरीके के बारे में जो कुछ भी आप लोगों के सुझाव हों, जो चुनावों के सिलसिले में अनुभव हों उनको सामने रखें।

हम उन अनुभवों को रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके मार्फत मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि आजादी के गत १३–१४ वर्ष के बाद हम आज चुनावों के तीसरे दौर से गुजर रहे हैं और यह भी सही है कि पिछली बार से इस बार विरोधी पक्ष का नम्बर भी काफी तेज आया है और बड़े जोरों से और दावे के साथ यह भी कहा गया है कि पिछली बार जितनी तादाद में कांग्रेस आयी थी उतनी इस बार नहीं आयी है। एक माननीय सदस्य जो निर्दलीय रूप से चुन कर आये थे उन्होंने स्वेच्छा से कांग्रेस जोइन की। उनके बारे में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बार बार नाराजगी और एतराज प्रगट किये गये । माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो इस सदन में बैठे हैं उनके लिए किसी समय भी यह विचार करने का मौका है कि वे इधर बैठें या उधर बैठें, राजस्थान को आगे बढ़ाने के कार्य-क्रम में हिस्सा लें। तो उन माननीय सदस्य ने सोच विचार कर यह फैसला किया । उन्होंने कांग्रेस में आने की अपनी इच्छा जाहिर की और कांग्रेस ने इच्छा से समर्थन किया और इस तरह से वे आज कांग्रेस की बेन्चेज़ पर बैठले हैं ; न तो सोदेबाजी की बात थी और न कुछ था । उनकी स्वयम् की इच्छा थी और उन्होंने स्वेच्छा से कांग्रेस जोइन की । उन्होंने इण्डिपेन्डेन्ट तरीके से चुनाव लड़ा । मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूं कि उन्होंने चुनावों के दौरान में जब वे चुनाव लड़ रहे थे कभी कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा । इतना करने के बाद वे कांग्रेस की इन बेन्चेज़ पर बैठें और काफी सोच-विचार के बाद उन्होंने कांग्रेस जोइन की ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : कांग्रेस दल ने सहायता भी की।

श्री नाथूराम मिर्धा : किसी कांग्रेस दल ने सहायता नहीं की । कांग्रेस ने कांग्रेस उम्मीदवार की सहायता की थी । उसके बावजूद भी कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया था ।

आज कांग्रेस कि बेन्चेज़ पर बैठने वाले जो माननीय सदस्य हैं उनको कांग्रेस की घोषणा के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना को पूरा करना है । विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों का अपना रोल है और उसको वे अदा करेंगे । मुझे चुनावों के दौरान का कुछ अनुभव है । मैं कुछ क्षेत्रों में गया था । मैंने देखा कि वहां पर विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से ऐसे तरीके काम में लाये जा रहे थे जो सही तरीका प्रजातन्त्र की दृष्टि से नहीं कहा जा सकता । मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता । तीसरे आम चुनावों में जो विशेष चीज देखने को मिली विरोधी पक्ष के लोगों में, वह यह देखने को मिली कि शराब पर ज्यादा जोर रखा, अफीम पर ज्यादा जोर रखा और ज्यादा जीमन करने के ऊपर भी जोर रखा । और कई माननीय सदस्यों ने, मैंने रात-रात में घूम कर यह अनुभव किया, काफी बड़ी तादाद में रुपयों का वितरण किया ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : कांग्रेस के सदस्यों के मुकाबले में कम ।

श्री नाथूराम मिर्धा : खास कर मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में........

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : माननीय मन्त्री महोदय पूरा विवरण दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे अपनी बात कहने दीजिये ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : कांग्रेस ने जितनी अनैतिकता की उतनी किसी माननीय सदस्य ने नहीं की ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अपनी बातें दुबारा फिर कहना चाहते हैं । मुझे कहने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दीजिये। आप शान्ति से सुनिये। आपको बोलने का और मौका मिलेगा।

उसके साथ साथ सभापति महोदय, हमारे नैतिक स्तर का जो नमूना देखने को मिला वह बड़ा सोचनीय है। आम तौर पर मतदाताओं को इन आम चुनावों के दौरान में लोक शिक्षण का अच्छा मौका मिलता है; इन बातों के बारे में जो खास तौर पर रीतिनीति की बातें हों; पार्टीज़ की, रीतिनीति की बातें बता कर, लोक शिक्षण का रास्ता बता कर सही तरीके से चुनावों में मतदान करवा सकें, ऐसी बुद्धि बनवाने की आवश्यकता थी बजाय उन बातों के और तरीकों के जो मैंने अनुभव किये और देखे जिनका कि मैंने अभी जिक्र किया था। उनके विचारों में मैंने आम तौर से यह देखा कि टैक्स के बारे में उन्होंने बड़ा जोर का धूंआ बना रखा था लोगों में। जहां जहां जाते एक बात देखने को मिलती थी कि कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने जनता पर बहुत टैक्स लगा दिये हैं, विरोधी पार्टियों के लोग गांवों में कहा करते थे मतदाताओं को कि कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने बड़े बड़े टैक्सेज़ लगा दिये हैं, जो अब आप सहन नहीं कर सकते। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि यह भी कहा गया था कि कर्जा बहुत लिया जा रहा है, देश को दिवालिया बनाया जा रहा है। देश में टैक्सेज़ बहुत लगाये जा रहे हैं। यह भी इसके साथ कहा गया कि यहां सड़कें नहीं बनीं। एक माननीय सदस्य जो निम्बाहेड़ा से आये हैं उन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की टीका की और कहा कि इस सड़क पर पुल नहीं बनाया ; और भी माननीय सदस्यों ने बातें कहीं कि यहां कॉलेज नहीं बनाया, हाई स्कूल नहीं खोला। ये सारी बाते वहां गाव वालों को भी कह रहे थे कि इतनी कमियां हैं। दूसरी तरफ यह कह रहे थे कि टैक्स बहुत लगा दिया। पंचायत समिति ने पांच पैसे लगा दिये, कल गाय पर और दूसरे मुद्दों पर टैक्स लगायेंगे।

श्री मनिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह प्रचार गलत था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य ने कहा था और भाषण के दौरान में यह कहा था कि पंचायतों से सरकार की ओर से ऐसा निर्देशन देकर टैक्स लगाया गया है, ऐसा प्रचार किया जा रहा था। एक तरफ यह कहा जाता है कि कर्जा लेकर देश को दिवालिया बनाया, दूसरी तरफ यह कहें कि टैक्स लगा कर बड़ा भारी बोझ जनता पर डाल दिया, इसके साथ साथ दूसरी तरफ जनता को यह भी कहा गया कि सड़क नहीं बनी, कुएं नहीं खोदे गये। विरोधी पक्ष के उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य जो भाषण दे रहे थे और आज भी देंगे और बजट के वक्त भी देने का मौका मिलेगा उनके दृष्टिकोण से ऐसी कौनसी करामात है जो मैं जानना चाहूँगा। देश में इतनी बड़ी कमियों को वे किस प्रकार पूरा करना चाहते हैं जब कि कर्जा लेने की, टैक्स लगाने की बात वे पसन्द नहीं करते। जो कुछ हुआ है उसको भी आगे बढ़ाना नहीं चाहते। योजनाओं की बात करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही उसकी चर्चा जब फाइनेन्शियल बजट के वक्त में यह बात आयेगी तब बताऊंगा कि किस

(श्री नाथूराम मिर्धा)

प्रकार किन किन टैक्सेज़ का ज्यादा बोझा किस किस पर पड़ता है और इनका औचित्य है कि नहीं, ये सब बातें, नये टैक्सेज़ के प्रोपोज़ल्स आयेंगे तब साफ रूप में अच्छी तरह से बताया जायगा। पर आम रूप से विरोधी पक्ष की ओर से दलीलें चुनावों के समय में मतदाताओं के सामने रखी जा रही थीं और जो तरीका काम में लिया जा रहा था उनके स्तर को देख कर मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमें ज्यादा गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। चुनाव हो चुके जिनको जीतना था जीत चुके और जिनको हारना था हार चुके, पर उनके बाद भी आगे हमें ख्याल रखना है कि हमारे देश के करोड़ों इन्सानों की गरीबी को मिटाना है, करोड़ों इन्सानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। तो एक तरफ तो हमारे देश के प्रधान मन्त्री रात-दिन कहते हैं कि जिस रफ्तार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है वह रफ्तार कम है, आगे बढ़ने में दूसरे देशों की रफ्तार ज्यादा तेज है और हमारी रफ्तार उनके मुकाबले में बहुत कम है। हम इसको तेज करना चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि हम इसको तेज करें। पर इस तरह पर जो कुछ किया है उसकी गति के बारे में भी हमको पीछे से खींचा जा रहा है। तो इन बातों को सदन के इस ओर बैठे हुए माननीय सदस्यों का ही जिम्मा नहीं, उस ओर बैठे हुये माननीय सदस्यों का भी जिम्मा है कि किस तरह हमारे देश को योजनाबद्ध रीति से गरीबी से छुड़ाना है। अगर सदन के माननीय सदस्य स्वीकार कर लेते हैं, सदन के उस ओर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने खुले रूप से नहीं कहा कि हम योजनाओं को नहीं चाहते या योजनाओं के जरिये जो देश का विकास होता रहा है उसको रोकना चाहते हैं, यह खुले रूप में किसी माननीय सदस्य ने नहीं कहा। यही कहा कि योजनाओं में खामी है, टैक्सेज़ का बोझा ज्यादा बढ़ गया है, ये नये टैक्स बिल्कुल नहीं बढ़ाने चाहिये; योजना की तरक्की हो, इस चीज को सदन के सभी माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है। योजनाएं नहीं हों, यह किसी माननीय सदस्य ने नहीं कहा।

तो माननीय सभापति महोदय, यदि हम देश को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सही बातों को समझा कर चुनावों में मतदाताओं से मत की मांग करनी पड़ेगी और फिर सही मत से जीतें। फिर चाहे इधर ज्यादा हों या उधर ज्यादा हों, इधर कम हों या ज्यादा हों, पर इन बातों को छोड़ कर सही बातों को करना चाहिये। देश को सही माने में आगे बढ़ाने वाली योजनाओं को आप मानते हैं तो मैं हमारे देश की बात न करके प्रान्त की बात करूंगा कि जिन बातों के ऊपर, कुछ के बारे में गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रकाश डाला, जिनके बारे में काफी लिटरेचर प्रकाशित किया जा चुका है। तीन तीन महीने बाद जिनके बारे में स्टेटिस्टिकल किताबें निकाली जाती हैं उनमें सब योजनाओं की जानकारी के आंकड़े, कितने वक्त में कितना काम होना चाहिए था, क्या काम रह गया, क्यों नहीं, इसकी जानकारी राजस्थान की आम जनता के सामने पब्लिसिटी विभाग और दूसरे विभागों की ओर से सदन के माननीय सदस्यों और

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आम जनता के सामने आती है ? अगर उनको पढ़ कर ठीक तरह से समझने की कोशिश करें तो हमें मानना पड़ेगा और सदन के माननीय सदस्यों ने माना है कि ५० में हमारा राजस्थान बना, ५१ में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, उसके पहले राजस्थान अलग अलग देशी रियासतों में बंटा हुआ था। पहले इसका एकीकरण और रूप में हुआ, ५० में इसका एकीकरण हुआ, उस समय का खेती बाड़ी की उपज का केलकुलेशन करें तो सारे राजस्थान में उत्पन्न हुआ अनाज राजस्थान के लिए काफी नहीं था, इस बात को आंकड़े साबित करते हैं। ५० हजार टन अच्छे वर्ष में और १ लाख टन खराब वर्ष में अनाज बाहर से मंगाना पड़ता था, दूसरे सूबों से इम्पोर्ट करना पड़ता था। १६५० में राजस्थान की यह स्थिति थी। दो योजनाओं के बाद, पहली योजना समाप्त भी नहीं हुई थी, कई फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे कानून थे, तरीके थे जिनकी वजह से किसानों को वहां तरक्की करने का मौका नहीं था, यहां भूमि सुधार का कानून बना, अलग अलग स्टेटों में भी भूमि सुधार के कानून बन चुके थे........

श्री मोहनलाल सारस्वत : यह सब तो माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा जा चुका है, आप फिर इसे दोहरा रहे हैं........

श्री नाथूराम मिर्धा : तो क्या आपके खयाल से राज्यपाल महोदय के भाषण में जो बातें आ गई हैं उनको आधार नहीं मान कर दूसरी ही बातें कही जायं ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : जो बातें भाषण में हैं उनको दोहराने से क्या मतलब ? मैं यह कहना चाहता हूं कि........

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले मुझे कहने दीजिए। १६५० में राजस्थान डेफिसिट स्टेट थी यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जो लक्ष्य फूड प्रोडक्शन के बारे में सामने रखा था कि २ करोड़ रुपयों की धनराशि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने, अन्न के अलावा गन्ना, ऑइल सीड्स भी शामिल हैं, दो करोड़ की धनराशि से शुरू किया। दूसरी योजना में साढ़े चार करोड़ रुपया खेती बाड़ी की समस्याओं पर खर्च करने का सोचा और जो लक्ष्य ८ लाख टन ज्यादा पैदा करने का रखा वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १० लाख टन तक पहुंच गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में २३६ करोड़ रुपये का आकार बना है, इसमें करीब १० करोड़ रुपये की धनराशि आने वाले ५ वर्षों में कृषि उत्पादन के कामों में खर्च करना चाहते हैं और ६५ के एन्ड तक एडीशनल १६ लाख टन अनाज राजस्थान में पैदा करना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आम जनता का समर्थन जैसा पहले से रहा है, राजस्थान के किसानों ने भूमि सुधार की वजह से नये नये खेती के तरीकों को अपनाने से, सिंचाई के साधनों में बढ़ोतरी की है। एक साल में १० हजार नये कुए राजस्थान में बनते हैं, नये सिंचाई के बन्ध बनते हैं, नये कुए खुदते हैं इससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान की तुलना में कुछ आंकड़े पंजाब और यू. पी. के सिंचाई के बारे में रखे कि पंजाब में ४० प्रतिशत और यू. पी. में २५ प्रतिशत सिंचाई हो रही है। मैं निवेदन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

करना चाहता हूँ कि हमारे प्रान्त की भौगोलिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। यहां नदियों की कमी है, पहाड़ी इलाका दूर है। आम तौर से यहां की नदियां बरसात में कोई दो दिन, कोई तीन दिन या पांच दिन चलती हैं और कोई एक दिन भी नहीं चलती। इस तरह की नदियां और नाले यहां पर हैं, बालू के बड़े बड़े टीबे यहां पर हैं। तो उन प्रान्तों के मुकाबले में जहां कि कुदरत की बहुत बड़ी देन है, जहां पहले से इर्रिगेशन के बन्ध हैं, इर्रिगेशन के साधन हैं वहां पहले राजाओं का राज नहीं था, विदेशी हुकूमत भी सिंचाई के मामलों में पहले से दिलचस्पी रखती थी। हमारे यहां रियासतें २२ की तादाद में थी। ऐसे साधन बनाने के बारे में हमारे यहां के राजाओं के पास उपयुक्त साधन थे नहीं, कुछ के पास थे उन्होंने लगाये और कुछ राजाओं ने कुछ चीजें बनवाईं पर आज हमारे साधन ८.१० पर्सेंट हो गए हैं और १६ परसेन्ट अगली योजना के अन्त तक बढ़ेंगे।

तो इस तरह से हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ा है, कॉटन प्रोडक्शन बढ़ा है, ऑइल सीडस का प्रोडक्शन बढ़ा है। इसी तरह से अच्छा खाद और अच्छा बीज देकर हमने उत्पादन को बढ़ाया है, खेती के औजारों में, बीजों में बहुत सुधार किया है। फिर भी आज लोगों को, किसानों को अच्छे औजार या बीज मिल गये हों, यह बात नहीं। फिर भी सारे किसानों को ये साधन उपलब्ध हो गए हों, यह बात नहीं। निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कल्याणकारी राज्य के बारे में कहा। कुछ जगहों की सड़कें नहीं बनीं, पुल नहीं बने, स्कूल नहीं बने, इस बारे में भी माननीय सदस्यों को सोचना पड़ेगा। राजस्थान जहां हजारों वर्षों से ये कमियां घुसी हुई हैं वे एक दम दूर नहीं हो सकती। यह एक योजना क्या दस योजनाओं तक इसके लिये काम करना पड़ेगा। इसके साथ इसके लिये त्याग और योजनाओं के अनुसार काम करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी हम ही सारी कमियों को पूरा कर पायेंगे।

हमारे प्रान्त में फूड प्रोडक्शन के अन्दर वृद्धि हुई है, इसके आंकड़े हमने सदन के सामने रखे हैं वे सही रूप से रखे हैं। एक माननीय सदस्य ने इस बारे में कुछ आंकड़े पेश किये। जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने जो आंकड़े रखे हैं या तो उन्होंने ठीक से उनको लिया नहीं या उन्होंने वे गलत आंकड़े रखे हैं। उन्होंने बिजली के उत्पादन की बात करते हुए कहा था कि राजस्थान जब बना उस समय ४० हजार किलोवाट का उत्पादन था। अब उनके कहने के मुताबिक ६० हजार किलोवाट बढ़ गया है। यह जो उन्होंने कहा सही नहीं है। जिस समय राजस्थान बना उस समय कुल बिजली का उत्पादन था वह १६ हजार किलोवाट था। आज वह बढ़ कर ६६ हजार किलोवाट तक पहुंच गई है और आगे आने वाले तीन–चार महीनों में सवा लाख किलोवाट तक उत्पादन हो जायेगा....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : १६ हजार किलोवाट अकेले बीकानेर पॉवर हाउस की कैपेसिटी थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : १,६०० होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : १६ सौ नहीं, १६ हजार थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके किलोवाट का युनिट शायद दूसरा होगा। मेरे ख्याल से जो भी आंकड़े हम रखते हैं उसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं करना चाहिये। चाहे राजस्थान सरकार के आंकड़े हों या भारत सरकार के आंकड़े हों उन आंकड़ों पर विश्वास करना चाहिये। अगर किसी को उसमें गलत-फहमी हो तो उस पर चर्चा करके दूर की जा सकती है। सभापति महोदय, जहां तक फूड प्रोडक्शन का सवाल है, सिंचाई का सवाल है इसमें अभी काफी सुधार करने की गुंजाइश है, रोड्स के बारे में बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। दो योजनाओं में १५ करोड़ रुपया रोड्स पर खर्च किया है उससे केवल पांच–सात हजार मील सड़क बनायी गई। जहां राजस्थान का १ लाख ३२ हजार स्क्वायर माइल एरिया है उसके लिये सड़कों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे कई पुल, नदियां आदि बननी बाकी हैं राजस्थान में ऐसी नदियां और पुल का निर्माण करना बाकी है। यह जिम्मेदारी जहां हम पर है उसके लिये आपकी भी कुछ जिम्मेदारी हो जाती है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि टैक्स न लगाये जायं, लेकिन दूसरी तरफ जहां हमें योजनाओं की पूर्ति करना है वहां हमें पैसा भी प्राप्त करना होगा, तभी जाकर ये योजनायें पूरी हो सकेंगी।

एक माननीय सदस्य ने मुख्यमंत्री महोदय के इलाके में चुनाव के दौरान जो भाषण हुआ उसका जिक्र किया; यह कहा गया कि मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि कांग्रेस को वोट देंगे तो आपका ज्यादा भला होगा। इसकी यह मन्शा थी कि कांग्रेस के लोग ज्यादा भला कर सकते हैं, इस वजह से कि इन योजनाओं को जन्म देने का काम, इनको ठीक ढंग से चलने का जिम्मा कांग्रेस सरकार ने लिया है। लेकिन यह सवाल नहीं है, आज जितने भी माननीय सदस्य यहां आये हैं इन योजनाओं को पूरा कराने में, रिसोर्सेज़ जुटाने में आप भी मदद कीजिए, आप भी हमें इन योजनाओं को पूर्ण करने में कन्स्ट्रेक्टिव समर्थन दीजिए....

श्री मुरलीधर व्यास : योजना चल रही है, चुनाव ही बन्द करवा दीजिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य की अलग ही सूझ है।

श्री मुरलीधर व्यास : योजनाबद्ध विकास के लिए आप वोट चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा....

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, मेरा जहां तक ख्याल है मुख्य मंत्री महोदय ने यह कभी नहीं कहा होगा कि कांग्रेस के लोग ही इन योजनाओं को चला सकते हैं। उन्होंने यह जरुर कहा होगा कि कांग्रेस का जिम्मा है इन योजनाओं को पूरा करने का, क्योंकि कांग्रेस के लोग ये योजनायें पूरा करने का दायित्व रखते हैं, इसलिये आप अगर योजनाओं को पूरा करवाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : योजना बनाने और पूरा करने का केवल मात्र आप ही को अनुभव हो, यह बात नहीं। हम भी योजनायें आपको दे सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप माननीय सदस्यों को हुक्म दें कि वे मुझे डिस्टर्ब न करें।

श्री विजयसिंह झाला : आपने जहां विरोधी पार्टी की नगरपालिकायें थीं, नाथद्वारा नगरपालिका का जहां ४३ हजार रूपया मंजूर था, आपने उसे रोक दिया....

श्री नाथूराम मिर्धा : इन सब बातों के बारे में मुख्य मंत्री महोदय जब बोलें उस समय आप कह सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : सभापति महोदय, २६ तारीख को यहां से रुपयों की ऑथोरिटी जाती है कलेक्टर के पास, उसी दिन कांग्रेस के सेक्रेटरी आते हैं और उसे रुकवा देते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, मुझे बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है। अच्छा है, माननीय सदस्य जिस समय भाषण दें उस समय उन तथ्यों को रखें।....

श्री सभापति (श्री नारायणसिंह) : सामान्यतः यह नियम है कि जब वाद-विवाद प्रारम्भ हो और हाउस पर जिसका पजेशन हो उनको बोलने में दखल नहीं दिया जाना चाहिये। प्रश्नोत्तर का समय होता है उस समय स्पष्टीकरण आप ले सकते हैं, लेकिन भाषण के दौरान में डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह तो परम्परा उधर वाले माननीय सदस्यों ने डाल दी है। उनमें से खास तौर से जो कांकरोली से माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने यह परम्परा डाली है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके अलावा कुछ मुद्दे और भी उठाये गये हैं। डूंगरपुर जिले के अन्दर आइरन और स्टील का कोटा किसानों को नहीं दिया जाता है, इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि सहकारी समितियां जितनी भी बनी हैं उनमें ८० फी सदी फेल हुई हैं। जिस प्रकार की बातें चुनावों के दिनों में कही जाती थीं वे तो नहीं कही गईं कि सहकारिता नहीं होनी चाहिये। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता का विकास राजस्थान में हुआ है, जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि २४ प्रतिशत लोग सहकारिता में आ गये हैं, कर्ज देने की पूंजी बढ़ी है। ८० फी सदी सहकारी समितियां बिल्कुल बेकार हैं और उसी तरह से डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सहकारी समितियों को कर्ज दे दिया। उनसे रुपया कितना वसूल हुआ, उनमें कितना आउट स्टेन्डिंग है, यह नहीं बताया गया। इस प्रकार की जो बातें कही गईं वे केवल कपोल-कल्पित ही मैं समझता हूं। इनमें कोई तथ्य नहीं है कि ८० फीसदी सहकारी समितियां बेकार हैं। हमारे राजस्थान में जो सहकारी समितियां चलती हैं वे कई प्रकार की हैं, खेती–बाड़ी की सहकारी समिति जिनको हमने सेवा–सहकारी समितियों का रूप दे दिया है, कुछ को और देना बाकी है; इसके आलावा और भी सहकारी समितियां हैं और आये साल सहकारी समितियों की घोषणा होती रहती है और उनके हिसाब–

(श्री नाथूराम मिर्धा)

किताब का ऑडिट होता रहता है, किसमें कितना आउट स्टेंडिंग है, किसने कितना चुकाया है, यह सब बाकायदा हमारे पास हिसाब है। आज जितनी सहकारी समितियां चल रही हैं उनमें से ५० प्रतिशत नफे में चल रही हैं, केवल १६ फी सदी सहकारी समितियां घाटे में चल रही हैं।

२६ पर्सेन्ट सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनमें न लाभ है और न हानि है।

ऐसी हालत में बोते हुए इन्स्टीट्यूशन्स राजस्थान के पुराने बैकग्राउन्ड में इनको देखें तो जिस स्थान से विरोधी सदन के नेता आये हैं वहां तो इनका पहले नाम ही नहीं था। ऐसी कई स्टेटें थीं; जैसलमेर, डूंगरपुर, सिरोही जहां पर सहकारिता का नाम निशान तक नहीं था, इसका कोई कानून नहीं था, जानकारी नहीं थी लोगों को। तो ऐसे इलाकों में जमाने की बात हो तो सही तरीके से इसे जमाने के लिये विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को भी इसमें दिलचस्पी लेने की जरूरत होगी। हमें आने वाले पांच वर्षों में सहकारिता को लेकर राज्य के कई परिवारों में जाना है। ६७ प्रतिशत लोगों तक इसका सन्देश पहुंचाना है। सेवा सहकारी समितियां बनाई जानी हैं। हमने काफी नया ढांचा यह बनाया है। बैंक हमारे नये हैं। लैंड मोर्टगेज बैंक, सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक नये बने हैं, जिनके मार्फत सब प्रकार के ऋण उत्पादन के लिये किसान के पास पहुंचाना चाहते हैं; शोर्ट टर्म और लोंग टर्म पर। ३० करोड़ के करीब तो अल्पकालीन कर्जा हम किसानों के पास पहुंचाना चाहते हैं। तो इन कर्जों की मार्फत अच्छा बीज, अच्छा खाद, औजार, अच्छे बैल किसान को देना चाहते हैं। कुंए लगवाना, पाइप लगवाना अपने उत्पादन का काम बढ़ाना, यह हम चाहते हैं। तो इसके लिये सहकारी पद्धति गरीब देशों के लिये अनिवार्य है और इसको हमारी सरकार ने और देश की सरकार ने भी मान्य किया है। हम सहकारिता के रास्ते पर हर परिवार का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह इस देश के लिये जरूरी है। हो सकता है, बहुत से सदस्य इस बात को नहीं मानते हों। मुझे उनसे कोई विरोध नहीं। वे अपनी बात कहें। उनकी इस बात से कि वे इस सहकारिता को पसन्द नहीं करते, हमारे पर कोई असर नहीं होने वाला है। हम इसको मानते हैं। इसे बनावेंगे और चलावेंगे और इसके जो अलग अलग स्फियर्स हैं और आस्पेक्ट्स हैं उन सब पर हम तेज गति से अपनी योजनाओं के प्रावधान के अनुसार काम करेंगे, यह हमारा संकल्प है। यह कहा गया कि ८० प्रतिशत बेकार हैं। कई विरोधी पक्ष वालों ने भाषण दिये इस तरह मैंने उनको बहुत जिम्मेदारी से सुना, उनमें से कुछ अभी यहां नहीं हैं। वे कहते थे कि २५ तारीख के समाप्त होते ही जमीन किसान की गई। एक हाथ से खातेदारी दी है और दूसरे हाथ से जमीन खींच करके आपसे छीन लेंगे और सहकारी खेती के अन्दर डाल देंगे और फिर आपकी खेती नहीं रहेगी। माननीय सभापति महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्य काफी काबिल और होशियार हैं। वे समझते होंगे कि सहकारी खेती के लिये हम किसी पर दबाव डालना चाहते हैं। स्वेच्छा से इसमें

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आवें। उसको यह छूट है अपनी इच्छा से अपनी जमीन को दस या ज्यादा किसान एक जगह इकट्ठे करके करना चाहते हैं तो पांच साल उनको एक साथ रखनी पड़ेगी अपनी जमीनें। ये हमारे बाईलाज़ कहते हैं। इसके बाद में जो अनुदान, सहायता विशेष रूप से सरकार की तरफ से देनी होती है वह देते हैं। इसके लिये हमने प्लान में प्रावधान रखा है। राजस्थान में तीसरी योजना तक हम २०० ऐसी सहकारी समितियां आदर्श तरीके से बनाना चाहते हैं जिनमें अपनी इच्छा से किसान आये और नये साधनों से अपनी खेती को सहकारिता के आधार पर चलाये। हम उनको नये साधन देने में मदद करेंगे, लोन देंगे, टैक्निकल सहायता देंगे और ऐसे यूनिट बना कर हम किसान को कन्विन्स करना चाहते हैं कि सहकारी खेती करना छोटी जमीन वाले किसान के लिये बहुत आवश्यक और उपयोगी साबित होगा और इससे उनका विशेष उत्पादन बढ़ेगा और उनका भला होगा। और पांच साल के बाद अगर उनमें से कोई यह चाहता है कि वह अपनी जमीन उसमें से निकाल ले तो वह वापिस अपनी जमीन बाहर निकाल सकता है। अगर मान लीजिये, उसकी जमीन बीच में पड़ती है तो उसी कीमत की और उसी तरह की जो कन्सालिडेशन हुई है एक कोर पर दे दी जावेगी। तो यह हमारी नीति है और प्लान है। इसे समझ कर सही रूप से विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य रखें और फिर अपनी बात लोगों के सामने रखें, फिर अगर हमारी नीति से प्रभावित होकर अगर वे न आवें तो हमें अफसोस नहीं होगा; पर गलत बात कह कर वे अगर सहकारिता की बात को कन्डैम करना चाहें तो यह सही तरीका तो नहीं हो सकता।

हां, सहकारिता के सिद्धान्त से उनका सैद्धान्तिक विरोध हो सकता है, अपने उस विरोध को वे ईमानदारी से रखें, हमें इससे नाराजगी नहीं, कोई द्वेष नहीं, पर साथ ही हमारा दृष्टिकोण अगर वे बतावें तो इसे भी सही तौर से, ईमानदारी से बतावें। कहा गया कि एक कुएं के लिये पेशाब करने लायक खड्डा खोद कर तकावी ले ली। मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह खामी हो सकती है विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त हमने स्वीकार किया है। नीचे के यूनिट्स हैं, ग्राम पंचायतें हैं, न्याय पंचायतें हैं, तहसील पंचायतें और जिला परिषदें हैं। इन संस्थाओं में आज कई प्रकार की खामियां हो सकती हैं। पर उनके लिये यह कहना कि न्याय पंचायतों में किस प्रकार के लोग आ गये हैं वैसे लोगों पर न्याय का अगर भार सौंपा गया तो न्याय दूभर हो जावेगा। मैं निवेदन कर दूं कि इस देश में जहां ४४ करोड़ में से ३३ करोड़ लोग अनपढ़ हों वहां हर पंचायत में पढ़े लिखे ही आवें, यह सम्भव नहीं है। वे दूसरी दुनिया से उतर कर भी आनेवाले नहीं हैं। पर हमने सामुदायिक विकास योजनाओं में कुछ उपाय इसके किये हैं, हम विकेन्द्रीकरण की संस्थाओं को मजबूत नींव पर डालना चाहते हैं। हमारी बराबर यह कोशिश है, कि शिविर लगा कर इनको ट्रेनिंग दी जावे व देते भी हैं। कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में जनता अनपढ़ है, तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा, नई बातें सिखानी पड़ेंगी और इसलिये यह कहना कि उनसे कोई गलती नहीं होनी चाहिये, ऐसा नहीं हो सकता। गलती

(श्री नाथूराम मिर्धा)

भी हो सकती है। फिर तकावी देने का एक प्रोसीजर है। उनकी स्टेन्डिंग कमेटियां बनी हुई हैं, नियम भी हैं। जिस काम के लिये पैसा लिया है और उसमें नहीं लगाया है तो इसको रोकने के लिये समितियों के पास में भी प्रावधान है। राज्य सरकार के पास भी प्रावधान है और जब भी इस तरह के वाकये हमारे सामने आते हैं तो बराबर हम कार्यवाही करते हैं और तकावी या लोन वापिस लेते हैं। सजा भी देते हैं।

एक माननीय सदस्य : नहीं देते हैं। वापिस नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तीन साल हो गये। मैं प्रधान हूँ और मैंने बराबर नोटिस दिये हैं। पंचायत समिति से कलेक्टर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी शिकायत सही होगी तो मैं उस पर गौर करने की कोशिश करूंगा।

एक माननीय सदस्य : तीन तीन साल हमें कहते हो गये, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे यहां भी ऐसे कई मामले हैं।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां भी एक में दस हजार बाकी है ....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इस बात का भरोसा विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को दिलाना चाहता हूं कि वे मेरे पास ये बातें लावें, मैं जरूर आवश्यक कार्यवाही करूंगा। पर यह कोई उपयुक्त मौका नहीं है। वे किसी भी वक्त इन बातों को मेरे यहां रखें। मैं बराबर इन बातों को ठीक करने की कोशिश करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसीलिये हम चाहते हैं कि आप पहले हमारी बातें सुन लें और फिर कुछ कहें तो अच्छा ही होगा। आप नये पंचायतों के मिनिस्टर बने हैं हमारी बात सुन कर फिर कुछ कहते तो ठीक होता।

(४ म. प)

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, अगर यहां पर मैं छोटी छोटी बातों और एक एक केस का जिक्र करूंगा तो उसका हल यहां नहीं निकल पायेगा। मैंने तो कहा कि इस प्रकार की कई त्रुटियां हमारी कार्य प्रणाली में हो सकती हैं तो उनको ठीक करने का सतत् प्रयास सरकार की तरफ से किया जाये और उसको करने की कोशिश की जायेगी, इसका विश्वास मैं सदन के माननीय सदस्यों को दिलाना चाहता हूं। अभी भाषण के दौरान में विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने यह भी कहा कि हमारे यहां सीमेन्ट नहीं मिलती, टिनें नहीं मिलतीं और किसानों को डूंगरपुर में कुछ भी नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से जो कुछ उन्होंने कहा वह सही बात नहीं थी। यह बात ठीक है, माननीय सभापति महोदय, कि इस देश के अन्दर इन दो योजनाओं के अन्तर्गत, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि सीमेन्ट का उत्पादन जो सन् १९५०-५१ में हो रहा है वह २७ लाख टन था और वह अब १९६०-६१ में हमारे देश में सीमेन्ट का उत्पादन कुल मिलाकर ८५ लाख टन हो गया है यानी तीन गुना से ज्यादा हो गया है। लोहे का उत्पादन भी हमारे देश में तीन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

गुना पहले से ज्यादा बढ़ा है, आइरन-स्टील का उत्पादन भी इसी अनुपात में बढ़ा है। सीमेन्ट की और लोहे की मांग हमारे गांवों में लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई है....

एक माननीय सदस्य : इसलिए कि उसका वितरण ठीक तरह से नहीं होता।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप समझ लीजिये पहले। तीन गुना उत्पादन बढ़ने के बाद भी इन चीजों की इतनी कमी होना कि उस चीज की कमी हमारे गांव गांव में और घर घर में महसूस करना, माननीय सभापति, वह स्वयं इस बात का द्योतक है कि आज हमारे गांवों की हालत पहले से ज्यादा आगे बढ़ी है।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि गांवों में किसानों की अंगरखी में दस दस जूंएं मिलती हैं। पर माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं कि आज किसान को अंगरखी तो पहिनने को मिलती हैं, वर्ना पहले तो यह भी पहिनने को नहीं मिलती थी। आज से दस साल पहले बिल्कुल यही हालत थी कि बहुत से किसानों को अंगरखी तक पहिनने को नहीं मिलती थी। मैंने जिन्दगी भर उन लोगों को नंगे फिरते देखा है, अंगरखी पहने नहीं देखा....

श्री सतीशकुमार (बानसूर) : वे कहते हैं कि सीमेन्ट में ब्लैक होता है और आप कहते है कि हम बहुत आगे बढ़ गये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मेरी बात को तो पहले सुन लीजिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज हमारे देश में सीमेन्ट और लोहे का उत्पादन दो योजनाओं के पश्चात् तीन गुना बढ़ गया है, लेकिन इन चीजों की मुल्क में बहुत कमी है और यही हालत आज से १५-१६ साल पहले जब कि कन्ट्रोल का समय चल रहा था उस समय चीनी और कपड़े की थी। आज मुल्क में चीनी और कपड़े की कोई समस्या नहीं है और उनकी कमी है। वही हालत आज सीमेन्ट और लोहे की हो रही है। मैं नहीं कहता कि आज सीमेन्ट का ब्लैक नहीं होता। आज गांवों के अन्दर किसानों के कूएं बनाने के लिए, किसानों के छोटे छोटे पक्के मकान बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए सीमेन्ट और लोहे की मांग बढ़ गयी है, आइरन और स्टील की मांग बढ़ गई है और मांग बढ़ने से चीजें नहीं मिलती हैं। रहा सवाल वितरण का, तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे अग्रीकल्चरल कोटा को हमारा विभाग डील करता है वह सारा का सारा कोटा हमको तीसरे महीने प्राप्त होता है उसका इक्वीटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम हर जिले के मार्फत जनसंख्या के आधार पर जिला परिषदों को कर देते हैं और जिला परिषद् उसी कोटे को पंचायत समितियों को वितरण करती है और वे पंचायत समितियां अपनी पंचायतों के आधार पर या जो अर्जियां होती हैं उसके आधार पर वितरण कर देती हैं। यह ठीक है कि उस वितरण के बारे में जो गड़बड़ियां होती हैं तो उसके लिए लोकल बॉडीज़ जिम्मेदार हैं, आपकी पंचायतें जिम्मेदार हैं। हमारे यहां से जो वितरण होता है, खास तौर से डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं, नहीं तो मैं उनको बताने के लिए पिछले तीन वर्ष के आंकड़े इकट्ठे करके लाया हूं। उन्होंने कहा

(श्री नाथूराम मिर्धा)

या कि डूंगरपुर में तो टीनें तक देखने को नहीं मिलतीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १९५९-६० में उनको ५०० टन लोहे का कोटा दिया गया है, १९६०-६१ में ५५२ टन दिया गया है और इस साल में भी आधा कोटा २२४ टन का दे दिया गया है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसंपुर) : किसको दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डूंगरपुर जिले की जिला परिषद को।

एक माननीय सदस्य : जिला परिषद को या सेवा संघ को ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हम तो जिला परिषदों को ही देते हैं। अब सेवासंघ में कई कार्यकर्त्ता हैं, तो मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था....

श्री उमरावसिंह (बनेड़ा) : आपने जो आंकड़े बताये हैं वे सही हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपसे अर्ज किया था वह यह है कि इसका वितरण का तरीका गलत है। बनेरी में सीमेन्ट का कोटा मुकर्रर किया, लेकिन वह उसको नहीं मिल कर माण्डल को मिल गया, जहां वे लोग नहीं जा सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपसे कहा कि जिला परिषद को देते हैं और जिला परिषद पंचायत समिति को और पंचायत समिति पंचायत को देती है....

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सभापति महोदय, जब कोई स्पीकर बोल रहा होता है तो उस समय बीच में इन्टरप्ट नहीं करना चाहिए। हां, अगर कोई बात समझ में नहीं आये तो उसके लिए तो जरूर इन्टरप्ट किया जाये; लेकिन यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, इस तरह से कार्यवाही में दिक्कत पेश आती है। मेरी, सभापति महोदय, आपसे प्रार्थना है कि इसको आप रोकने की कोशिश करें। जब भी विरोधी दल वाले बोल रहे थे तो उस समय किसी ने भी इन्टरफियर नहीं किया।

श्री विजयसिंह झाला : दूसरों को शिक्षा देने के पहले यह अच्छा हो कि उसको अपने ऊपर ही लागू करें।

श्री सभापति : मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य सदन में एक दूसरे को सहयोग देकर जो भाषण कर रहे हैं उनमें दखल न दें, इस प्रकार से तो अधिक समय व्यतीत होता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, तो मैं सीमेन्ट और आइरन एण्ड स्टील के बारे में जिक्र कर रहा था। इसके डिस्ट्रीब्यूशन में गलतियां हो सकती हैं, आज हमने जो सीमेन्ट के एजेन्ट्स मुकर्रर किये हैं, हो सकता है वे सही रूप से अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे हों और जहां कहीं उनकी गलतियां हमारी नजर में आती हैं हम उनके

(श्री नाथूराम मिर्धा)

खिलाफ बराबर कार्यवाही करते हैं । लेकिन आने वाले समय में वितरण का तरीका सुव्यवस्थित हो, इसके बारे में सहकारी समिति और मार्केटिंग सोसाइटीज़ जो अलग अलग क्षेत्र में बन चुकी हैं उनकी मारफत हमारी सीमेन्ट का वितरण और आइरन एण्ड स्टील का वितरण हो, इस पॉलिसी को राजस्थान की राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इस तरीके को ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फैलाया जाये और इसको सही तरीके से किया जाये, इस बात की कोशिश की है और तीसरी योजना में इसको सुधारने की कोशिश भी करेंगे । यह हमने योजनाओं के अन्दर स्वीकार कर लिया है । तो माननीय सभापति महोदय, आज इतने बड़े कामकाज को चलाने के लिए जो अलग अलग योजनायें चल रही हैं, जैसा स्वयं राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि इतने बड़े काम को चलाने के लिए जो न्यून त्रुटियां हो सकती हैं वे हुई हैं और सम्भवतः आगे भी हो जायें, लेकिन हमने सारी चीजों को खयाल में रखते हुए जो आम बड़े बड़े मुद्दे हैं, जिनके लिए हमने इतनी बड़ी बड़ी योजनायें बनाई हैं उनके द्वारा हम कितना करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं और इन योजनाओं को कितनी गति से चलाने की आवश्यकता है; इन सारी चीजों को राजस्थान में बड़ी चतुराई से करने की आवश्यकता है । इसका दायित्व माननीय सभापति महोदय सदन के इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों का भी उतना ही है जितना कि उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों का है । तो हमने इन सारी चीजों को सोच-समझ कर जो आपके रचनात्मक सुझाव हैं कि इन योजनाओं को चलाया भी जाये, स्कूलें भी बनाई जायें, सड़कें भी बनाई जायें, सब कुछ किया जाये, पर कैसे किया जाये, किस तरीके से किया जाये उसके बारे में ज्यादा गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, ताकि हम राजस्थान में और भी अधिक गति से आगे बढ़ें । मैं इतनी ही बात कह कर राज्यपाल महोदय ने जो कृपा-पूर्वक भाषण दिया है और उस पर माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसे हम सब को मिल कर पास करना चाहिएं ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में उधर से जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उस पर काफी वादविवाद हुआ और हो रहा है और कल तक होनेवाला है । माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ उसी बात को बार बार दौहराना नहीं चाहता, लेकिन अपनी चीज को जब दुनिया गलत ही गलत कहती है तो हमारे उसे छिपाने की कोशिश करने पर भी वे खराबियां जमाने के सामने आ जाती हैं ।

अब चुनावों के बारे में राज्यपाल महोदय ने अच्छी शान्ति और गम्भीरता बताई, उसी वक्त चुनावों में क्या क्या अनियमितताएं हुई हैं उसकी तरफ, माननीय सभापति महोदय, उन्होंने ध्यान नहीं दिया । हो सकता है कि जिस सत्तारूढ़ दल के हाथ में शासन है उसकी बुराइयां राज्यपाल महोदय नहीं कर सकते, यह मैं भी समझता हूँ । मगर मैं कहूंगा कि चुनावों के बारे में अनियमितताएं हमेशा से चलती आ रही हैं और चाहे वह कांग्रेस

Page No 85

(श्री हीराभाई)

का शासन रहे या और कोई पार्टी का शासन आये और वह भी इन अनियमितताओं को सुधारने की कोशिश नहीं करे तो और पार्टी के हाथ में शासन रहे, तो भी चुनावों में अनियमितताएं और गंदा वातावरण होता रहेगा और प्रजातन्त्र की हत्या का खतरा बना रहेगा। पहले भी यहां पर इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन यह साफ साफ बात है कि जो सत्ता अपने हाथ में लेकर कानून बनाते हैं तो उस कानून का प्रभाव और लोगों पर गिरता है, विरोधी लोगों पर गिरता है तो उसको लागू कर देते हैं; लेकिन जब अपने पर आता है तो उसमें ढिलाई कर देते हैं। दरअसल में जड़ ही खराब है। चुनावों के सम्बन्ध में जो कानून सरकार ने बनाया, चुनावों के संबंध में साधन जुटाने और धनराशि खर्च करने के सम्बन्ध में जो कानून बनाया उसमें बताई गई सीमा के अन्दर कौन रहा ? उस सीमा के अन्दर कोई नहीं रहा, यह साबित हो सकता है। उस सीमा के अन्दर कानून बनाने वाले मन्त्री थे वे भी उस सीमा के अन्दर चलते तो दूसरे लोग गन्दे प्रचार और गन्दे रास्ते की ओर नहीं चल सकते थे। लेकिन जिन्होंने कानून बनाया उन्होंने, एक एक आदमी ने चुनाव लड़ने के लिए ५०–६० हजार तो क्या १,२ और ३ लाख तक रुपया खर्च किया और फिर वे ही चुनाव की बुराइयों और चुनाव की अनियमितताओं पर दोष लगाते हैं ! कानून बनाने वाले लोग, जंगल में आप लोगों को मालूम होगा या नहीं, सर्प या और कई जानवर ऐसे रहते हैं जो जानवर बच्चे पैदा करते हैं और उन बच्चों को ही वापिस खा जाते हैं उसी तरह से ये लोग करते हैं। यह हमारी कांग्रेस सरकार की नीति हमेशा रही है। वह जो कानून बनाती है उन्हीं कानूनों को वह वक्त पर निगल जाती है। यह किस तरह से हमारा प्रजातन्त्र रहेगा इस तरह से चुनावों में अनियमितताएं होंगी तो ?

जो जबाबदार आदमी हैं, चीफ मिनिस्टर जैसे; उनके बारे में चुनावों के सिलसिले की बात मैं भी बताना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे मुख्य मन्त्री ने स्कूलों के उद्घाटन के सिलसिले में चुनावों से १ महीने पहले या १५ दिन पहले दौरा किया। जहां जहां दौरा किया वहां स्कूलों का उद्घाटन किया, उसके लिए वे सरकारी जीप कारों में गये, हवाई जहाज में गये और पंचायत भवनों या स्कूलों का उद्घाटन किया और खुले आम कांग्रेस के लिये चुनाव प्रचार किया। चाहे वह राजा-महाराजा की गलती हो या हमारी गलती हो या कानून बनाने वालों की गलती हो, जिन्होंने उद्घाटन के नाम से बहुत से सरकारी साधनों का उपयोग किया और वहां जाकर कहा कि कांग्रेस को वोट दो तब तो विकास होगा। हमारे यहां पर हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने साफ कहा कि लाल टोपी वालों के साथ में रहे तो लाल टोपी खतरे की चीज है, वह आपको खतरे में डालेगी। उन्होंने साफ तौर से साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस को वोट दोगे तो कुशलगढ़ का विकास होगा। यह उन्होंने साफ शब्दों में हजारों आदमियों की मीटिंग में कहा और वह आदमी पुरावा देने को तैयार हैं अगर चीफ मिनिस्टिर के खिलाफ कोई मुकदमा करे तो। आज आप उठ कर कहते हैं कि यदि इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं तो अपील की जा सकती है। चुनाव की पिटीशन करवा कर वह कैन्सिल हो सकता है। जो आदमी चुनाव

(श्री हीराभाई)

में २–३ लाख खर्च कर सकता है उसके खिलाफ कैसे गरीब आदमी पिटीशन कर सकता है ? वह उस गरीब आदमी को कैसे जीतने देगा ? ईमानदारी को लेकर गरीब चले और वह आज न्याय ले ले ! न्याय ईमानदारी के साथ नहीं मिलता है, न्याय पैसे के बल पर मिलता है । यह अन्याय दूर नहीं हो सकता है । यह जो आदमी कानून बनाये वही आदमी इस तरह की हरकत करे तो दूसरा आदमी कैसे बाकी रह सकता है ? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गलत ढंग से सरकारी साधनों का उपयोग किया और चुनावों में कांग्रेस का प्रचार किया, मैं इसको प्रूव करने को तैयार हूं मजिस्ट्रेट से एफिडेविट करवा कर पेश करने को तैयार हूं । मैं जानना चाहूंगा कि मौजूदा गवर्नमेंट उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये क्या कदम उठा सकती है ? अगर उठा सकती हो तो उठाना चाहिये । मैं साफ कह रहा हूं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है । बोलने वाला बोले तो कहेंगे कि ये हमेशा विरोध करते हैं ।........

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, माननीय सदस्य ने यह कहा कि सरकारी साधनों का उपयोग किया, तो कौन से साधनों का उपयोग किया और कौन सी गाड़ियों का उपयोग किया, उसको विस्तार से बता दें ।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : सब बतलायेंगे । केवल मुख्यमन्त्रीजी के यहां पर ही ऐसा नहीं हुआ है लेकिन सब मंत्रियों ने जहां जहां पर किया है उस पर प्रकाश डालेंगे ।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमेशा चेयर को एड्रेस करें और या तो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठायें या पोइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन उठायें, उसके बाद में बात प्रारंभ करें, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह गलती मिनिस्टर साहब की तरफ से हुई है ।

श्री सभापति : उन्होंने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया था ।

श्री हीराभाई : माननीय मंत्री महोदय ने पूछा है उस बारे में उनसे यह नहीं कह सकता । आपके सामने हरिभाऊ उपाध्याय, भूतपूर्व वित्त मंत्री पंचायत समिति का निरीक्षण करने आये थे, मैंने उनके शामिल चाय पी थी । वहां से बाहर जाकर मीटिंग की और यह कहा कि कांग्रेस को वोट दो । दो थालियें हैं । एक थाली में कुछ नहीं है, गंदी है । दूसरी थाली में लड्डू और मिठाई हैं । यदि यह बात गलत हो तो हरिभाऊजी भूतपूर्व वित्त मंत्रीजी यहां बैठे हैं, वे कह सकते हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : पंचायत समिति की मीटिंग में नहीं, बल्कि पब्लिक मीटिंग में मैंने भाषण दिया था ।....

श्री सम्पतलाल (मावली) : आप वहां पधारे कैसे थे ? जिस रोज मीटिंग की थी उस समय किस मकसद से पधारे थे ?

श्री हीराभाई : आप जिस सिलसिले में पधारे थे वह भी मैं बता दूं कि किस कारण से आप पधारे थे । पंचायतें

(श्री हीराभाई)

आपके अंडर में थीं। मैंने उस समय मजाक भी की थी कि न मालूम आयन्दा आप पंचायत मंत्री रहें, न रहें, आखिर में पधारे हैं इसलिये स्वागत है ; यह मजाक की थी। लेकिन आप आये पंचायत के निरीक्षण के लिये थे और सरकारी साधन से आये। यदि आप यह मान लें कि सरकारी साधन से न आकर घर के साधन से आये थे तो मैं मानने को तैयार हूं। आपने बांसवाड़ा जिले में दौरा किया था, सिर्फ कुशलगढ़ में ही नहीं पधारे थे। नीम के नीचे गणपति के चबूतरे के पास आपने सभा की थी और उसमें चुनाव की बात कही थी।....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं इसको साफ कर दूं। कोई भी मंत्री....

राजा श्री मानसिंह (डीग) : The Hon'ble Minister cannot make a speech in between. He must raise point of order, he must not disturb the debate

श्री सभापति : I have already requested the Hon'ble Members that they should be mindful that whenever they want to raise any point or make any speech they should raise point of order or point of information, but not create confusion like this.

राजा श्री मानसिंह : Is he raising point of order ?

श्री सभापति : Point of information,

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं तो जो बात कही गई उसकी सफाई करने की इजाजत चाहता हूं। यदि आप बाद में कहने के लिए फरमावें तो बाद में कह दूंगा, लेकिन उपयुक्त समय यही है।

श्री सभापति (राव श्री नारायणसिंह) : फरमा दें पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सभापति महोदय, कोई भी मंत्री चाहे सरकारी काम से कहीं जाय और यदि साथ ही साथ कांग्रेस का काम करता है या पब्लिक मीटिंग एड्रेस करता है तो आपत्तिजनक बात नहीं है। चुनाव के दिनों में जब से गवर्नमेन्ट का ऑर्डर निकला कि फलां तारीख से गवर्नमेन्ट कार इस्तेमाल न करें उसके बाद मैं न कहीं गया हूं और न चुनाव के लिए सरकारी कार काम में ली है। मुझे दिसम्बर के शुरू में बुलाया गया था। पंचायत समिति की मीटिंग की गई थी उसमें मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही।

श्री हीराभाई : यदि पंचायतों के बारे में बात करते या रचनात्मक कार्य के बारे में बात करते तो मैं मानता कि आप राजस्थान के कल्याण के लिये दौरा कर रहे हैं। मीटिंग नहीं कर सकते थे, यह बात नहीं है; लेकिन मीटिंग में चुनाव की बात कही, इसलिये मैं कहता हूं कि सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया और सरकारी धन का दुरुपयोग किया। यदि आपको इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग करना है तो देश में डकैतों को क्या करेंगे ? आप देश पर सबसे ज्यादा डाका डाल कर धन को बर्बाद कर

(श्री हीराभाई)

रहे है। टैक्स लेने पर हमें ऐतराज नहीं है, इससे धन की आवक सरकारी खजाने में होगी। लेकिन इस पैसे का दुरूपयोग किया जा रहा है। टैक्स के बारे में मन्त्रीजी ने कहा कि टैक्स नहीं लेंगे तो विकास कैसे होगा।

दूसरी बात यह कही कि राजस्थान पिछड़ा हुआ था, जल्दी कैसे सम्भल सकता है? थोड़े दिन आहिस्ता से काम करना होगा, यह कहा था। यह कहने से पहले मन्त्रीजी को बड़े बड़े अफसरों से यह कह देना होगा कि पिछड़े जो इलाके हैं वहां गरीबों को चार आना या छ आना रोज की मजदूरी नहीं मिल रही है, तो मिनिस्टरों को महीने में ५ हजार या १० हजार रुपये खर्चे करने की सीमा बनानी चाहिये क्या? जब तक देश हरा–भरा न हो तो १० हजार के अधिकारी न रखें। उनको तीन, चार हजार रुपयों का वेतन दे रहे हैं, तो क्या उन आदमियों को आदमी मानें और मानवता का समर्थन करें और जिनको चार आने रोज नहीं मिल रहे हैं उनके पैसों का दुरुपयोग इस तरह से करें, यह बात नहीं होनी चाहिये। इस तरह से देश का कल्याण नहीं कर सकते। इससे तो रिश्तेदारों का और काका-भतीजों का कल्याण कर रहे हैं। यह अनियमितता की बात कांग्रेस सरकार ने अपने हाथ से की है और यह कहें कि राजा–महाराजाओं ने बुराइयां फैलाई हैं, तो यह मैं कैसे कह सकता हूं? यहां की सरकार और उसके मिनिस्टर इसके लिये जिम्मेदार हैं, जो उनसे सम्बन्ध रखते हैं। यदि अनियमितता को खत्म करना है तो पहले आपको खत्म करना होगा। यह कहते हैं कि राजा महाराजाओं ने दारू फैलाया, यह मैं कैसे कह सकता हूँ? सरकार के अधिकारी और मिनिस्टर दारू से सम्बन्ध रखते हैं और दारू के आधार पर चलते हैं। पहले यह कहा था कि ७ जिलों में दारू बन्द कर दिया जायेगा, लेकिन अब यह सुनते हैं कि जहां पर पहले इस तरह का वातावरण था वहां २० मार्च को दारू का ठेका दिया जा रहा है। तो जितनी अनियमितताएं पैदा करने वाले हैं, वे कौन हैं? राजा महाराजाओं को साधन आपने दिये हैं। उनके साधन छीन लिये होते तो अनियमितता नहीं होती। इसलिये भ्रष्टाचार के साधन जुटानेवाली राजस्थान की सरकार और शासक वर्ग है।

इस ढंग से दूसरी बात यह है कि राजा महाराजाओं के साधन छीन लें; यह बजट की बात है, लेकिन मन्त्रीजी ने सिखाया है बोलने के लिये। राजा महाराजाओं का राज्य छीना नहीं है, उनका एक तन्त्रीय राज्य था और यह प्रजातंत्रीय राज्य है, उनको बुरा नहीं लगना चाहिये। पांच पांच लाख रुपये क्यों दिये जा रहे हैं, मनोरंजन करने के लिये, नाटक देखने के लिये और दूसरे कामों के लिये राजा महाराजाओं को क्यों दिया जा रहा है? पैसा है तो दुनिया में सब कुछ किया जा सकता है। यह जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस सरकार की। कांग्रेस सरकार कन्ट्रोल कर सकती है। कांग्रेस सरकार क्या करे, कांग्रेस पार्टी को हारने का मौका आया तब राजा महाराजाओं की बुराई कर

(श्री हीराभाई)

रहे हैं और दूसरे ही दिन ढीले बन कर उनको मिनिस्टर बना दिया और दूसरों को यह लालच दिया कि तुमको यह कर देंगे, क्यों पूंजीपतियों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं ? अभी जो छुरी बनाने वाले है वे चाहें जो कह दें, सदन में नहीं कह सकता। देश को बर्बाद करने वाला इनका यह कदम होगा। जो छुरी लेकर हत्या करने आवे वह कौन आ सकता है ? जिसके हाथ में शासन है। यदि ६ हजार रुपये कानून से चुनाव में खर्च करने का रखा है, कांग्रेस सरकार ने पास किया है तो कांग्रेस के जितने सदस्य आये हैं उनकी जांच करवा ले। क्या सब ने इतने ही रुपये खर्च किये हैं ?...........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अभी टाइम बहुत है मैं अभी खड़ा हुआ हूँ।

श्री सभापति : आप दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री हीराभाई : दो मिनट में कैसे समाप्त हो सकेगा ?

श्री सभापति : और भी काफी बोलने वाले हैं उनको सहयोग दें।

श्री हीराभाई : आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। यदि इसी तरह से दूसरे करते तो मान्यता करता। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे टाइम देंगे।

तो सभापति महोदय, यह जो बात होती है तो वह हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से होती है। टैक्स के बारे में यह सब कर रहे हैं। जो हुआ है वह उनके द्वारा हुआ है।

आज लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के आधार पर हमने पंचायती राज्य कायम कर दिया और पंचायती राज्य करने के बाद चाहे इंजन अच्छा बना दें रेलगाड़ी का या हवाई जहाज का बना दें और बनाने के बाद साधन नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे तो वह इंजन कभी भी काम नहीं कर सकता। तो उसी तरह से यह पंचायती राज्य जो कायम किया है वह मुझे मालूम होता है और जनता को भी मालूम हो रहा है कि पंचायती राज्य अच्छे ढंग से नहीं चलेगा तो तुरन्त पंचायती राज्य को भंग कर देंगे और पीछे शासन मिनिस्टर के ऊपर रह जायेगा। उसका मतलब यह है ; नहीं तो पंचायत विधान जब पास हुआ उस वक्त पंचायत को अधिकार देने का तय हुआ था, उस वक्त छोटे मोटे अधिकार देने के लिए विधान पास हुआ तो मंत्री महोदय ने साफ कह दिया, विधान से साफ हो गया। उसके बाद दो दो साल हो गये, लेकिन अभी तक पता नहीं कि पंचायत को क्या अधिकार दिये जा रहे हैं ?

अब पंचायत को कहा कि टैक्स लगा कर काम चलाओ। अब अगर कह दें कि पंचायत का काम नहीं चलेगा क्योंकि साधन नहीं हैं तो गवर्नमेंट से उत्तर मिलेगा पंचायत टैक्स लगाये अब पंचायत के इलाके में कौनसे बड़े मकान हैं, बिल्डिंग्ज़ हैं जिन पर टैक्स लगा कर पांच हजार रुपया पंचायत वसूल कर लेगी ? ज्यादा

(श्री हीराभाई)

से ज्यादा टैक्स पांच सौ रुपये के लगा सकती है। पंचायतों को अधिकार दिया कि लगान पर टैक्स लगाया जायगा वह पंचायत के द्वारा लगाया जायगा। क्या आपको मालूम है कि लगान क्या चीज है? शहर में जो इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स लगाये जाते हैं उसी तरह किसानों पर टैक्स लगाया जाता है वह लगान है। इन्कम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों टैक्स लगाये जा सकते हैं तो पंचायतों पर लगान पर टैक्स लगाया जा सकता है। पंचायत टैक्स किसी तरह लगा सकती है, वह भर नहीं सकती है, टैक्स पर टैक्स नहीं लगा सकती है। सरकार पंचायत को अधिकार देने जा रही थी लेकिन नहीं दिये गये हैं और पंचायत खोखली बनने जाने वाली है। पंचायतों के बारे में मेरा सुझाव है कि अगर गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी है तो चौथाई हिस्सा और मैं तो यहां तक चाहूँगा कि आधा हिस्सा, जो राजस्थान के खजाने में आवेगा चाहे सेल्स टैक्स से, चाहे इन्कम टैक्स से, वह जिस एरिया से आवे यहां उसमें से आधा हिस्सा पंचायत को देना पड़ेगा, तब जाकर पंचायत का काम चलेगा। नहीं तो मलाई मलाई राजस्थान सरकार उड़ाना चाहती है और पानी मिला कर पंचायत को कहेगी कि तुम इसमें से घी निकाल कर बेचो। यह नहीं हो सकता कि मलाई मलाई तो आपके लिए हो और वहां के लिए पानी और छाछ हो। यह नहीं हो सकता। तो पंचायत राज्य नहीं कहलाया जा सकता। यह तो आपने भाड़े पर दे रखी है तो दूसरी बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक मजदूरों के बारे में........

श्री सभापति : अब समाप्त करने की कृपा करें।

श्री हीराभाई : दूसरी बात है। समाप्त तो मैं कर दूँ अभी, लेकिन दूसरी बात है....

श्री सभापति : एक मिनट के अन्दर समाप्त कर दें।

श्री हीराभाई : मैं आशा करूँगा क्यों कि दो मिनट के अन्दर तो मैं बात करूँगा और दो मिनट में मेरे मुँह से बात निकलेगी।

मजदूर वर्ग के बारे में राज्यपाल महोदय ने किसी बात का जिक्र नहीं किया। जो साधारण लोगों के कल्याण करने की बात है उसमें जरूरी यह है कि मजदूर वर्ग की स्थिति को साफ करने की बात होती। अगर दो-दो, तीन-तीन मिनख को लाद कर पेट के लिए नहीं ले जाय तो रिक्शा वाला क्यों तबाह हो? उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही है। मजदूरों का कोई लाभ नहीं है। राजस्थान में जो मैट्रिक पास हैं, बी. ए. पास हैं या डबल एम. ए., एल एल. बी. पास हैं वे साढ़े तीन हजार, चार हजार लेते हैं। लेकिन मजदूरों से चौबीस घण्टे काम लिया जाय तो काम लेने वाला बारह आना; तीन आना, चार आना देता है। उनका राज्यपाल महोदय ने कोई जिक्र नहीं किया है और न केबिनेट और सरकार ने उसके बारे में विचार किया है, उनकी दिक्कतों के बारे में। वह दो-दो, तीन-तीन आदमियों

(श्री हीराभाई)

को खींच खींच कर ले जाता है और बड़े बड़े सेठ–साहूकार रिक्शेवाले हैं उनको वह रोज पांच रुपये दे देता है और दो रुपये मिलते हैं उससे अपने छोरा छोरी का पेट भरता है। मजदूरों का कल्याण हो गया, लेकिन मैं उसे ठीक नहीं समझता हूं।

उसके बाद में भूमि के बारे में आपसे अर्ज करना चाहूँगा। आपने सीलिंग का कानून बनाया, जिसका हमारे माननीय सदस्य जिक्र कर चुके हैं। लेकिन भूमि का कानून बनाया, उसमें आपने साफ कर दिया। किस आदमी के पास कितनी जमीन है, कितने भूमिहीन हैं, ये भी आंकड़े नहीं हैं आपके पास। आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि कितने भूमिहीन हैं और भूमिहीनों की समस्या कैसे हल की जायगी या कौन करेगा। अगर हम बोलें तो आप कहते हैं कि शिकायत की जाय लेकिन आज पैसे से काम होते हैं, मिनिस्टर की सिफारिशों से काम होते हैं। जो आदमी सफेद टोपी लगा कर चलता है उसकी सिफारिश से काम होता है। गरीब के पास पैसा कहां है कि पैसा लगा कर दरख्वास्त मंजूर कराये। और जहां जमीन की व्यवस्था है नहीं वहां क्या लोगों से कसाई की दूकान खुलाने को तैयार हैं या मजदूरी बढ़ाने के लिए तैयार हैं या वहां के लोगों के लिए इन्तजाम करने के लिए तैयार हैं........

श्री सभापति : अब माननीय सदस्य दूसरों को बोलने का अवकाश देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री हीराभाई : मैं एक मिनट में खत्म करूँगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से चाहें लोगों के साथ अनियमिततायें की जाती हैं। उसके लिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट इस तरह की बातों से नहीं चलनी चाहिए और इस तरह की बातें नहीं करें। लेकिन अब जनता भी यह समझ चुकी है कि किसी देवता की मानता लेने से बच्चा बच्ची पैदा नहीं होता। वह बहुत बड़ी असमझ थी कि लोग देवता की मानता लेकर बच्चा–बच्ची की आशा लेकर बैठते थे। लेकिन कितनी ही बड़ी मानता हो जब तक औरत-मर्द नहीं होंगे बच्चा–बच्ची नहीं होंगे। इसलिए हमारी सरकार यह दुहाई दे कि हरिजनों का भला कर दिया, भील और आदिवासियों का भला कर दिया ; यह उड़ा-बड़ा उठाये और इससे चिपके रहें तो मैं कहता हूं कि इस तरह शासन नहीं चलता है शासन चलाना है तो जिन पूंजीपतियों के पास ज्यादा पूंजी है, उसका बँटवारा करना है, जमीन का बँटवारा करना है ; तब जाकर समस्या हल हो सकती है। बहुत ज्यादा बदमाश, बेईमान, ढोंगी और पूँजीपति हैं उनको ज्यादा पूँजी बढ़ाने का मौका कांग्रेस सरकार की ओर से दिया जा रहा है, यह न किया जाय........

श्री सभापति : दो मिनट हो चुके हैं।

श्री हीराभाई : मैं अब खत्म कर रहा हूँ ; मैं.......

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री हीराभाई : आपने प्रस्ताव रखा था........

श्री सभापति : आपको काफी अवकाश दिया जा चुका है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस पर विचार करने का दूसरा दिन है........

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय सभापति,........

श्री सभापति : माननीय श्री ज्वाला-प्रसाद। अब आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : माननीय सभापतिजी, आज दो दिन से सम्माननीय सदस्य अपने विचार जो राज्यपाल के अभि-भाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव हुआ है उस पर यहां विचार कर रहे हैं। इस धन्यवाद के प्रस्ताव के ऊपर अपने विचार इस रूप में रखने चाहिए कि पहला मैं तो यह समझता हूं कि इसका दायरा एक भूमिका के रूप में है। हम आम चुनाव के बाद तीसरी पंच-वर्षीय योजना के समय में इस विधान सभा के प्रथम सत्र में इकट्ठे हुए हैं और प्रथम सत्र के अन्दर जब हम आये हैं तो भूमिका के रूप में हमारे सामने यह अभिभाषण हमारे राज्य-पाल महोदय ने कृपा करके दिया है। इस अभिभाषण से हम सब का जहां स्वागत किया है, हम सभी सदस्यों का उन्होंने अभिभाषण में स्वागत किया है। फिर चुनाव की बात की है और उसके बाद उन्होंने बीच में अपनी विदायगी की बात की है और अन्त में हमको कुछ सलाह दी है। इस विषय में इस ओर से एक धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उस पर विचार कल से चल रहा है।

मैं स्वागत करता हूं कि विरोधी दल के जिन नेताओं ने अपने भाषण दिये वे साफ तौर से प्रतिबिम्बित करते थे उनकी पार्टी के विचारों को या कि किस रूप में यहां पर अपने साथ अपने आदमियों को लाये हैं। मैं इसके साथ ही साथ सदन में यह भी गुजारिश करूं कि आप देखें कि कांग्रेस की ओर से किस नाजुक और तंग रास्ते से इस देश की गरीबी से लड़ने का काम करना पड़ रहा है। एक तरफ कॉम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो विचार रखे गए और दूसरी तरफ से महारावल डूंगर पुर की तरफ से विचार रखे गए। इन दोनों विचारों में निश्चित रुप से कह सकता हूं कि दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। मैं यह कह सकता हूं कि उधर की तरफ बैठने वाली कई पार्टीज़ ने हमारे साथ हिस्सा लिया है। उस इतिहास में हम कई लोगों को पहिचानते हैं; कॉम्युनिस्ट हैं, स्वतन्त्र हैं। उनके सिद्धान्त मिलते हैं, लेकिन उनकी हमसे शिकायत थोड़ी है और वह यह कि उनका रास्ता दूसरा है और हमारा रास्ता दूसरा है। वे लोग हमारे रास्ते से असंतोष महसूस करते थे। वे चाहते थे कि तरक्की जल्दी हो और वे जल्दी तरक्की लाना चाहते थे और दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वतन्त्र पार्टी के नेता ने कल जो अपना भाषण दिया उसमें कांग्रेस पर जो विचार रखते हुए इस बात को साफ तौर से रखा कि वे किस तरह से टैक्सेज़ के खिलाफ

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हैं और इस तरह से काम करना चाहते हैं कि जिससे फूल भी न कुम्हलाएं और भंवरा भी ठीक तरह से चलता रहे ।

एक तरफ हमारी कॉम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने अपने विचार रखे कि हम स्वतन्त्र पार्टी से मिलने वाले हैं । मैं उनसे कहूंगा कि एक तरफ उनके नेता राजगोपालाचारी रात-दिन चिल्ला रहे हैं कि कॉम्युनिस्टों को काम करना चाहिये । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की विभिन्न विचारधाराएं हैं जो आज जनतंत्र में है उनका जनतंत्र में पैदा होना और बनना जनतंत्र की वाकई में सच्ची निशानी है; इनको देश से निकालना है । मैं यह भी कहूं कि हम जो इस तरफ बैठे हैं, कोई सता की बात कहें, लेकिन मजबूरी है इस बात को कि हमको जिस तरह से यहां के नतीजे निकले हैं उसमें कोई दूसरा चारा ही नहीं था कि राजस्थान में कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को ले । एक तरफ आप हैं और एक तरफ कॉम्युनिस्ट्स हैं, एक दूसरी पार्टी है तो एक तरफ स्वतन्त्र लोग हैं । इस तरह से कितनी ही पार्टीज़ हैं और जितनी पार्टीज़ हैं उतने ही तरह के विरोध होते हैं । इस विरोध में, जिस तरह से यहां हम एक वोट ज्यादा से आए हैं इस बात को इन्कार नहीं कर सकते कि राजस्थान में जो चुनाव हुए उसके अनुसार हमारी जो कुछ भी गिनती है वह स्पष्ट है, हम ८८ हैं और इस चीज को इन्कार नहीं किया जा सकता ; दूसरी पार्टी के ८७ हैं । मैं देखता हूं कि किसी तरह की जिम्मेदारी लेने की स्थिति में कोई दूसरी पार्टी नहीं है । अगर कोई जिम्मेदारी लेने की स्थिति में आते तो कोई दूसरी पार्टी आती । मगर मैं तो यह कहूंगा कि हमने तो पहले भी संविधान की इज्जत की है और करते हैं । कॉम्युनिस्टों ने क्या काम किया ? हमने केरल में उनको राज्य दिया । किसानों की हत्याएं हुईं । राजस्थान में भी उन्होंने आंकड़े देकर समझाने की कोशिश की कि किसानों को कुछ भी फायदा नहीं हुआ । हमने केरल में राज्य दिया....

एक माननीय सदस्य : On a point of order, Sir. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कॉम्युनिस्टों को आपने राज्य नहीं दिया, उन्होंने वोटों से हासिल किया ।

श्री सभापति : What is your point of order ?

श्री ज्वालाप्रसाद : जहां पर किसानों को बरबाद किया गया । हमने कुछ नहीं किया । आप जरा धीरज के साथ सुनते जाइये हमारे विचारों को । हमने नहीं दिया । जनता ने उनको चुना और उसके बाद में जब मेजोरिटी नहीं आई तो....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : राज्य जनता ने दिया । आप कौन देने वाले होते हैं ?

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से फिर एक बार निवेदन करूंगा कि आपस में बातें करने की यहां परम्परा नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने ही शुरू किया है ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : On a Point of Order, Mr. Chairman. केरल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, उसके बारे में डिबेट करें, तो वह भी करने के लिए तैयार हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कॉम्युनिस्टों को कन्डेम नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि केरल में जनता के वोटों से जीते। वहां पर किसानों को मजबूर कर दिया। वहां पर उन पर गोलियें चलीं और खून हुए और खून खराबी हुई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, क्या यह गवर्नर के अभिभाषण पर अपना भाषण दे रहे हैं?

श्री कुमारानंद : सभापति महोदय, केरल के बारे में बार बार कहा जाता है, इसके बारे में हमको भी जवाब देने का मौका दिया जावे।

श्री सभापति : Well you can refute it when you get chance.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सबको बोलने का मौका मिलेगा, गलत तथ्य नहीं रख रहा हूँ। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं....

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : On a point of order, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वे गलत तथ्यों को नहीं रख रहे हैं तो मैं यह कहूंगा कि आधे गलत तथ्यों को रखना भी उचित नहीं होगा। जहां कांग्रेस पार्टी ४० प्रतिशत वोटों को लेकर सत्ता ओक्युपाई करती है वहां कॉम्युनिस्ट पार्टी ४२ प्रतिशत वोट लेकर आई थी, उसको भी आपने वहां पर नहीं रहने दिया।

श्री सभापति : Is it a point of order मैं माननीय सदस्यों को एक बार फिर निवेदन करूंगा कि वे हाउस की कार्यवाही को यथावत् चलने में पूर्ण सहयोग दें। पोइन्ट ऑफ ऑर्डर और पोइन्ट आफ इन्फोर्मेशन उठा सकते हैं, लेकिन वाद-विवाद के बारे में वे चाहे तथ्यों के बारे में कहें या तथ्यों से विपरीत बातें रखते हों, तो वे अपने भाषण में इसके लिए स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद) : The definition of the point of order as defined in the Rules of Procedure may be explained to the Hon'ble Members, otherwise they will be interrupting...

श्री रामानन्द अग्रवाल : He still feels that he is a Deputy Speaker. This is very wrong, Sir.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I take a strong exception for the wrong address of designation...

श्री रामानन्द अग्रवाल : I take a strong exception to the language used by the Hon'ble Member.

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ ! आप कन्टीन्यू करिये।

एक माननीय सदस्य : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, १० मिनट दिये जाते हैं।

श्री हरिदेव जोशी (बाटोल) : This is no point of order.

श्री सभापति : आप महरबानी करके इन्टरप्ट न करें तो वे अपना भाषण समय में समाप्त कर देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, जो समय की बात उठाई जा रही है....

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखिये।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, हमको भी समय मिलना चाहिये। इसके लिये जो बंटवारा करना चाहें बंटवारा कर दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो मैं अर्ज कर रहा था, उन दिनों की याद दिला रहा था और कॉम्युनिस्ट पार्टी के सम्माननीय सदस्य को यह इत्मिनान दिलाता हूं कि आपके मौके की बात मैंने जितने जोरदार शब्दों में कही उतने ही जोरदार शब्दों में दूसरे दलों के बारे में भी कहने वाला हूं। आप मेरे

(शोरगुल)

पुराने साथी हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का फक्र है कि एक जमाना वह था जब कि आपने और हमने आजादी की लड़ाई कन्धा से कन्धा मिड़ा कर लड़ी थी। किन्तु किन्हीं कारणों से आप अलग हैं। फर्क है दोनों में, केवल मीन्स का फर्क है, कोई बड़ा फर्क नहीं है। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि फर्क भी..

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य डाइरेक्टली एड्रस कर रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सचाई की बातें सुनने से भड़भड़ाहट होती है। मैं उस तरह से मानने वाला भी नहीं हूं। मैं अभी निवेदन कर रहा था कि दोनों में क्या फर्क है। मैं फर्क बतला रहा था। उन्होंने सही कहा है। उनके जज़बात से सहानुभूति हो सकती है कि कोई हक नहीं कि राजाओं को प्रिवीपर्स दिये जांय। आज के इस जनतन्त्र में और आपकी परिभाषा में जमीन आसमान का अन्तर है। हम इस बात का एलान करते हैं कि हम राजाओं के खिलाफ नहीं हैं, हम यह भी एलान करते हैं कि जागीरदारों के खिलाफ नहीं है। हम आदमी के खिलाफ नहीं हैं। उनको सबक

(शोरगुल)

लेना चाहिए। श्री मानसिंह महार बैठे हुए हैं। कल के हमारे ये दोस्त जो देश की आजादी में साथ लड़ने वाले थे, जिस तरह की वे देश में क्रान्ति करना चाहते थे उसके हम हामी नहीं, हम वैसा नहीं चाहते। रूस में क्या हुआ था, किस प्रकार की क्रान्ति हुई थी, वहां पर जागीरदारों के सिर काट काट कर लटका दिये गये थे।

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : वही आप करना चाहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (अपना भाषण जारी रखते हुए) : हम तो गांधीजी के बताये हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं और चल रहे हैं। गांधीजी ने यह बताया कि अपनी बुराई को निकालो। हिन्दुस्तान के सब मालिक हैं....

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने उनको बचा लिया नहीं तो xxxx

श्री मानसिंह महार : On a point of Order, Sir......

(शोरगुल)

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैं इस तरह से बैठने वाला नहीं।

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : On a point of Order, Sir,

श्री सभापति : Order please ! Order please !!

श्री मानसिंह महार : यह बताने की कृपा करेंगे........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। लाइन से उतरूंगा नहीं।

श्री मानसिंह महार : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य कांग्रेसी xxxx

---

xxxxअध्यक्ष के आदेशानुसार निकाले गये।

(शोरगुल)

मैं यह बताना चाहता हूं कि अहिंसा के सिद्धान्तवादी क्या करते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कांग्रेस का यह कभी इरादा नहीं है। गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस चली थी और आज भी उनके बताये हुए सिद्धान्तों पर कांग्रेस चल रही है। यह गांधीजी का ही प्रताप है कि देश को शान्ति पूर्ण तरीके से आजादी मिली। जो कुछ लिया जा रहा है वह कानून से लिया जा रहा है, जो लिया जा रहा है तुम्हारी रक्षा के लिए लिया जा रहा है।

(शोरगुल)

श्री राधाकिशन (टोंक) : गांधीजी का नाम लेकर कांग्रेस की ओर उसके सिद्धान्तों की हत्या कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : बिराजिये, बिराजिये........

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं जानता हूँ कि उधर किस कारण........

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे भी आ गये है........

श्री हरिदेव जोशी : हियर ! हियर !!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस का विचार रहा हो कि व्यक्ति को, यहां के रहने वाले को किसी प्रकार का कष्ट हो। यह बतला दिया जाय कि कांग्रेस को यह चीज करनी पड़ी है। उसकी मजबूरियां हैं। यहां पंचवर्षीय योजना का एक्सपेरीमेन्ट चल रहा है; जहां पर तानाशाही होती है तो वहां पर तानाशाही तरीकों से पंचवर्षीय योजनायें चलती हैं।

श्री मानसिंह महार : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, यहां पर भाई-भतीजावाद का सबसे बड़ा नमूना है, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं........

(घंटी)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम कहना चाहते हैं कि चारों ओर दुनिया,के अन्दर एक्सपेरिमेन्ट के तौर पर योजनायें चल रही हैं। दूसरे मुल्कों में तानाशाही के तरीकों से योजनायें चलती हैं। ४० वर्षों में रूस बन गया हो। बना तो तानाशाही से बना....

श्री रामानन्द अग्रवाल : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

श्री हरदेव जोशी : What is disorder?

श्री रामानन्द अग्रवाल : Who are you ? you are not to decide it.

श्री सभापति : Order Please ! Order !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : my point of order is this...

रूस एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे देश के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। इस सदन में उस देश को क्यों लाया जाय........

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य को यह समझने की जरूरत है कि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या होता है....

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरीके से एक मैत्रीपूर्ण देश की आलोचना करना....

(शोरगुल)

श्री हरिदेव जोशी : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर कैसे उठता है....

(व्यवधान एवं घंटी)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ ! (घंटी) ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री कुमारानन्द : रूस के साथ हमारे....

(व्यवधान एवं शोरगुल)

श्री सभापति : The Chair is on its legs. मैं यह निवेदन करूं जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि ऐसी बातें आयें जिनका हम निराकरण कर सकते हों। मै सदन की इन्फोर्मेशन के लिए पोईन्ट ऑफ ऑर्डर का रूल भी पढ़ दूं। रूल २६४ इस प्रकार है।

(श्री सभापति)

"Points of order and decisions thereon-(1) A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker. (2) A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment.

Provided that the Speaker may permit a member to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another if it relates to maintenance of order in, or arrangement of business before the House.

(3) Subject to conditions referred to in sub-rules (1) and (2) a member may formulate a point of order and the Speaker shall decide whether the point raised is a point of order, and if so give his decision thereon, which shall be final.

तो इस तरह नम्बर (४) व (५) हैं। नं० ४ यह है:

No. 4 is "No debate shall be allowed on a point of order, but the Speaker may, if he thinks fit, hear members before giving his decision.

Similarly there are No (5) and (6) and you can consult this. I am confident that the Hon'ble members will consult, the Rules of procedure properly and will raise such points of Order which are relevant and this is the definition given in the Rules of our procedure.

श्री मुकटबिहारीलाल (बयाना) : सभापति महोदय, निवेदन यह है कि अगर हाउस में कोई बात चल रही है और अध्यक्ष महोदय आज्ञा दे रहे हैं........

एक माननीय सदस्य : This is high time to adjourn, Sir.

श्री मुकुटबिहारीलाल : क्या चीफ व्हिप ये आज्ञायें दे सकते हैं कि हूट डाउन करके जबरदस्ती हंगामा मचा दिया जाय। जिस प्रकार अभी माननीय सदस्य को इस प्रकार से हूट डाउन किया गया यदि यह परम्परा चली तो सदन की कार्यवाही किस प्रकार चल सकेगी ?

श्री सभापति : मैं मानता हूं कि सब माननीय सदस्य पूर्ण जिम्मेदार हैं और पूर्ण सहयोग देंगे कि सदन की कार्यवाही विधिवत् चले और यहां पर हूटिंग अथवा ऐसी कार्यवाही की जाती है तो सदस्यों के लिए यह विचारणीय है कि इस सदन की जो प्रतिष्ठा है उसको वैसा रखना चाहते हैं........

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : ओन ए पर्सनल पोइन्ट ओफ क्लेरिफिकेशन, सर, मैंने किसी को हूट डाउन करने की कोशिश नहीं की। चेयर जब लैग पर थी तो उस समय दूसरे माननीय सदस्य खड़े होकर बोल रहे थे और यह चेयर का सबसे बड़ा अपमान था....

Page No 99

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इसके लिये आपने जो किया वह भी कोई डिग्निटी नहीं है। वह भी तो ठीक नहीं है........

(शोरगुल एवं घंटी)

श्री सभापति : सदन का समय समाप्त हो चुका है। कल ११ बजे पीछे बैठक होगी और श्री ज्वालाप्रसाद अपना भाषण जारी रखेंगे।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजे, दिनांक १६ मार्च, १९६२ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, १६ मार्च, १९६२)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	२४१
१. जल वितरण योजना—गंगाशहर बीकानेर ।	
२. सड़क निर्माण ।	
३. अभावग्रस्त क्षेत्र में राहत कार्य बीकानेर ।	
४. डूंगर कॉलेज, बीकानेर के भवन का निर्माण ।	
कार्य सलाहकार समिति का मनोनयन	२४६

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २१२ के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को कार्य सलाहकार समिति के लिये मनोनीत किया है:—

१. श्री मथुरादास माथुर ।

२. श्री हरिदेव जोशी ।

३. श्री मानसिंह महार ।

४. श्री भैरोंसिंह ।

५. श्री रामकिशन ।

६. श्री रामानन्द अग्रवाल ।

	स्कम्भ
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद	२४६

श्री नारायणसिंह मसूदा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर आज भी वाद-विवाद जारी रहा जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया;—

१. श्री मुकटबिहारीलाल ।

२. श्री मुरलीधर व्यास ।

३. श्री बृजसुन्दर शर्मा ।

४. श्री निरञ्जननाथ आचार्य ।

स्कम्भ

५. राजा श्री मानसिंह।

६. श्री हरिराम।

७. श्री अब्दुलजब्बार।

८. श्री हरदत्तसिंह।

९. श्री नाथूराम मिर्धा।

१०. श्री हीराभाई।

स्कम्भ

श्री ज्वालाप्रसाद बोल रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे शनिवार दिनांक १७ मार्च, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

शनिवार, दिनांक १७ मार्च, १९६२ की कार्य सूची

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक १६ मार्च, १६६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२४१	१	बुधवार	शुक्रवार
२४३	१४	भी	अभी
२४५	१	सार्वजनिक निर्वाण	सार्वजनिक निर्माण
,,	१५	जार्ती है	जाती है
२४७	६	(७)	७.
,,	१६	श्री अयध्न	श्री अध्यक्ष
,,	२२	Reliet	Relief
२४८	३	(४)	८.
,,	१२	निमाण कार्य शीघ्र	निर्माण कार्य शीघ्र
,,	२१	श्री मुरलीधर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
,,	२३	श्री परसराम मदेरन I	श्री परसराम मदेरना
२४६	१	प्रश्न संख्या ३	प्रश्न संख्या ७
,,	१०	मनोनय	मनोनयन
२५०	१०	मेंमाइनिंग	में माइनिंग
२५३	१७,२४, २७व३१	डिमार्केशन	डिमार्केशन
२५४	१व४	,,	,,
२५६	६	दस्य	सदस्य
२५७	१४	जसमें	जिसमें
२५६	शीर्षक	नहोदय	महोदय
,,	१२	दृष्ठि	दृष्टि
२६३	३	किं	कि
२६४	१८	हो है , सकती	हो सकती है,

१	२	३	४
२६५	१८	हें	हैं
२६६	१७	आघार	आधार
२६७	शीर्षक	१६ मार्ध , ६२	१६ मार्च, ६२
,,	अंतिम से २	व्यकित	व्यक्ति
२६८	१	मिलेंगें	मिलेंगे
,,	१७	प्रत्रार	प्रकार
,,	३२	लाम	लाभ
२६९	६	माव	भाव
,,	२४	छीटी	छोटी
,,	२६	सत्राल	सवाल
२७०	१६	सिकुढ़ते	सिकुड़ते
२७२	५	गौसे - वा	गौ-सेवा
२७३	६	नैने	मैंने
,,	२५	पत्तपत	पक्षपात
२७५	८	सवसे	सबसे
२७६	२५	प्राइमरा	प्राइमरी
,,	२९	वन्चित	वंचित
२७८	१९	बीकानेर एक में	बीकानेर में एक
२७९	अंतिम से ३	पॉवर्स	पॉवर्स
२८०	२८	वे बाते	ये बातें
२८१	१४व१९	शेयर्स	शेयरर्स
२८८	१६	गलत ये	ये गलत
२८९	१८	बातें	बातें
,,	१९	चाहता हैं	चाहता हूं
,,	२५	ओपीनियम	ओपीनियन

१	२	३	४
२६०	१०	सकता है कि	सकता कि
,,	१६	गिरँगे	गिरेंगे
,,	२१	सम्मानीय	सम्माननीय
२६२	१६	पोड़ित हैं जो,	पीड़ित हैं, जो
२६३	४	वढ़ना	बढ़ना
,,	८	नहों	नहीं
२६५	२०	रि	फिर
,,	अंतिम पंक्ति	में	मैं
२६६	२७	बड़े	बढ़े
२६८	१४	जाहते	चाहते
२६६	२२	महोहय	महोदय
३०१	१८	श्री योगेन्द्र ननाथ	श्री योगेन्द्रनाथ
३०३	१५	बासवाढा	बांसवाड़ा
३०४	७	कर	का
,,	१४	कई	कोई
,,	१५	मान्यता नही	मान्यता में नहीं
३०७	१६	ऑडिनरी	ऑर्डिनरी
३१०	४	डेयन्शिल	डेन्शियल
,,	१०	में ये	से ये
,,	२२	रावल श्री लक्ष्मणसिंह	श्री लक्ष्मणसिंह
३१५	५	हैं	है
३१६	११	लगे	लगें
३१७	१६	ठीक, होगा	टीक होगा
३१८	४	पोर्टफोलियों	पोर्टफोलियो
३२०	२	चुके है	चुके हैं

१	२	३	४
३२३	६	राजा मानसिह	राजा श्री मानसिंह
,,	३० व ३३	fuedals	feudals
३२४	१० व ११	,,	"
३२५	२२	by convassing	by canvassing
,,	२८	convass	canvass
३२६	११	conwess	,,
,,	१२	Imention	I mention
,,	अंतिम	Bhartpur	Bharatpur
३२७	७	mles of by	miles by
,,	१७	ony	only
,,	२२	dfferent	different
,,	३५	Governors	Governor's
३२८	८	Casesare	Cases are
,,	१८	Jutice	Justice
,,	२२	peoqle's	people's
,,	३०	Promjses	Promises
,,	३२	(६.२० म० प०)	(१.२० म० प०)
३२६	८	Scarcit	Scarcity
,,	१६	agricultu rist	agriculturist
,,	२८	fn	in
,,	२८	vear	year
३३०	२१	said se	Said So
,,	२२	Perhap'	Perhaps
,,	२४	engiish	English
३३३	शीर्ष	(राजा श्री मानसिह)	(राजा श्री मानसिंह)

१	२	३	४
३३३	२६	beleng	belong
,,	३०	Partv	party
३३७	२७	Bharat ur	Bharatpur
,,	२८	( )ndition	Condition
३३८	२३	state	estate
,,	३०	polcy	policy
३४०	१८	काष्ट	कास्ट
,,	२४	कहीं	कहीं
,,	२७	ble	'ble
३४३	२	भहिला	महिला
,,	१२	बहती की	बहती थी
३४४	शीर्षक	बाद-विवाद	वाद-विवाद
,,	६ व १०	राय	राज्य
३४५	११	हंकते	हाँकते
३४८	१६	है	हैं
,,	१८	सरकाह	सरकार
३४६	१०	नही	नहीं
,,	२०	फर्क	फक्क
,,	२६	हाउसकह	हाउस कह
३५०	५	(अकलेरासु)	(अकलेरा सु०)
३५१	शीर्षक	महोटय	महोदय
,,	६	थां	था
३५३	२८	रेही थी	रही थी
३५४	११	गुड़	गुट्ट
३५६	८	म्युनिसिपेलिटी	म्युनिसिपैलिटी

१	२	३	४
३५६	१५	(श्री नारायणसिं हमसूदा)	(श्रो नारायणसिंह मसूदा)
३६१	१०	काम्न्टोटुएन्सी	कान्स्टीटुएन्सी
,,	२७	कहे	कहें
३७१	११	थ	थें
३७२	१८	लमीन	जमीन
३७३	२८	महरवानी	महरबानी
३७७	प्रथम	is on	is no
३८२	१३	रिजर्व	रिज़र्व्ड
३८५	शीर्ष	श्री नाथूराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
,,	६	इच्छ	इच्छा
,,	अंतिम से ३	कंग्रेस	कांग्रेस
३८८	७	श्री मनिकचन्द सुराना	श्री मानिकचन्द सुराणा
३८६	अंतिम से ३	छुड़ाना	छुड़ाना
३६४	६	तभी हम ही	तभी ही हम
३६७	२२	पशजेन	पजेशन
४०१	२६	कंन्सालिड़ेशन	कॉन्सोलिडेशन
४०५	शीर्षक	अमिभाषण	अभिभाषण
४०६	शीर्षक	,,	,,
४१८	२७	दसरे	दूसरे
४२१	६	इन्कम रैक्स	इन्कमटैक्स
४२३	२२	मजूर	मंजूर
४२६	२१	पाटीज़	पार्टीज़
४२७	१६	को	की
,,	३०	पाटी	पार्टी
४२८	२०	का	को

१	२	३	४
४३३	३	रह	रहे
,,	अंतिम से १	अध्यक्ष के	अध्यक्ष-पीठ के
४३५	२२	श्री हरदेव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
,,	२६	my	My
,,	२५	be final	be final"
४३७	३१	his decision	his decision"
४३८	प्रथम	Consult, the	Consult the
४४१	६	काय बीकानेर	कार्य बीकानेर